भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

प्रतिवेदन

संख्या-1
(राजस्व प्राप्तियाँ)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	v
	विहंगावलोकन	ix
अध्याय 1:	**सामान्य**	1
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	5
1.2	अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण	10
1.3	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य अन्तर	13
1.4	संग्रह की लागत	15
1.5	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	16
1.6	संग्रह का विश्लेषण	19
1.7	राजस्व के बकाये	20
1.8	लेखा परीक्षा के परिणाम	22
1.9	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	22
अध्याय 2:	**व्यापार कर**	25
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	29
2.2	नई इकाइयों को व्यापार कर से छूट	30
2.3	जीरोग्राफिक मशीन पर कम दर से करारोपण	50
2.4	माल के गलत वर्गीकरण से कर का अनारोपण/कम आरोपण	51
2.5	मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति	54
2.6	अर्थदण्ड का अनारोपण	57
2.7	गलत दर के कारण कर का कम आरोपण	63
2.8	पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण राजस्व क्षति	65
2.9	अनियमित छूट	66

2.10	कन्साइनमेन्ट सेल का प्रति-सत्यापन	68
2.11	घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग	69
2.12	केन्द्रीय विक्री कर का अवनिर्धारण	71
2.13	आवर्त्त का कर निर्धारण से छूट जाना	73
2.14	क्रय कर का अनारोपण	73
2.15	अनियमित विज्ञप्ति के कारण कर का कम आरोपण	74
2.16	स्वीकृत कर पर ब्याज का कम आरोपण	74
अध्याय 3:	**राज्य आबकारी**	77
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	81
3.2	आसवनियों के कार्यकलाप	82
3.3	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	92
अध्याय 4:	**वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर**	95
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	99
4.2 (क)	यात्री कर का न वसूल/कम वसूल किया जाना	100
4.2 (ख)	एक मुश्त यात्री कर का गलत आगणन	100
4.3	अनुबंधित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना	101
4.4	यात्री कर की अनियमित छूट	102
अध्याय 5:	**स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस**	105
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	109
5.2	कृषि/कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	110
5.3	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	110
अध्याय 6:	**भू-राजस्व**	115
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	119
6.2	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	120

अध्याय 7:	**अन्य कर प्राप्तियाँ**	123
	क. विद्युत शुल्क	127
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	127
7.2	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना	128
	ख. गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार	129
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	129
7.4	क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी	129
अध्याय 8:	**वन विभाग**	131
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	135
8.2	बाँस के ढेरों पर कार्य न करने से हानि	136
8.3	प्रकाष्ठ के आयतन के गलत आगणन के कारण राजस्व हानि	136
8.4	वृक्षों का अवैध पातन	137
8.5	लीसा का कम विदोहन	138
8.6	रायल्टी का न लगाया जाना	138
अध्याय 9:	**अन्य विभागीय प्राप्तियाँ**	141
	क. सहकारिता विभाग	145
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	145
9.2	संग्रह प्रभारों का न/ कम जमा किया जाना	145
	ख. लोक निर्माण विभाग	147
9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	147
9.4	अंशदान कार्यों पर सेन्टेज प्रभारों का कम लगाया जाना	148
	ग. खान एवं खनिज विभाग	149
9.5	लेखा परीक्षा के परिणाम	149
9.6	रायल्टी एवं जुर्माने की वसूली न किया जाना	150
9.7	पट्टे की धनराशि का गलत निर्धारण	150

9.8	खनन् पट्टे पर स्टाम्प शुल्क का अनारोपण / कम आरोपण	151
9.9	रायल्टी तथा अन्य सरकारी देयों के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	152
9.10	ईंट मिट्टी पर रायल्टी एवं आवेदन शुल्क का अनारोपण	153
	घ. पुलिस विभाग	153
9.11	लेखा परीक्षा के परिणाम	153
9.12	पुलिस विभाग के अधीन प्राप्तियों का संग्रह	155

प्राक्कथन

31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू-राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं बाजी कर, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से हैं जिन्हें वर्ष 1997-98 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 35 प्रस्तर एवं 3 समीक्षाएँ सम्मिलित हैं जिसमें कर, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि के अनारोपण/कम आरोपण के 463.72 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तर्विष्ट है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैं:

1. सामान्य

- *वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया दोनों राजस्व, कर (6998.17 करोड़ रुपये) तथा करेतर (1291.71 करोड़ रुपये) विगत वर्ष के 7624.46 करोड़ रुपये के सापेक्ष 8289.88 करोड़ रुपये रहा। सहायक अनुदान समेत भारत सरकार से प्राप्तियों का योग 9281.23 करोड़ रुपये रहा। व्यापार कर (3083.44 करोड़ रुपये) तथा राज्य आबकारी के अन्तर्गत प्राप्तियाँ (1404.09 करोड़ रुपये) कर-राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख अंश (64.12 प्रतिशत) रहीं। करेतर राजस्व के अन्तर्गत मुख्य प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ (484.34 करोड़ रुपये), अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग (151.97 करोड़ रुपये), वानिकी एवं वन्य जीवन (113.26 करोड़ रुपये) तथा शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (95.89 करोड़ रुपये) से थीं।*

- *वर्ष के दौरान यद्यपि कर राजस्व में गत वर्ष की तुलना में थोड़ी सी (11 प्रतिशत) बढ़त रही, करेतर राजस्व में 2 प्रतिशत की गिरावट रही। वृहत एवं मध्यम सिंचाई कर प्राप्ति शीर्षक के अन्तर्गत पर्याप्त गिरावट (59.45 प्रतिशत) देखी गई।*

(प्रस्तर 1.1)

- *वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार, बजट अनुमान के वर्तमान कर की दर से कर एवं करेतर राजस्व संग्रहीत नहीं कर सकी।*

(प्रस्तर 1.2)

- *वर्ष 1997-98 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 616.91 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण, कम आरोपण, राजस्व हानि आदि के 12962 मामलों का पता चला। वर्ष 1997-98 के दौरान ही सम्बन्धित विभागों ने 34.81 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण आदि के 286 मामले स्वीकार किया जिसमें से 26.53 करोड़ रुपये के 209 मामले वर्ष 1997-98 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।*

(प्रस्तर 1.8)

- *391.84 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि के 4733 निरीक्षण प्रतिवेदन (31 दिसम्बर 1997 तक निर्गत), जिनमें 11147 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे, जून 1998 तक अनिस्तारित थे। इनमें से 142.30 करोड़ रुपये के 5040 प्रस्तरों वाले 2015 निरीक्षण प्रतिवेदन 5 वर्षों से भी अधिक समय से अनिस्तारित थे।*

(प्रस्तर 1.9)

2. व्यापार कर

"नई इकाइयों को व्यापार कर से छूट" पर एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः

- *224 बन्द इकाइयों द्वारा कर में छूट प्राप्त करने के फलस्वरूप 35.15 करोड़ रुपये का अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त किया गया।*

(प्रस्तर 2.2.7 (ii))

- *विलम्ब से कर निर्धारण के फलस्वरूप 8.18 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हो सकी।*

(प्रस्तर 2.2.8 (क) (क))

- *2 इकाइयों को, जो कर मुक्त माल के उत्पादन में लगी रही, पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 62.43 करोड़ रुपये की अस्वीकार्य छूट दी गई।*

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (i) (क))

- *स्थिर पूंजी विनिधान की अनियमित संगणना के कारण 6 नई औद्योगिक इकाइयों को 15.66 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।*

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (ii))

- 6 इकाइयों को, जो छूट की हकदार नहीं थीं, पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 14.49 करोड़ रुपये की अनियमित छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (iii) (क))

- 6 इकाइयों को जो अपनी स्थापना के बाद 5 क्रमिक कर निर्धारण वर्षों तक उत्पादन पूरा नहीं की थीं, 7.63 करोड़ रुपये की अनियमित छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (iii) (ख))

- कर की संगणना/ समायोजन न करने के फलस्वरूप 3.04 करोड़ रुपये की अधिक छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (iv))

- पहले से प्रयोग की गई या प्रयोग के लिए अर्जित की गई मशीनरी से स्थापित 11 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 7.59 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.9 (i))

- 19 इकाइयों ने बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के भी 5.95 करोड़ रुपये कर की छूट प्राप्त किया।

(प्रस्तर 2.2.9 (ii))

- कच्चे माल के दुरुपयोग हेतु 7 इकाइयों पर 5.59 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2.9 (iii))

- व्यापार कर प्राप्तियों के समाधान न करने के फलस्वरूप 123.55 करोड़ रुपये का कर जमा नहीं पाया गया।

(प्रस्तर 2.2.10)

- जीरोग्राफिक मशीन पर कम दर से करारोपण तथा माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 19.41 करोड़ रुपये का कम कर आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 2.3 एवं 2.4)

- मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति और घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग तथा अर्थदण्ड के

न आरोपित करने के फलस्वरूप 3.37 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.5, 2.6 एवं 2.11)

- गलत दर से कर लगाये जाने, कर की अनियमित छूट तथा कर के कम आरोपण के फलस्वरूप 1.13 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 2.7, 2.9 एवं 2.12)

- विभिन्न कारकों जैसे – आवर्त्त का कर निर्धारण से छूट जाना, क्रय-कर का अनारोपण, विज्ञप्तियों का अनियमित निर्गमन तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न किये जाने आदि के कारण 1.55 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

(प्रस्तर 2.8, 2.10, 2.13, 2.14 एवं 2.15)

- स्वीकृत कर पर ब्याज की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप 5.58 करोड़ रुपये का ब्याज कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 2.16)

3. राज्य आबकारी

"आसवनियों के कार्य-कलाप" पर एक समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

- शीरे से निर्धारित मानक के अनुसार उत्पादन न प्राप्त होने के कारण सरकार को 31.73 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.2.7)

- देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं पर 6.12 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.10)

- परिशोधित स्पिरिट के पुनर्आसवन के फलस्वरूप 24.95 करोड़ रुपये का शुल्क कम वसूला गया।

(प्रस्तर 3.2.12)

4. स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस

- कृषि/ कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण 24.55 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क तथा

निबन्धन फीस कम आरोपित हुआ।

(प्रस्तर 5.2)

5. **भू-राजस्व**

- *संग्रह प्रभारों की वसूली न किये जाने के कारण सरकार 52.45 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रही।*

(प्रस्तर 6.2)

6. **गन्ने के क्रय पर कर**

- *मऊ स्थित सहकारी चीनी मिल द्वारा 1.03 करोड़ रुपये का क्रय कर भुगतान किये बिना चीनी की निकासी की गई।*

(प्रस्तर 7.4)

7. **वन विभाग**

- *लीसा के विदोहन में 25098 कुन्तल की कमी होने के कारण 4.47 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।*

(प्रस्तर 8.5)

8. **अन्य विभागीय प्राप्तियाँ**

क. ***लोक निर्माण विभाग***

- *केन्द्र/ राज्य सरकार के लिए 1994-95 से 1996-97 के दौरान 14.92 करोड़ रुपये की लागत पर किये गये अंशदान कार्यों पर 1.79 करोड़ रुपये का सेण्टेज प्रभार आरोपित/वसूल नहीं किया गया।*

(प्रस्तर 9.4)

ख. ***खान एवं खनिज विभाग***

- *ईंट मिट्टी पर रायल्टी तथा आवेदन फीस के अनारोपण से सरकार 6.77 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित रही।*

(प्रस्तर 9.10)

ग. पुलिस विभाग

"पुलिस विभाग के अधीन प्राप्तियों का संग्रह" पर एक समीक्षा से निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

- *मध्यस्थता कार्यों पर 4.67 करोड़ रुपये पुलिस लागत के वापसी का दावा नहीं किया गया और दूसरे राज्यों में लगायी गयी पुलिस के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा 126.56 करोड़ रुपये की अदायगी पुलिस विभाग को नहीं की गई।*

  (प्रस्तर 9.12.7)

- *पुलिस लागत की 24.53 करोड़ रुपये की धनराशि रेलवे से बिना वसूले पड़ी रही।*

  (प्रस्तर 9.12.9 (i))

- *आन्तरिक लेखा परीक्षा में इंगित 1992-93 से 1996-97 की अवधि में विभाग द्वारा 13.49 करोड़ रुपये के धनराशि की वसूली नहीं की गयी।*

  (प्रस्तर 9.12.13)

अध्याय 1

सामान्य

अध्याय 1 : सामान्य

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.1	राजस्व प्राप्तियों का रुझान	5
1.2	अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण	10
1.3	बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	13
1.4	संग्रह की लागत	15
1.5	व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन	16
	(क) कर निर्धारण के बकाया मामले	16
	(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले	18
1.6	संग्रह का विश्लेषण	19
1.7	राजस्व के बकाये	20
1.8	लेखा परीक्षा के परिणाम	22
1.9	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	22

अध्याय 1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे सारिणी में दिये गये हैं एवं चार्ट में भी दर्शाये गये हैं:

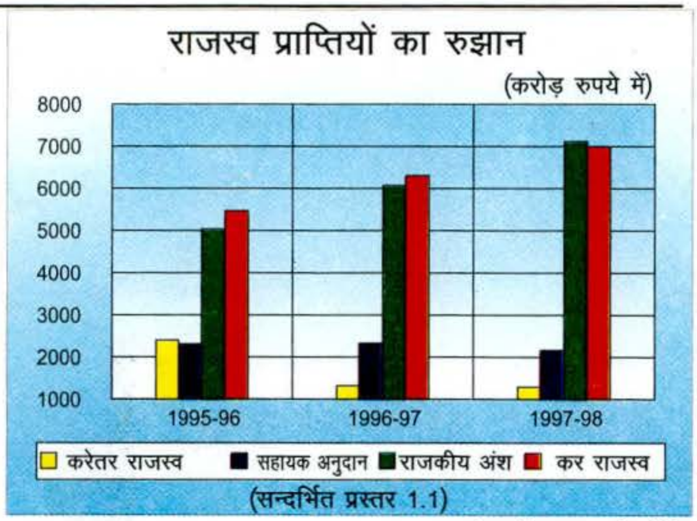

(करोड़ रुपये में)

	1995-96	1996-97	1997-98
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व			
(क) कर–राजस्व	5468.92	6305.97	6998.17
(ख) करेतर राजस्व	2399.41	1318.49	1291.71
योग	**7868.33**	**7624.46**	**8289.88**
II. भारत सरकार से प्राप्तियाँ			
(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	5034.02	6072.38	7114.70*
(ख) सहायक अनुदान	2312.86	2331.73	2166.53
योग	**7346.88**	**8404.11**	**9281.23**
III. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (I+II)	15215.21	16028.57	17571.11
IV. I से III की प्रतिशतता	52	48	47.18

* विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 1997-98 के वित्त लेखों में "लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखों का विवरण संख्या-11" देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में लेखा शीर्षक-कर राजस्व के अन्तर्गत "0021-निगम कर से भिन्न आयकर राज्यों को समुदेशित निवल प्राप्तियों के हिस्से" के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

वर्ष 1997-98 की कुल प्राप्तियों का 47 प्रतिशत राजस्व राज्य सरकार द्वारा स्वयं उगाहा गया एवं शेष 53 प्रतिशत संघीय सरकार से प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये राजस्व का प्रतिशत क्रमशः ह्रासोन्मुखी रहा जो वर्ष 1995-96 के 52 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1997-98 में 47.18 प्रतिशत हो गया।

अवलोकनीय है कि वर्ष 1996-97 की तुलना में "करेतर राजस्व" की प्राप्तियाँ 26.78 करोड़ रुपये घट गयीं, जबकि 1995-96 की तुलना में उक्त वर्ष में 1080.92 करोड़ रुपये की कमी हो चुकी थी। इस प्रकार वर्ष 1997-98 के "करेतर राजस्व" की प्राप्तियों में वर्ष 1995-96 की तुलना में 1107.70 करोड़ रुपये की कमी हुई।

(1) वर्ष 1997-98 के लिए कर-राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के आंकड़े निम्न सारिणी में दिये गये हैं एवं चार्ट में भी दर्शाये गये हैं:

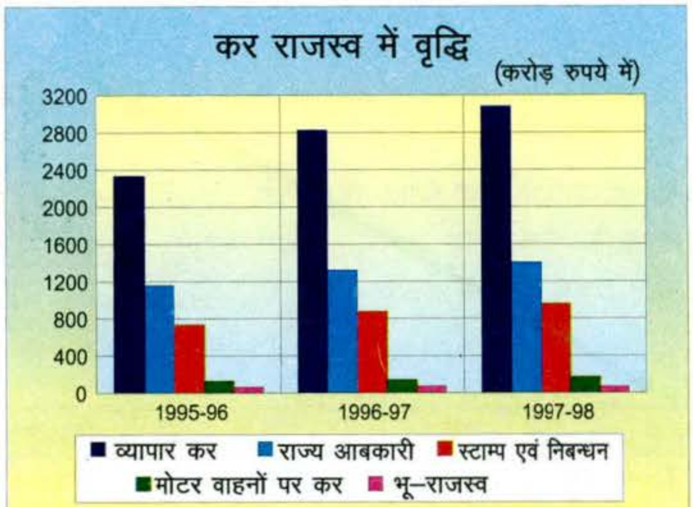

(सन्दर्भित प्रस्तर 1.1(i))

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	1995-96	1996-97	1997-98	1996–97 के संदर्भ में 1997–98 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1996–97 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	व्यापार कर	2335.38	2827.41	3083.44	(+) 256.03	(+) 9.05
2	राज्य आबकारी	1158.61	1322.91	1404.09	(+) 81.18	(+) 6.14
3	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	734.78	875.06	956.00	(+) 80.94	(+) 9.25
4	मोटर स्पिरिट और स्नेहकों की बिक्री पर कर	558.52	590.77	815.55	(+) 224.78	(+) 38.04

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	1995-96	1996-97	1997-98	1996–97 के संदर्भ में 1997–98 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1996–97 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
5	माल एवं यात्रियों पर कर	228.37	221.43	222.36	(+)0.93	(+) 0.42
6	वाहनों पर कर	125.46	139.54	166.60	(+)27.06	(+) 19.39
7	गन्ने के क्रय पर कर	72.87	55.01	35.95	(-) 19.06	(-) 34.64
8	विद्युत पर कर और शुल्क	75.71	78.32	110.88	(+) 32.56	(+) 41.57
9	भू–राजस्व	62.53	72.62	66.57	(-) 6.05	(-) 8.34
10	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.03	--	0.21	(+) 0.21	(+) 100
11	कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर	0.87	1.20	3.33	(+) 2.13	(+) 177.50
12	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	112.97	115.56	126.84	(+) 11.28	(+) 9.76
13	अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	2.82	6.14	6.35	(+)0.21	(+) 3.42
	योग	**5468.92**	**6305.97**	**6998.17**	**(+) 692.20**	**(+) 10.98**

कर राजस्व की वृद्धि जो वर्ष 1996-97 में 15.30 प्रतिशत रही, वर्ष 1997-98 में घटकर 10.98 प्रतिशत हो गयी। वर्ष 1996-97 में राज्य आबकारी और स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के अन्तर्गत प्राप्तियों में क्रमशः 14.18 एवं 19.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी; जबकि इसके विरूद्ध वर्ष 1997-98 में क्रमशः 6.14 एवं 9.25 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई।

"कृषि भूमि से इतर अचल सम्पत्तियों पर कर" (177.50 प्रतिशत), "विद्युत पर कर और शुल्क" (41.57 प्रतिशत), "मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर" (38.04 प्रतिशत) और "वाहनों पर कर" (19.39 प्रतिशत) प्राप्ति शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों में वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई; जब कि "गन्ने के क्रय पर कर" (34.64 प्रतिशत) प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत 1996-97 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1997-98 में पर्याप्त कमी दर्ज की गयी।

भिन्नता जहाँ पर्याप्त थी, उन कारणों के सम्बन्ध में यद्यपि कि राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

(II) वर्ष 1997-98 के लिए करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती दो वर्षों के आँकड़ों के साथ निम्न सारिणी में दिये गये हैं तथा चार्ट में भी दर्शाये गये हैं:

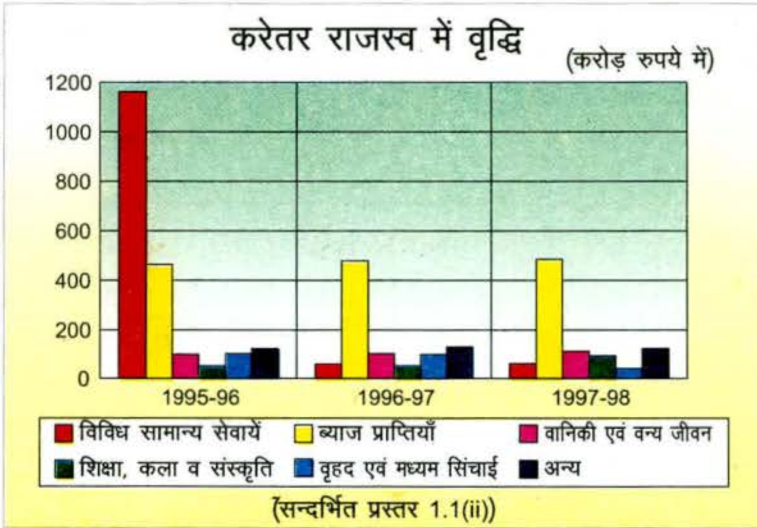

(सन्दर्भित प्रस्तर 1.1(ii))

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1995-96	1996-97	1997-98	1996–97 के संदर्भ में 1997–98 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1996–97 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवायें	1162.15	62.07	63.88	(+)1.81	(+) 2.92
2. ब्याज प्राप्तियाँ	463.77	478.97	484.34	(+)5.37	(+) 1.12
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	101.08	104.51	113.26	(+)8.75	(+) 8.37
4. वृहत एवं मध्यम सिंचाई	103.95	100.78	40.86	(-)59.92	(-) 59.45

राजस्व शीर्ष	1995-96	1996-97	1997-98	1996–97 के संदर्भ में 1997–98 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	1996–97 के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	49.38	54.65	95.89	(+)41.24	(+) 75.46
6. अन्य प्रशासनिक सेवायें	83.58	33.03	36.15	(+)3.12	(+) 9.45
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	148.11	159.00	151.97	(-)7.03	(-) 4.42
8. पुलिस	30.62	59.58	47.83	(-)11.75	(-) 19.72
9. क्राप हसबेण्ड्री	21.21	19.55	17.91	(-)1.64	(-) 8.39
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.73	16.09	12.12	(-)3.97	(-) 24.67
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	13.79	18.85	21.78	(+)2.93	(+) 15.54
12. लघु सिंचाई	40.58	36.75	34.10	(-)2.65	(-) 7.21
13. सड़क एवं सेतु	16.02	20.09	19.13	(-)0.96	(-) 4.78
14. लोक निर्माण	25.85	17.94	23.08	(+)5.14	(+) 28.65
15. सहकारिता	9.21	5.96	4.29	(-)1.67	(-) 28.02
16. अन्य	124.38	130.67	125.12	(-)5.55	(-) 4.25
योग	**2399.41**	**1318.49**	**1291.71**	**(-)26.78**	**(-) 2.03**

वर्ष 1997-98 में करेतर राजस्व की प्राप्तियों में जो कि राज्य के कुल उगाहे गये राजस्व का 15.58 प्रतिशत रही, विगत वर्ष के सापेक्ष 2.03 प्रतिशत की गिरावट रही, जबकि वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में पहले ही यह गिरावट 45.05 प्रतिशत दर्ज की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1997-98 में यह घटोत्तरी 46.17 प्रतिशत आगणित हुई।

यद्यपि कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 में लेखा शीर्षक "शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति" (75.46 प्रतिशत), "लोक निर्माण" (28.65 प्रतिशत), "चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य" (15.54 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, परन्तु वर्ष 1996-97 के सापेक्ष लेखाशीर्षक "चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य" (36.69 प्रतिशत) के अन्तर्गत हुई प्राप्तियों में वृद्धि कम रही। लेखा शीर्षक "वृहत एवं मध्यम सिंचाई" (59.45 प्रतिशत), "पुलिस" (19.72 प्रतिशत), "सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" (24.67 प्रतिशत) एवं "सहकारिता" (28.02 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में असाधारण धटोत्तरी हुई।

भिन्नता जहाँ पर्याप्त थी, उन कारणों के सम्बन्ध में यद्यपि कि राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

1.2 अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण

सामान्यतः राज्य सरकार की योजनागत एवं आयोजनेतर आवश्यकताओं का अर्थ प्रबन्धन चार प्रमुख संसाधनों यथा (1) वर्तमान कराधान की दरों पर किया गया बजट प्रावधान (2) भारत सरकार द्वारा प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं सहायता अनुदान (3) राज्य उद्यम का अतिरिक्त बजटीय संसाधन एवं (4) अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण द्वारा होता है। अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु करों की दर में वृद्धि, कर ढाचें में राजस्वोन्मुखी सुधार, जहाँ पर उद्देश्यों की प्राप्ति हो चुकी हो अथवा जो राजस्व क्षति के तुल्य अलाभकारी हो उन प्रोत्साहनों का प्रत्याहरण एवं आयोजनेतर व्यय पर अंकुश आदि जैसे प्रयास विचारणीय हैं।

मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष तक विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन संग्रहण का आंकलन अगले पृष्ठ पर सारिणी में दर्शाया गया है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान		योग	वास्तविक संग्रह	वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
	बजटीय संसाधन	अतिरिक्त संसाधन संग्रहण				
1993-94	5760.52	62.59	5823.11	5849.51	(+) 26.40	(+) 0.45
1994-95	6110.82	357.17	6467.99	6767.64	(+) 299.65	(+) 4.63
1995-96	6795.28	175.42	6970.70	7868.33	(+) 897.63	(+) 12.87
1996-97	6970.74	396.31	7367.05	7624.46	(+) 257.41	(+) 3.49
1997-98	8646.51	7.00	8653.51	8289.88	(-) 363.63	(-) 4.20

यह दृष्टव्य है कि वर्ष 1997-98 में न केवल अतिरिक्त संसाधनों की धनराशि का संग्रहण बल्कि वास्तविक संग्रहीत धनराशि भी विगत वर्ष के सापेक्ष पर्याप्त रूप से कम रही।

राज्य सरकार ने निम्न श्रोतों से अतिरिक्त राजस्व संग्रहण प्रस्तावित किया था:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	कर एवं करेतर राजस्व का अतिरिक्त संग्रहण एवं अभिनवीकरण	शून्य	185.17	22.06	30.00	7.00
2.	अन्य श्रोत	62.59	172.00	153.36	366.31	शून्य
	योग	**62.59**	**357.17**	**175.42**	**396.31**	**7.00**

यद्यपि कि वर्ष 1993-94 से 1996-97 के वर्षों में राजस्व प्राप्तियों का संग्रहण बजट अनुमान से अधिक रहा, तथापि वर्ष 1995-96 (12.87 प्रतिशत) के संदर्भ में वर्ष 1996-97 (3.49 प्रतिशत) में प्रतिशत

उपलब्धि में तीव्र ह्रास रहा। वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार बजट अनुमान के आकलन के अनुरूप भी राजस्व संग्रह करने में विफल रही।

वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों, वास्तविक प्राप्तियों तथा कमी/वृद्धि का विवरण निम्नवत रहा:

(करोड़ रुपये में)

	1996-97			1997-98		
राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रह	कमी/वृद्धि	बजट अनुमान	वास्तविक संग्रह	कमी/वृद्धि
1. राज्य आबकारी	1325.50	1322.91	(-) 2.59	1521.30	1404.09	(-) 117.21
2. व्यापार कर	2579.20	2827.41	(+) 248.21	2988.70	3083.44	(+) 94.74
3. गन्ने के क्रय पर कर	100.05	55.01	(-) 45.04	105.00	35.95	(-) 69.05
4. वृहत् एवं मध्यम सिंचाई	105.98	100.78	(-) 5.20	113.95	40.86	(-) 73.09
5. माल एवं यात्रियों पर कर	252.89	221.43	(-) 31.46	292.13	222.36	(-) 69.77
6. विद्युत पर कर और शुल्क	76.18	78.32	(+) 2.14	130.00	110.88	(-) 19.12

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 1997-98 हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त संसाधन संग्रहण यथार्थवादी नहीं था क्योंकि राज्य सरकार वर्तमान कराधान की दरों पर आंकलित राजस्व संग्रहण के लक्ष्य प्राप्ति में भी विफल रही।

1.3 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नता निम्न सारिणी में दी गयी है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान 1997-98	वास्तविक प्राप्तियां 1997-98	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व	7075.91	6998.17	(-) 77.74	(-) 1.10
ख. करेतर राजस्व	1577.60	1291.71	(-) 285.89	(-) 18.12

(ख) प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत भिन्नता का विभाजन निम्नवत् है :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान 1997-98	वास्तविक प्राप्तियाँ 1997-98	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
क. कर राजस्व				
1. व्यापार कर	2988.70	3083.44	(+) 94.74	(+) 3.17
2. राज्य आबकारी	1521.30	1404.09	(-) 117.21	(-) 7.71
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	923.68	956.00	(+) 32.32	(+) 3.50
4. मोटर स्पिरिट एवं स्नेहकों की बिक्री पर कर	773.53	815.55	(+) 42.02	(+) 5.43
5. माल एवं यात्रियों पर कर	292.13	222.36	(-)69.77	(-) 23.88
6. वाहनों पर कर	157.00	166.60	(+) 9.60	(+) 6.11
7. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, मनोरंजन कर	131.41	126.84	(-) 4.57	(-) 3.50

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान 1997-98	वास्तविक प्राप्तियाँ 1997-98	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (-)	भिन्नता की प्रतिशतता
8. गन्ने के क्रय पर कर	105.00	35.95	(-) 69.05	(-) 65.76
9. विद्युत पर कर और शुल्क	130.00	110.88	(-) 19.12	(-) 14.71
10. भू-राजस्व	46.75	66.57	(+) 19.82	(+) 42.39
ख. करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवायें	400.16	63.88	(-) 336.28	(-) 84.04
2. ब्याज प्राप्तियाँ	429.41	484.34	(+) 54.93	(+) 12.79
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	114.32	113.26	(-) 1.06	(-) 0.93
4. वृहत एवं मध्यम सिंचाई	113.95	40.86	(-) 73.09	(-) 64.14
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	51.87	95.89	(+) 44.02	(+)84.90
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु कर्म उद्योग	165.00	151.97	(-) 13.03	(-) 7.90

अधिकांश लेखा शीर्षों में बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य उल्लेखनीय भिन्नता यह इंगित करती है कि या तो बजट अनुमान अयथार्थवादी एवं अवैज्ञानिक रीति से तैयार किया गया अथवा सम्बन्धित विभाग समुचित राजस्व वसूली में विफल रहे। जो भी हो, राजस्व वसूली हेतु उच्चतर अनुश्रवण एवं विशिष्ट प्रयास वांछित हैं।

वर्ष के दौरान लेखा शीर्ष विविध सामान्य सेवाएं (84.04 प्रतिशत), बृहत एवं मध्यम सिंचाई (64.14 प्रतिशत), माल एवं यात्रियों पर कर (23.88 प्रतिशत), विद्युत पर कर एवं शुल्क (14.71 प्रतिशत) तथा गन्ने के क्रय पर कर (65.76 प्रतिशत) के अन्तर्गत बजट अनुमान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्तियों में पर्याप्त कमी रही, जबकि लेखा शीर्ष शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (84.90 प्रतिशत) एवं भू- राजस्व (42.39 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गयी।

भिन्नता जहाँ पर्याप्त थी, उन कारणों के सम्बन्ध में यद्यपि कि राज्य सरकार को संदर्भित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

1.4 संग्रह की लागत

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत सकल संग्रह, उनके संग्रह पर हुए व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 1996-97 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 1996–97 के लिए अखिल भारतीय औसत
1. व्यापार कर	1995-96	2335.38	62.95	2.7	
	1996-97	2827.41	45.90	1.6	1.19
	1997-98	3083.44	85.32	2.8	
2. वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	1995-96	353.83	11.14	3.1	
	1996-97	360.97	10.91	3.0	2.60
	1997-98	388.96	15.00	3.8	
3. राज्य आबकारी	1995-96	1158.61	13.40	1.2	
	1996-97	1322.91	16.36	1.2	3.53
	1997-98	1404.09	18.78	1.3	
4. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1995-96	734.78	9.54	1.3	
	1996-97	875.06	11.94	1.4	3.37
	1997-98	956.00	16.43	1.7	

लेखा शीर्ष "वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर" एवं "व्यापार कर" के अन्तर्गत संग्रह पर हुआ व्यय उनके सकल संग्रह के विरूद्ध वर्ष 1996-97 की तुलना में वर्ष 1997-98 में क्रमशः 3 प्रतिशत से बढ़कर 3.8 प्रतिशत एवं 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया।

उपरोक्त तालिका से पुनश्च यह सुस्पष्ट है कि लेखा शीर्ष "व्यापार कर" एवं "वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर" के अन्तर्गत संग्रह पर किया गया व्यय एवं सकल संग्रह की प्रतिशतता अखिल भारतीय संग्रह लागत औसत प्रतिशत से निरन्तर अधिक रही है।

राजस्व संग्रह पर बढ़ते हुए खर्च के रुझान के कारणों एवं इसे मोड़ने हेतु किये गये प्रयासों के बारे में सूचना राज्य सरकार से माँगी गयी थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

1.5 व्यापार कर विभाग में कर निर्धारण कार्य का निष्पादन

(क) कर निर्धारण के बकाया मामले

(I) वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक के लिए वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामलों, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु अपेक्षित मामलों, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या, जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्नवत् है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु अपेक्षित मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	स्तम्भ 6 की 4 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1993-94	7,41,996	3,94,868	11,36,864	3,94,102	7,42,763	65.0
1994-95	8,01,418	4,11,320	12,12,738	3,72,718	8,40,020	69.0
1995-96	9,41,134	4,28,990	13,70,124	8,07,277	5,62,847	41.0
1996-97	5,62,847	5,26,778	10,89,625	4,86,648	6,02,977	55.3
1997-98	6,69,353	4,51,315	11,20,668	7,30,551	3,90,117	34.8

दृष्टव्य है कि वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 के मध्य विभाग द्वारा निस्तारित कर निर्धारण के मामले उन वर्षों में कर निर्धारण हेतु अपेक्षित मामलों की संख्या से प्रशंसनीय रूप से अधिक रहे, जो अवशेष मामलों के निस्तारण को इंगित करता है, जबकि वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1996-97 के मध्य निस्तारित मामलों की संख्या उन वर्षों में कर निर्धारण हेतु अपेक्षित मामलों की संख्या से कम रही है।

यह भी अवलोकनीय है कि वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1996-97 तक के अन्तशेष में अनुवर्ती वर्षों के आदि शेष से भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह स्थिति मामलों की संवीक्षा, अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटि सुधार के कारण है। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वर्ष विशेष का आदि शेष पूर्व वर्ष के अन्त शेष से भिन्न नहीं हो सकता है। यह आवश्यक है कि विभाग अभिलेखों के रख-रखाव की व्यवस्था को ठीक करे जिससे कि आँकड़ों की संगति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(II) वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के प्रथम तीन तिमाही तथा अन्तिम एक तिमाही के दौरान निस्तारित कर निर्धारणों की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

	1996-97			1997-98		
अवधि	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगें	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की संख्या	उठाई गयी मांगें	निष्पादित कर निर्धारण के मामलों की प्रतिशतता
अप्रैल से दिसम्बर	262798	494.88	54	365460	1034.07	50
जनवरी से मार्च	223850	1662.71	46	365091	3447.94	50
योग	**486648**	**2157.59**		**730551**	**4482.01**	

दृष्टव्य है कि अप्रैल से दिसम्बर के मध्य मामलों के निस्तारण की दर कमोवेश वर्ष के अन्तिम तिमाही के बराबर रही है। वर्ष 1997-98 के प्रथम तीन तिमाही में सृजित अतिरिक्त माँग (1034.07 करोड़ रुपये) अंतिम तिमाही के दौरान सृजित माँग (3447.94 करोड़ रुपये) से पर्याप्त रूप में कम रही जो प्रथम तीन तिमाही के विरूद्ध 333.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित करती है। अन्तिम तिमाही के दौरान निस्तारित मामलों की प्रतिशतता जो वर्ष 1996-97 में 46 प्रतिशत रही, बढ़कर 1997-98 में 50 प्रतिशत हो गयी जो पर्याप्त धनराशि से सन्निहित कर के लम्बित वादों का निस्तारण वर्ष के एकदम अंत में किये जाने की विभागीय प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(ख) अपील तथा पुनरीक्षण के मामले

(I) वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों तथा व्यापार कर विभाग द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या के साथ ही साथ वर्ष 1997-98 के अन्त में अवशेष अपील एवं पुनरीक्षण मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, निम्न सारिणी में दर्शित हैं:

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान दायर की गयी अपीलों की संख्या	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	वर्ष के अन्त में अवशेष	सम्पूर्ण मामलों की संख्या से निस्तारित मामलों की प्रतिशतता
अपील के मामले						
1993-94	64,430	45,017	1,09,447	46,775	62,672	43
1994-95	62,672	30,150	92,822	36,520	56,302	39
1995-96	56,302	36,715	93,017	36,138	56,879	39
1996-97	56,879	42,166	99,045	32,913	66,132	33
1997-98	66,132	48,794	1,14,926	54,932	59,994	48
पुनरीक्षण के मामले						
1993-94	64,640	22,212	86,852	19,483	67,369	22
1994-95	67,369	16,442	83,811	16,458	67,353	20
1995-96	67,353	14,374	81,727	19,853	61,894	24
1996-97	61,894	8,444	70,338	13,226	57,112	19
1997-98	57,112	9,544	66,656	16,609	50,047	25

अवलोकनीय है कि वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में लम्बित अपील के मामलों की संख्या 64,430 से घटकर वर्ष 1997-98 के अन्त में 59994 रह गयी। इसी प्रकार वर्ष 1993-94 के प्रारम्भ में निस्तारण हेतु पुनरीक्षण के मामलों की संख्या 64640 से घटकर वर्ष 1997-98 के अन्त में 50047 रह गयी।

(II) 31 मार्च, 1998 को लम्बित अपील एवं पुनरीक्षण के मामलों का वर्ष वार विभाजन अगले पृष्ठ पर तालिका में दिया गया है:

वर्ष तक	31 मार्च 1998 तक लम्बित	
	अपील के मामले	पुनरीक्षण के मामले
1992	731	11,754
1993	457	6,832
1994	825	6,840
1995	4,220	6,480
1996	12,687	6,839
1997	27,092	7,873
1998	13,982	3,429
योग	**59,994**	**50,047**

कर निर्धारण में विलम्ब तथा अपील एवं पुनरीक्षण में अधिसंख्य मामलों के लम्बित रहने के फलस्वरूप राजस्व अवरूद्ध हो जाता है, (कर निर्धारण के दौरान सृजित अतिरिक्त मांग) जो न केवल सरकार के संसाधनों की स्थिति को प्रभावित करता है, अपितु ब्याज के माध्यम से व्यापारियों को आकस्मिक लाभ भी उपलब्ध कराता है।

1.6 संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 1997-98 के दौरान व्यापार कर विभाग के सकल संग्रह का विवरण (पूर्व निर्धारण के स्तर पर तथा नियमित निर्धारण के पश्चात्) पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों के साथ जैसा कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, नीचे सारिणी में दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

कर शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण अवस्था में संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत अतिरिक्त धनराशि	वापसी धनराशि	कर का शुद्ध संग्रह	स्तम्भ 3 की 6 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
व्यापार कर	1995-96	2212.38	135.66	17.33	2330.71	95
	1996-97	2640.23	130.12	13.15	2757.20	96
	1997-98	2937.78	156.85	21.06	3073.57	96

मार्च 1998 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की व्यापार कर विभाग द्वारा की गयी राजस्व वसूली की स्थिति यह इंगित करती है कि कर निर्धारण के पूर्व का राजस्व संग्रह का प्रतिशत 95 से 96 हो गया जो करदताओं की स्वैच्छिक अनुपालन की जागरूकता तथा उच्च कर संग्रह प्राप्ति में कर संग्रह मशीनरी के सीमित कर्तव्य को प्रकट करती है। वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में क्रमशः 45.90 करोड़ रुपये एवं 85.32 करोड़ रुपये संग्रह पर खर्च करने के उपरान्त विभागीय मशीनरी द्वारा 130.12 एवं 156.85 करोड़ रुपये कर निर्धारण के पश्चात उगाहा जा सका है, जो इन वर्षों के शुद्ध संग्रह का क्रमशः 35 एवं 54 प्रतिशत रहा।

1.7 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 1998 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था, निम्न प्रकार थीः

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये
1. व्यापार कर	6627.30	2781.65

टिप्पणी:- 6627.30 करोड़ रुपये में से 982.57 करोड़ रुपये के लिए माँग भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 1059.28 करोड़ एवं 82.77 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों तथा सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 517.78 करोड़ रुपये की वसूली त्रुटि सुधार/पुनर्विचार प्रार्थना पत्रों के कारण रूकी हुई थी। 3848.11 करोड़ रुपये की वसूली हेतु अन्य राज्यों को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे। 136.79 करोड़ रुपये की माँग को अपलिखित होने की सम्भावना थी। व्यापार कर विभाग बकाये की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को मर्यादित करने में असफल रहा, जो कि वर्ष 1994-95 में 2401.10 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 6627.30 करोड़ रुपये हो गया और इस प्रकार 176 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बकाये की वसूली के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि लेखा परीक्षा द्वारा मांगा गया था (सितम्बर 1998), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

<table>
<tr><th>राजस्व शीर्ष</th><th>लम्बित संग्रह बकाया</th><th>5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये</th></tr>
<tr><td>2. गन्ने पर क्रय कर (चीनी मिलें)</td><td>13.98</td><td>1.15</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पणी:- 13.98 करोड़ रुपये में से 0.48 करोड़ रुपये की माँग भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दी गई थी। 0.23 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गयी थी। 13.27 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि माँगा गया था (सितम्बर 1998), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>3. वानिकी एवं वन्य जीवन</td><td>16.93</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पणी:- 16.93 करोड़ रुपये में से 7.02 करोड़ रुपये की माँग को भू-राजस्व बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 0.69 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.14 करोड़ रुपये की माँग के अपलिखित होने की सम्भावना थी। 9.08 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि माँगा गया था (सितम्बर 1998), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>4. मनोरंजन कर</td><td>7.95</td><td>1.79</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पणी:- 7.95 करोड़ रुपये में से 1.76 करोड़ रुपये की माँग को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 5.58 करोड़ रुपये एवं 0.29 करोड़ रुपये की वसूली क्रमशः न्यायालयों एवं सरकार द्वारा स्थगित थी। 0.32 करोड़ रुपये के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गई विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि मांगा गया था (सितम्बर 1998), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।</td></tr>
<tr><td>5. विद्युत कर</td><td>3.97</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="3">टिप्पणी:- 3.97 करोड़ रुपये में से 0.12 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित थी। 2.79 करोड़ रुपये की धनराशि जो बीमार इकाइयों से सम्बन्धित थी, बी0 आई0 एफ0 आर0 द्वारा स्थगित कर दिया गया है। 1.06 करोड़ रुपये की अवशेष धनराशि वसूली की प्रक्रिया में है।</td></tr>
</table>

राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाये
6. राज्य आबकारी	87.44	69.60

टिप्पणी:- 87.44 करोड़ रुपये में से 10.74 करोड़ रुपये की माँग को भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। 74.70 करोड़ रुपये की वसूली न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी। 1.99 करोड़ रुपये की वसूली व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण अवरुद्ध थी। 0.01 करोड़ के अवशेष बकाये के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही का विवरण यद्यपि मांगा गया था (सितम्बर 1998), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।

अन्य विभागों से सम्बन्धित बकाये की स्थिति यद्यपि मांगी गयी थी (जून 1998), प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 1998)।

1.8 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क, गन्ने के क्रय पर कर, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य विभागीय प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 12962 मामलों में 616.91 करोड़ रुपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व-हानि के मामले प्रकाश में आये। वर्ष 1997-98 के दौरान संबंधित विभागों ने 286 मामलों में 34.81 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये, जिसमें से 26.53 करोड़ रुपये के 209 मामले वर्ष 1997-98 की लेखा परीक्षा में इंगित किये गये थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित थे।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 35 प्रस्तर तथा 3 समीक्षायें हैं, जिसमें 463.72 करोड़ रुपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/ सरकार ने 11.27 करोड़ रुपये की सन्निहित धनराशि की 18 लेखा परीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है जिसमें से सितम्बर 1998 तक 0.03 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई थी। अवशेष मामलों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1998)।

1.9 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पायी गई कमियों जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार

को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 1997 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून, 1998 तक विभागों द्वारा लम्बित रहा, साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(जून माह के अन्त तक)

	1996	1997	1998
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3964	4537	4733
2. अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	11078	11630	11147
3. निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	397.56	496.68	391.84

(30 जून, 1998 को) अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का वर्ष वार विभाजन नीचे दिया गया है।

वर्ष (जिसमें निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये)	अनिस्तारित संख्या		निहित राजस्व (करोड़ रुपये में)
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	
1993-94 तक	2015	5040	142.30
1994-95	523	1361	61.54
1995-96	816	1656	73.27
1996-97	769	1820	48.97
1997-98	610	1270	65.76
योग	**4733**	**11147**	**391.84**

30 जून 1998 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है:

प्राप्ति की प्रकृति	अनिस्तारित संख्या		सन्निहित राजस्व की राशि (करोड़ रुपए में)	वर्ष जिनसे आपत्तियाँ सम्बन्धित हैं
	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखा परीक्षा आपत्तियाँ		
1. वानिकी एवं वन्य जीवन	317	556 (335)	173.31	1988-89 से 1997-98
2. व्यापार कर	1099	4414	86.75	1989-90 से 1997-98
3. सिंचाई	158	274	27.65	1984-85 से 1997-98
4. राज्य आबकारी	530	778 (60)	20.18	1984-85 से 1997-98
5. भू–राजस्व	659	1122	16.36	1984-85 से 1997-98
6. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	640	1302	10.63	1984-85 से 1997-98
7. लोक निर्माण	171	521	13.35	1984-85 से 1997-98
8. गन्ने के क्रय पर कर	91	105	6.04	1985-86 से 1997-98
9. स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	664	1534	11.31	1984-85 से 1997-98
10. अन्य विभाग				
क. कृषि	89	159	9.30	1989-90 से 1997-98
ख. विद्युत शुल्क	201	231 (40)	5.07	1985-86 से 1997-98
ग. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	22	36	0.22	1985-86 से 1997-98
घ. सहकारिता	70	90	10.83	1985-86 से 1997-98
ड. मनोरंजन कर	22	25 (25)	0.84	1986-87 से 1997-98
योग	**4733**	**11147**	**391.84**	

नोटः- स्तम्भ 3 में कोष्ठक के अन्दर दिये गये आँकड़े निरीक्षण प्रतिवेदनों की उस संख्या को दर्शित करते हैं, जिनके प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसे सरकार के संज्ञान में अप्रैल 1998 में लाया गया था, अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 1998)।

अध्याय 2

व्यापार कर

अध्याय 2 : व्यापार कर

क्रम संख्या	विवरण			पृष्ठ
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम			29
2.2	नई इकाइयों को व्यापार कर से छूट			30
2.2.1	प्रस्तावना			30
2.2.2	संगठनात्मक ढांचा			30
2.2.3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र			30
2.2.4	योजनाओं की प्रमुख बातें			31
2.2.5	विशेष अंश			32
2.2.6	पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने की पद्धति एवं प्रक्रिया			34
2.2.7	छूट से सम्बन्धित सांख्यकीय आँकड़े			35
2.2.8	(क)	1990 की पूर्ववर्ती योजना		37
		निर्माण न करने वाली इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति		37
2.2.8	(ख)	1990 की पश्चात्वर्ती योजना		39
		(i)	अपात्र इकाइयों को कर से छूट	39
		(ii)	स्थिर पूंजी विनिधान की गलत संगणना से अधिक छूट	41
		(iii)	अनियमित छूट	43
		(iv)	कर की संगणना/समायोजन न किया जाना	46
2.2.9	(i)	पुरानी मशीनरी प्रयोग करने वाली इकाइयों को अनियमित छूट		46
	(ii)	पात्रता प्रमाण-पत्र के बिना छूट		47
	(iii)	मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति/कच्चे माल का दुरुपयोग		48
2.2.10	कर प्राप्तियों का समाधान न किया जाना			50

2.3	जीरोग्राफिक मशीन पर कम दर से करारोपण	50
2.4	माल के गलत वर्गीकरण से कर का अनारोपण/कम आरोपण	51
2.5	मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति	54
2.6	अर्थदण्ड का अनारोपण-अन्तर्गत	57
	क. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम	57
	ख. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम	60
2.7	गलत दर के कारण कर का कम आरोपण	63
2.8	पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण राजस्व क्षति	65
2.9	अनियमित छूट	66
2.10	कन्साइनमेन्ट सेल का प्रति-सत्यापन	68
2.11	घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग	69
2.12	केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण	71
2.13	आवर्त्त का कर निर्धारण से छूट जाना	73
2.14	क्रय कर का अनारोपण	73
2.15	अनियमित विज्ञप्ति के कारण कर का कम आरोपण	74
2.16	स्वीकृत कर पर ब्याज का कम आरोपण	74

अध्याय **2**

व्यापार कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान व्यापार कर कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में 1406 मामलों में 308.81 करोड़ रुपए के कम करारोपण तथा अर्थदण्ड एवं ब्याज के अनारोपण अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

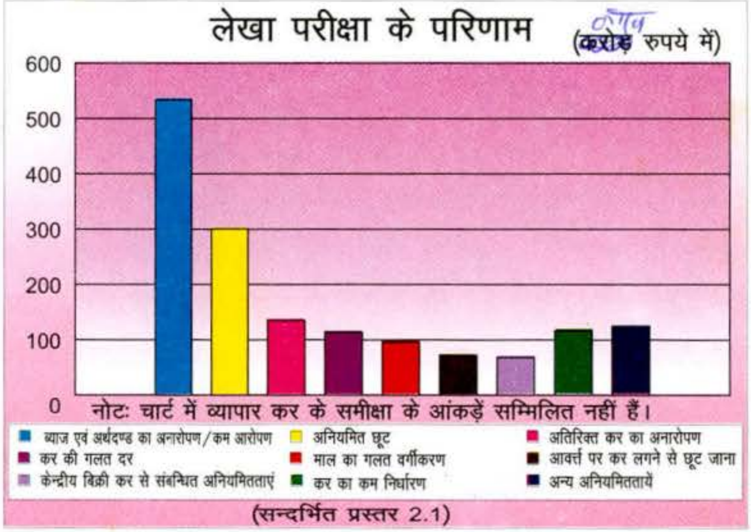

(सन्दर्भित प्रस्तर 2.1)

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण	521	534.45
2.	अनियमित छूट	266	300.60
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	81	134.99
4.	कर की गलत दर	171	113.55
5.	माल का गलत वर्गीकरण	58	95.55
6.	आवर्त्त (टर्न ओवर) पर कर लगने से छूट जाना	17	71.33
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से संबंधित अनियमिततायें	32	68.52
8.	कर का अवनिर्धारण	45	116.57
9.	अन्य अनियमिततायें	121	123.32
10.	''नई इकाइयों को व्यापार कर से छूट'' पर समीक्षा	94	29322.00
	योग	**1406**	**30880.88**

वर्ष 1997-98 के दौरान विभाग ने 93 मामलों में 61 लाख रुपए कर कम लगाये जाने को स्वीकार किया, जिसमें से 62 मामले जिनकी आच्छादित धनराशि 13.31 लाख रुपए रही, वर्ष 1997-98 की लेखा परीक्षा के दौरान एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। इसमें से 53 मामलों में निहित धनराशि 11.91 लाख रुपए की वसूली सितम्बर 1998 तक हो चुकी थी।

"नई इकाइयों को व्यापार कर से छूट" विषयक समीक्षा सहित कुछ निदर्शी मामले जिनमें 200.70 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, निम्नलिखित प्रस्तरों में दिये गये हैं:

G-57

2.2 नई इकाइयों को व्यापार कर से छूट

2.2.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत किसी माल का उत्पादन बढ़ाने या उद्योगों के विकास की प्रोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नई स्थापित इकाइयों के लिए विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कर प्रोत्साहन योजनायें चालू किया। योजनाओं द्वारा, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनिर्दिष्ट की जाय, स्वीकृत पात्रता प्रमाण-पत्र धारक निर्माताओं को कर से छूट या कर के दर में कमी, स्वीकृत कर के भुगतान हेतु आस्थगन, कच्चे माल के क्रय पर बिक्री कर या क्रय कर के आरोपण से छूट, ब्याज रहित व्यापार कर ऋण तथा कराधान सम्बन्धित अनेक प्रोत्साहन तथा अनुतोष प्रदान किये गये।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

व्यापार कर विभाग का सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन कमिश्नर व्यापार कर में निहित है। नई औद्योगिक इकाई को प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र (पा0 प्र0) के आधार पर उपलब्ध होता है। सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन उप कमिश्नरों (कार्यपालक) व्यापार कर (39), सहायक कमिश्नरों (कर निर्धारण) व्यापार कर (179) तथा व्यापार कर अधिकारियों (535) के माध्यम से कमिश्नर व्यापार कर द्वारा किया जाता है।

2.2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह सुनिश्चित करने हेतु कि नई औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948, उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 तथा राज्य सरकार एवं कमिश्नर व्यापार कर द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार ही छूट प्रदान की गयी है, 39 प्रशासनिक परिक्षेत्रों में से

16* परिक्षेत्रों के अभिलेखों (विशेष रूप से 1992-93 से 1996-97 तक की अवधि एवं उसके पूर्व निर्गत पात्रता प्रमाण-पत्रों तथा पारित कर निर्धारण वादों) की सितम्बर 1997 से जून 1998 के मध्य नमूना जाँच की गई। दिनांक 1 अक्टूबर 1982 से 31 मार्च 1990 की अवधि से सम्बन्धित छूट के मामलों, जिनका कर निर्धारण 1992-93 के पूर्व किया गया, की भी नमूना जाँच की गयी।

2.2.4 योजनाओं की प्रमुख बातें

समय-समय पर शासन द्वारा व्यवस्थापित योजनाओं की प्रमुख बातें निम्नवत् हैः-

क्रम सं.	योजना	व्यापार कर छूट की राशि	अवधि	सुविधा प्राप्त करने की शर्तें
1.	**1990 की पूर्ववर्ती योजना** 1 अक्टूबर 1982 से 31 मार्च 1990 के मध्य स्थापित नई इकाइयों को छूट	(i) उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से विक्रय आवर्त्त पर व्यापार कर भुगतान से छूट (ii) कच्चे माल, पैकिंग सामग्री आदि की खरीद पर दिनांक 29 जनवरी 85 से कर में विशेष छूट	3 से 7 वर्ष	(i) नई इकाइयों को फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए अथवा पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया हो। (ii) इकाई को एक अवधि में 6 माह से अधिक अवधि के लिए उत्पादन बन्द नहीं करना चाहिए। (iii) इकाई ने मशीनरी, संघटक अथवा पुर्जे, जो पहले प्रयुक्त हुए हों अथवा भारत में किसी फैक्ट्री या कर्मशाला में प्रयोग के लिए अर्जित किये गये हों, का उपयोग न किया हो।

* आगरा (2), इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर (2), लखनऊ (2), मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी (2)

क्रम सं.	योजना	व्यापार कर छूट की राशि	अवधि	सुविधा प्राप्त करने की शर्तें
2.	**1990 की पश्चातवर्ती योजना** 1 अप्रैल 90 से 31 मार्च 95 के मध्य स्थापित नई इकाइयों को कर से छूट/कमी	(i) विक्रय आवर्त्त पर कर से छूट अथवा कम दर से कर देयता (ii) विस्तारीकरण, विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण की भी सुविधा उपलब्ध (iii) कच्चे माल, पैंकिंग सामग्री आदि की खरीद पर कर में विशेष राहत।	8 से 10 वर्ष	(i) नई इकाई लाइसेंस प्राप्त हो अथवा इस सम्बन्ध में आशय पत्र जारी किया गया हो। (ii) कर से छूट/कमी की मौद्रिक सीमा स्थिर पूंजी विनिधान के 125, 150 एवं 175 प्रतिशत तक होगी। (iii) इकाई ने मशीनरी संयन्त्र पुर्जें, उपकरण अथवा संघटक सामान पूर्व में प्रयुक्त हुए, अथवा भारत में किसी फैक्ट्री अथवा कार्यशाला में प्रयोग हेतु अर्जित किये हुए, का उपयोग नहीं किया हो। (iv) दिनांक 31 जुलाई 93 तक 27 उद्योगों एवं 1 अगस्त 93 से 16 उद्योगों को कर से छूट/ कमी की सुविधा अनुमन्य नहीं।

2.2.5 विशेष अंश

(i) 10 मण्डलों में 224 इकाइयों ने छूट अवधि के दौरान अथवा उल्लिखित छूट अवधि की समाप्ति के ठीक बाद अपना व्यापार बन्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इकाइयों ने 35.15 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया।

(प्रस्तर 2.2.7 (ii))

(ii) कर निर्धारण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 5 मण्डलों में 6 इकाइयों से 8.18 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हुई।

(प्रस्तर 2.2.8 (क) (क))

(iii) 4 मण्डलों की 6 इकाइयों को 92.58 लाख रुपये की छूट प्रदान की गयी, यद्यपि कि ये इकाइयाँ उत्पादन कार्य में संलिप्त नहीं थीं।

(प्रस्तर 2.2.8 (क) (ख))

(iv) 2 मण्डलों में करमुक्त माल के उत्पादन में संलिप्त 2 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप 62.43 करोड़ रुपये की अस्वीकार्य छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (i) (क))

(v) 3 मण्डलों में 5 इकाइयों को 2.52 करोड़ रुपये के छूट का लाभ दिया गया यद्यपि ये इकाइयाँ छूट की पात्र नहीं रहीं।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (i) (ख))

(vi) स्थिर पूंजी विनिधान के अनियमित संगणना के कारण 3 मण्डलों में 6 नई इकाइयों को 15.66 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (ii))

(vii) 2 मण्डलों में 6 इकाइयों को जो छूट की हकदार नहीं रहीं, पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप 14.49 करोड़ रुपये की अनियमित छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (iii) (क))

(viii) 2 मण्डलों में 6 इकाइयों को जो अपनी स्थापना के बाद 5 क्रमिक कर निर्धारण वर्षों तक उत्पादन पूरा नहीं की थी, 7.63 करोड़ रुपये की अनियमित छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (iii) (ख))

(ix) 7 मण्डलों में 18 इकाइयों के मामले में कर की संगणना/ समायोजन न करने के परिणामस्वरूप 3.04 करोड़ रुपये की अधिक छूट दी गई।

(प्रस्तर 2.2.8 (ख) (iv))

(x) 6 मण्डलों में पहले से प्रयुक्त या प्रयोग के लिए अर्जित की गई मशीनरी से स्थापित 11 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप 7.59 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

(प्रस्तर 2.2.9 (i))

(xi) 6 मण्डलों में 19 इकाइयों ने बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के भी 5.95 करोड़ रुपये के कर की छूट का दावा किया। ऐसे मामलों में 0.51 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड भी आरोपणीय रहा।

(प्रस्तर 2.2.9 (ii))

(xii) 6 मण्डलों में 7 इकाइयां कच्चे माल के दुरुपयोग हेतु 5.59 करोड़ रुपये अर्थदण्ड की दायी थीं, लेकिन यह आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2.9 (iii))

(xiii) व्यापार कर प्राप्तियों के समाधान न करने के फलस्वरूप 123.55 करोड़ रुपये का कर जमा किया नहीं पाया गया।

(प्रस्तर 2.2.10)

2.2.6 पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने की पद्धति एवं प्रक्रिया

नई औद्योगिक इकाइयों को कर से छूट अथवा रियायत की सुविधा कर निर्धारण अधिकारियों के समक्ष उद्योग विभाग द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र (पा0 प्र0) प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध है। पात्रता प्रमाण-पत्र में निर्मित माल का नाम, स्थिर पूंजी विनिधान, वार्षिक अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता, कर छूट की राशि एवं अवधि जब तक इकाई द्वारा उपयोग किया जाये, का उल्लेख रहता है। 26 दिसम्बर

1985 तक, नोयडा के मामलों को छोड़कर जहां इस उद्देश्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों* द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता था, यह उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जाता था। पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने में व्यापार कर विभाग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही।

तथापि 26 दिसम्बर 1985 से प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया। नई प्रक्रिया के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु विभिन्न स्तरों (जिला/ मण्डलीय/ राज्य स्तरीय) पर गठित कमेटी में व्यापार कर विभाग के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य रखा गया। कर से छूट अथवा कमी की सुविधा हेतु आवश्यक शर्तों के दुरुपयोग अथवा उल्लंघन की दशा में, कमिश्नर पात्रता प्रमाण-पत्र को निरस्त अथवा संशोधित कर सकते थे।

2.2.7 छूट से सम्बन्धित सांख्यकीय आँकड़े

निदेशक, उद्योग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार विभिन्न कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत 31 मार्च 1998 को पात्रता प्रमाण-पत्रों के स्वीकृति की स्थिति निम्नवत रही:-

क्रम सं.	योजना	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	निरस्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	लम्बित प्रार्थना पत्रों की संख्या	निर्गत पात्रता प्रमाण पत्रों की संख्या	छूट का लाभ लेने के बाद बन्द इकाइयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	**1990 की पूर्ववर्ती योजना** (1 अक्टूबर 1982 से 31 मार्च 1990)	7295	1523	25**	5747	611
2.	**1990 की पश्चातवर्ती योजना** (1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1995)	4037	624	602	2811	79
	योग	**11332**	**2147**	**627**	**8558**	**690**

* अध्यक्ष, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

** ये प्रार्थना पत्र न्यायालयों में लम्बित बताये गये।

इस सम्बन्ध में निम्न मन्तव्य है:

(i) आँकड़ों का विभाग से सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि इस अभिप्राय से न तो केन्द्रीयकृत अभिलेख रखे गये थे और न लेखा परीक्षा द्वारा माँगने पर आँकड़े उपलब्ध कराये गये। कमिश्नर ने निर्देश जारी किये (जुलाई 1989 एवं अक्टूबर 1993) कि नई इकाइयों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखे जायें (इकाई का पता, प्रकृति एवं छूट की अवधि, वर्षवार एवं अद्यतन आवर्त्त/ कर, कर से छूट की धनराशि आदि दिखाते हुए) जिससे राज्य के औद्योगीकरण पर नई इकाइयों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। नमूना जाँच से परिलक्षित हुआ कि उक्त रजिस्टर का या तो रख-रखाव नहीं किया गया अथवा सम्पूर्ण विवरण अंकित नहीं किये गये। अतः विभाग नई इकाइयों के राजस्व प्रभाव पर निगरानी नहीं कर सका।

(ii) 8558 इकाइयों में, 690 इकाइयाँ छूट की अवधि के दौरान या छूट की अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद छूट की धनराशि का उपभोग करके बन्द हो गईं। तथापि नमूना जाँच के दौरान 224 बन्द इकाइयों (10 मण्डलों में) के सम्बन्ध में सूचनायें संकलित की गयीं और पाया गया कि ये इकाइयाँ वर्ष 1985-86 से 1997-98 के मध्य 35.15 करोड़ रुपए के कर से छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त बन्द कर दी गयीं जैसा कि नीचे वर्णित है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	छूट अवधि के दौरान बन्द इकाइयों की संख्या	छूट की धनराशि	छूट की अवधि समाप्त होने के उपरान्त बन्द इकाइयों की संख्या	छूट की धनराशि
1.	इलाहाबाद	2	4.58	5	25.77
2.	अलीगढ़	1	9.20	---	---
3.	बरेली	5	47.27	3	11.08
4.	बुलन्दशहर	4	30.02	5	707.84
5.	कानपुर	5	34.40	1	15.35

क्रम सं.	मण्डल का नाम	छूट अवधि के दौरान बन्द इकाइयों की संख्या	छूट की धनराशि	छूट अवधि समाप्त होने के उपरान्त बन्द इकाइयों की संख्या	छूट की धनराशि
6.	लखनऊ	--	---	1	15.96
7.	मेरठ	15	57.58	13	48.80
8.	नोयडा	73	729.65	57	814.31
9.	सहारनपुर	12	181.49	20	774.48
10.	वाराणसी	2	6.76	--	---
	योग	**119**	**1100.95 अर्थात 11.01 करोड़ रुपये**	**105**	**2413.59 अर्थात 24.14 करोड़ रुपये**

कुल योग 35.15 करोड़ रुपए

अधिनियम/ नियमावली में इकाइयों द्वारा इस प्रकार उपभोग की गयी छूट की धनराशि का मुजरा करने हेतु कोई वसूली करने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार बन्द इकाइयों द्वारा कर से छूट का लाभ प्राप्त करने के परिणामस्वरूप उन्हें 35.15 करोड़ रुपए (11.01 करोड़ रुपए + 24.14 करोड़ रुपए) का अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ। अतएव यह सुस्पष्ट है कि औद्योगिक विकास हेतु प्रोत्साहन योजनाओं का उद्देश्य विफल रहा।

2.2.8 (क) 1990 की पूर्ववर्ती योजना

निर्माण न करने वाली इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत माल के निर्माण में संलिप्त

तथा पात्रता प्रमाण-पत्र धारक नई इकाई ही कर से छूट अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की पात्र हैं। कमिश्नर ने निर्देश जारी किये (फरवरी 1985, फरवरी 1987 एवं मई 1987) कि कर से छूट की सुविधा राज्य के औद्योगीकरण में बिना किसी योगदान के केवल तकनीकी आधार पर निर्माण करने वाली इकाइयों को उपलब्ध नहीं होगी। अग्रेतर, राजस्व क्षति से बचने के लिये नियमित सर्वेक्षण किये जायें और नई इकाइयों द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने की दशा में अथवा हकदार न पाये जाने पर जारी पात्रता प्रमाण-पत्र संशोधित/निरस्त कर दिया जाये।

विलम्ब से कर निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप 5 मण्डलों में 6 इकाइयों से 8.18 करोड़ रुपए के कर की वसूली नहीं हुई।

(क) नमूना जांच पर परिलक्षित हुआ कि 5*मण्डलों में 6 इकाइयों के पात्रता प्रमाण-पत्र कमिश्नर द्वारा इस आधार पर निरस्त (जनवरी 1996 एवं मार्च 1998 के मध्य) कर दिये गये कि वे छूट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पायी गयी (मार्च 1994 से सितम्बर 1995 के मध्य)। तथापि इन इकाइयों का वर्ष 1995-96 तक का कर निर्धारण (अप्रैल 1997 और नवम्बर 1997 के मध्य) तब पूर्ण किया गया जब इकाइयों ने व्यापार बन्द कर दिया और उनके विरुद्ध आरोपित कर वसूल नहीं हो सका। उचित समय पर एवं समुचित सर्वेक्षण के बिना इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के फलस्वरूप 1989-90 से 1995-96 तक की अवधि की 8.18 करोड़ रुपये के कर की वसूली नहीं हो सकी।

Pending

4 मण्डलों में 6 इकाइयों को 92.58 लाख रुपये की छूट प्रदान की गयी, यद्यपि ये इकाइयाँ निर्माण कार्य में संलिप्त नहीं थीं।

(ख) 4 व्यापार कर मण्डलों** में यह देखा गया कि 6 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, यद्यपि कि वे निर्माण प्रक्रिया में संलिप्त नहीं थीं और बिना किसी निर्माण प्रक्रिया के माल को बाजार से खरीद कर अथवा समुच्चय के पश्चात बेचा। परिणामस्वरूप 92.58 लाख रुपए की छूट का अनुचित लाभ 1988-89 से 1994-95 की अवधि में दिया गया।

---

* आगरा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ एवं नोएडा

** गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं वाराणसी

(ख) 1990 की पश्चातवर्ती योजना

(i) अपात्र इकाइयों को कर से छूट

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क एवं इसके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गयी विज्ञप्तियों के प्रावधानों के अन्तर्गत नई इकाई को कर से छूट अथवा कर की दर में कमी केवल उन्हीं वस्तुओं के निर्माण के लिए स्वीकार्य है जो कर योग्य हैं। न्यायिक रूप से यह निर्णीत* है कि चीनी (कर मुक्त माल) के निर्माण में संलिप्त इकाई शीरा/बैगास (चीनी के उप-उत्पाद या समनुषंगी) की बिक्री पर कर से छूट के लिए किसी पात्रता प्रमाण-पत्र की हकदार नहीं हैं। कमिश्नर ने भी उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में कार्यवाही करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये (दिसम्बर 1989)।

2 मण्डलों में कर मुक्त वस्तु बनाने वाली 2 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने के फलस्वरूप 62.43 करोड़ रुपये की अस्वीकार्य छूट दी गयी।

नमूना जाँच में प्रकाश में आया कि 2 मण्डलों (मुरादाबाद और मेरठ) की 2 इकाइयों को शीरा तथा बैगास की बिक्री पर कर से छूट के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये (फरवरी 1995 तथा जनवरी 1996)। अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण न करने और विभागीय निर्देशों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप 62.43 करोड़ रुपये की अस्वीकार्य छूट दी गयी जैसा कि नीचे दर्शित है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	छूट की अवधि	छूट की धनराशि
1.	व्यापार कर अधिकारी, हसनपुर (मुरादाबाद)	सर्वश्री ओसवाल एग्रोमिल्स लि0, धनौरा, मुरादाबाद	19 नवम्बर 1994 से 18 नवम्बर 2003	32.43
2.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–3, मेरठ	सर्वश्री वीनस शुगर लि0 मझावली, मुरादाबाद	3 अगस्त 1992 से 2 अगस्त 2001	30.00
	योग			**62.43**

* सर्वश्री किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड नैनीताल बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य (एस0 टी0 आई0 1989-इला0 उ0 न्या0-294)

लेखा परीक्षा में इसे इंगित करने पर विभाग ने बताया (मई 1998) कि पात्रता प्रमाण-पत्रों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

3 मण्डलों में 5 इकाइयों को 2.52 करोड़ रुपये की छूट प्रदान की गयी, यद्यपि ये इकाइयाँ छूट के योग्य नहीं थीं।

(ख) राज्य विज्ञप्ति दिनांक 27 जुलाई 1991 के अनुलग्नक II के अनुसार 1 अप्रैल 1990 एवं 31 मार्च 1995 के मध्य स्थापित 27 उद्योग कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा के हकदार नहीं थे। नमूना जांच में पाया गया कि 3 व्यापार कर मण्डलों (मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी) में 5 इकाइयों को (धूम्ररहित कोल एवं टाफी के निर्माता) यद्यपि, इस सुविधा की पात्र नहीं थी, कर में छूट/कमी स्वीकृत की गयी। फलस्वरूप 2.52 करोड़ रुपये का अनियमित लाभ प्रदान किया गया जैसा कि नीचे दर्शित है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	छूट की अवधि	छूट की धनराशि
1.	स0क0 (क0नि0) 2, मुरादाबाद	सर्वश्री आर0 के0 कोल प्रा0 लि0, मुरादाबाद	6 जनवरी 1993 से 5 जनवरी 2002	80.54
2.	स0क0 (क0नि0) 2, वाराणसी	सर्वश्री वरेलिया कोल इन्डस्ट्रीज, वाराणसी	29 अक्टूबर 1993 से 28 अक्टूबर 2003	66.83
3.	स0क0 (क0नि0) 4, वाराणसी	सर्वश्री अग्रवाल कोल इन्डस्ट्रीज, वाराणसी	18 मार्च 1995 से 17 मार्च 2005	59.63
4.	स0क0 (क0नि0) 3, वाराणसी	सर्वश्री रामको कन्फेक्शनरी प्रा0 लि0, वाराणसी	9 अगस्त 1993 से 8 अगस्त 2001	17.60
5.	स0क0 (क0नि0) 3, मेरठ	सर्वश्री वर्षा कन्फेक्शनरी प्रा0 लि0, मेरठ	27 जून 1991 से 26 जून 1999	27.06
	योग			**251.66**

(ii) स्थिर पूंजी विनिधान की गलत संगणना से अधिक छूट

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क सपठित राज्य विज्ञप्ति दिनांकित 27 जुलाई 1991 के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1990 और 31 मार्च 1995 के मध्य स्थापित नई इकाई को कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा ऐसे माल के निर्माण हेतु है जिस पर कर देयता है। कर से छूट/कमी की सीमा, कर से छूट/कमी प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व में अर्जित किए गये स्थिर पूंजी विनिधान के आधार पर निर्धारित की जाती है। स्थिर पूंजी विनिधान में भूमि, भवन तथा संयन्त्र व मशीनरी में किये गए ऐसे विनिधान सम्मिलित हैं जो इकाई के कारखाना या कार्यशाला को स्थापित करने या चलाने हेतु आवश्यक हैं।

(क) व्यापार कर मण्डल, गाजियाबाद में यह संज्ञान में आया कि एक इकाई (सर्वश्री विनियोगा क्लाथ लि0, गाजियाबाद) को निटिंग काटन फैब्रिक्स एवं तैयार परिधान के निर्माण हेतु 2 फरवरी 1994 से 1 फरवरी 2002 तक की अवधि हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया (फरवरी 1998)। छूट/कमी की मौद्रिक सीमा 14.98 करोड़ रुपये स्थिर पूंजी विनिधान के आधार पर दी गयी (स्थिर पूंजी विनिधान की धनराशि के एक सौ प्रतिशत)। स्थिर पूंजी विनिधान में 11.57 करोड़ रुपये निटिंग काटन फैब्रिक्स (एक करमुक्त माल) के निर्माण हेतु आवश्यक मशीनरी के मद में सम्मिलित रहा जो छूट/ कमी हेतु स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकार 11.57 करोड़ रुपये की छूट/ कमी अनियमित रही।

स्थिर पूंजी विनिधान की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण 3 मण्डलों में 6 नई औद्योगिक इकाइयों को 15.66 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ दिया गया।

(ख) व्यापार कर मण्डल, लखनऊ में एक इकाई (मैसर्स राजश्री गैसेज लिमिटेड, लखनऊ) को आर्गोन (गैस) के निर्माण हेतु 23 नवम्बर 1993 से 22 नवम्बर 2003 की अवधि हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया और कर से छूट/कमी की मौद्रिक सीमा 41.10 करोड़ रुपये, स्थिर पूंजी विनिधान 27.40 करोड़ रुपये के एक सौ पचास प्रतिशत तक थी। नमूना जाँच में संज्ञान में आया कि स्थिर पूंजी विनिधान में 2.17 करोड़ रुपये का निवेश, छूट/कमी प्रारम्भ होने के बाद (23 नवम्बर 1993) 10 दिसम्बर 1993 से 9 फरवरी 1994 की अवधि में लगाई गयी मशीनरी (उपष्कर एवं संघटक) के मद का सम्मिलित था। अनानुमन्य विनिधान स्वीकृत करने के फलस्वरूप इकाई को 3.25 करोड़ रुपये धनराशि की छूट/ कमी का अनुचित लाभ दिया गया।

(ग) राज्य विज्ञप्ति दिनांकित 27 जुलाई 1991 के अनुसार लघु स्तरीय इकाइयों (जिनका स्थिर पूंजी विनिधान 60 लाख रुपये से अधिक न हो) को स्थिर पूंजी विनिधान के एक सौ पचास प्रतिशत तक और अन्य इकाइयों के मामले में स्थिर पूंजी विनिधान के 125 प्रतिशत तक कर से छूट या कर की दर में कमी की मौद्रिक सीमा अनुमन्य है।

नोएडा मण्डल में नमूना जाँच में संज्ञान में आया कि 4 औद्योगिक इकाइयों को जिनका स्थिर पूंजी विनिधान 60 लाख रुपये से अधिक रहा, लघु स्तरीय इकाइयाँ मानते हुए स्थिर पूंजी विनिधान के 125 प्रतिशत के बजाय 150 प्रतिशत तक की कर से छूट/कमी की मौद्रिक सीमा की अनुमति देते हुए पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 3.37 करोड़ रुपये के स्थिर पूंजी विनिधान के 25 प्रतिशत तक 84 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान की गई जैसा कि नीचे दर्शित है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	छूट की अवधि	छूट की धनराशि
1.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4, नोयडा	सर्वश्री फिक्सवेल फुटवियर प्रा0 लि0, नोयडा	31 अगस्त 1992 से 30 अगस्त 2001	28.28
2.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4, नोयडा	सर्वश्री केलविन रबर्स लि0, नोयडा	24 सितम्बर 1992 से 23 सितम्बर 2001	17.03
3.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4, नोयडा	सर्वश्री टेक्नो फोटो प्रा0 लि0, नोयडा	20 अप्रैल 1992 से 19 अप्रैल 2001	16.53
4.	स0क0 (क0नि0) 4, नोयडा	सर्वश्री वीरमानी स्टील स्ट्रिप्स लि0, नोयडा	29 मई 1991 से 28 मई 2000	22.48
	योग			**84.32** यथा **84** लाख रुपए

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया (अप्रैल 1998) कि प्रकरण को उच्च अधिकारियों तक लाया जा चुका है।

(iii) अनियमित छूट

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ककककक के अन्तर्गत क्रय किए गये कच्ची खाल या चमड़े को परिष्कृत या परिशोधन करने के पश्चात परिष्कृत खाल और चमड़े या परिशोधित चमड़े की बिक्री, एक ही रूप एवं दशा में की गई मानी जाएगी। अतएव चमड़े के परिशोधन में लगी इकाई निर्माता इकाई नहीं है और कर से छूट अथवा कर की दर में कमी हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की हकदार नहीं है।

2 मण्डलों में 6 इकाइयों को, जो छूट की हकदार नहीं थीं, पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 14.49 करोड़ रुपये की गलत छूट दी गयी।

2 व्यापार कर मण्डलों (आगरा एवं कानपुर) में यह संज्ञान में आया कि 6 नई इकाईयों को परिशोधित (फिनिश्ड) चमड़े की बिक्री पर कर से छूट या कर की दर में कमी हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया यद्यपि अधिनियम के अधीन इसमें कोई निर्माण प्रक्रिया अन्तर्ग्रस्त नहीं थी। चूंकि ये इकाइयां कच्ची खाल एवं चमडे की खरीद पर कर मुक्ति का लाभ प्राप्त कर रही थीं, अतएव बिक्री पर छूट की सुविधा की पात्र नहीं थीं। इन इकाइयों को छूट की स्वीकृति त्रुटिपूर्ण रही, जिसके फलस्वरूप 14.49 करोड़ रुपये की अनुचित छूट प्रदान की गयी जैसा कि नीचे दर्शित है:-

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	छूट की अवधि	छूट की धनराशि
1.	स0क0 (क0नि0)–5, कानपुर	सर्वश्री प्राची लेदर प्रा0 लि0, कानपुर	19 फरवरी 1996 से 18 फरवरी 2008	974.97
2.	स0क0 (क0नि0)–14, कानपुर	सर्वश्री मिर्जा टैनर्स लि0, कानपुर	26 मार्च 1995 से 30 मार्च 2004	173.98
3.	स0क0 (क0नि0)–2, कानपुर	सर्वश्री होमेरा टैनिंग इन्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, कानपुर	22 जनवरी 1996 से 21 जनवरी 2004	71.15

क्रम सं.	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	छूट की अवधि	छूट की धनराशि
4.	स0क0 (क0नि0)–13, कानपुर	सर्वश्री सिकन्दर टैनर्स लि0, कानपुर	25 जनवरी 1995 से 24 जनवरी 2003	66.86
5.	स0क0 (क0नि0)–17, कानपुर	सर्वश्री जाज सन्स प्रा0 लि0, कानपुर	26 अगस्त 1991 से 25 अगस्त 1999	45.35
6.	स0क0 (क0नि0)–8, आगरा	सर्वश्री रोजर एक्सपोर्ट्स् प्रा0 लि0, मथुरा	4 अक्टूबर 1991 से 3 अक्टूबर 2000	116.67
	योग			**1448.98 यथा 14.49 करोड़ रुपए**

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क सपठित शासकीय अधिसूचना दिनांकित 27 जुलाई 1991 के अन्तर्गत उस नई इकाई को जिसने 1 अप्रैल 1990 को या बाद में विस्तारीकरण किया है, निर्मित माल की बिक्री पर कर से छूट या कर की दर में कमी तभी अनुमन्य होगी जब उत्पादन क्षमता आधारभूत उत्पादन से 25 प्रतिशत बढ़ गई हो तथा कम से कम पचीस प्रतिशत अतिरिक्त स्थाई पूंजी विनियोजन किया गया हो। अग्रेतर, आयुक्त के परिपत्र दिनांकित 26 सितम्बर 1996 के अनुसार अपनी स्थापना के पश्चात पूर्ववर्ती, पाँच क्रमिक कर निर्धारण वर्षों तक उत्पादन पूर्ण होने की अवधि से पूर्व विस्तारीकरण करने वाली इकाई छूट की हकदार नहीं होगी।

2 व्यापार कर मण्डलों (गाजियाबाद एवं कानुपर), में यह पाया गया कि 6 इकाइयाँ, जिन्होंने अपनी स्थापना के पश्चात अपने उत्पादन के पाँच क्रमिक कर निर्धारण वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं की थी, को पात्रता प्रमाण-पत्र अगस्त 1993 से अगस्त 1996 की अवधि में प्रदान किये गये। इसके

2 मण्डलों में 6 इकाइयों को जिन्होंने अपनी स्थापना के पश्चात अपने उत्पादन के पाँच क्रमिक कर निर्धारण वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं की थीं, 7.63 करोड़ रुपये की अनियमित छूट दी गई।

परिणामस्वरूप 7.63 करोड़ रुपए की धनराशि की अनियमित छूट/कमी दी गयी जैसा कि नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	इकाई का नाम	छूट की अवधि	छूट की धनराशि
1.	स०क० (क०नि०) –5, कानपुर	सर्वश्री प्रापीन प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, कानपुर	24 मार्च 1993 से 23 मार्च 2000	478.81
2.	स०क० (क०नि०) –5, कानपुर	सर्वश्री नेट प्लास्ट लि०, कानपुर	1 जनवरी 1992 से 31 दिसम्बर 1999	11.07
3.	स०क० (क०नि०) –11, गाजियाबाद	सर्वश्री के.आर. फूड्स लि०, गाजियाबाद	17 अक्टूबर 1994 से 16 अक्टूबर 2002	96.42
4.	स०क० (क०नि०) –11, गाजियाबाद	सर्वश्री विजय प्लास्टिक, गाजियाबाद	19 जुलाई 1993 से 18 जुलाई 2001	52.80
5.	स०क० (क०नि०) –11, गाजियाबाद	सर्वश्री अप्सरा फूड इन्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	28 अगस्त 1991 से 27 अगस्त 1999	34.30
6.	स०क० (क०नि०) –6, गाजियाबाद	सर्वश्री यू० पी० सीरेमिक्स एण्ड पाटरीज लि०, गाजियाबाद	27 सितम्बर 1994 से 26 सितम्बर 2002	89.15
	योग			**762.55 यथा 7.63 करोड़ रुपये**

(iv) कर की संगणना/समायोजन न किया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांकित 27 जुलाई 1991 के अन्तर्गत पात्रता प्रमाण-पत्र धारक नई इकाई (1 अप्रैल 1990 एवं 31 मार्च 1995 के मध्य स्थापित) द्वारा की गयी माल की बिक्री पर विनिर्दिष्ट अवधि तथा मौद्रिक सीमा तक कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा अनुमन्य है।

कर की संगणना/ समायोजन न किये जाने के फलस्वरूप 3.04 करोड़ रुपये की अधिक छूट/ कमी का लाभ दिया गया।

7 व्यापार कर मण्डलों* में, यह संज्ञान में आया कि पात्रता प्रमाण-पत्र धारक 18 इकाइयाँ उसमें दिए गये माल के निर्माण और बिक्री हेतु 47.01 करोड़ रुपये की मौद्रिक सीमा तक कर से छूट या कर की दर में कमी की हकदार थीं। तथापि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वर्ष 1991-92 से 1995-96 की अवधि हेतु 74.01 करोड़ रुपये के विक्रय धन पर 3.04 करोड़ रुपये का कर उन इकाइयों के कर से छूट/ कमी की मौद्रिक सीमा के विरुद्ध संगणित/ समायोजित नहीं किया गया। कर की संगणना तथा समायोजन न करने के फलस्वरूप इकाइयों को 3.04 करोड़ रुपये की अधिक छूट/ कमी दी गई।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया गया कि कर की संगणना न करने तथा समायोजन न करने के प्रभाव को ठीक करने के लिए कर निर्धारण आदेशों को संशोधित कर दिया जाएगा।

2.2.9 (i) पुरानी मशीनरी प्रयोग करने वाली इकाइयों को अनियमित छूट

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत कोई नई इकाई, यदि वह ऐसी मशीनरी (साज-सज्जा, संयन्त्र, सह-सामान, संघटक) जो पहले से ही प्रयुक्त है अथवा भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में प्रयोग के लिए अर्जित की गयी है, का प्रयोग करती है वह कर से छूट/ कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त करने की पात्र नहीं है। इकाई पुरानी मशीनरी द्वारा स्थापित नहीं है, इसकी समुचित जांच विभाग द्वारा सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

---

* आगरा, बरेली, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ एवं मुजफ्फरनगर

6 व्यापार कर मण्डलों* में यह देखा गया कि 11 इकाइयों को जो पहले ही प्रयुक्त अथवा भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में प्रयोग हेतु अर्जित मशीनरी से स्थापित रहीं, कर से छूट/कर में कमी हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये। पात्रता प्रमाण-पत्र के निर्गमन में अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के फलस्वरूप उक्त इकाइयों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री पर वर्ष 1988-89 से 1997-98 के दौरान 7.59 करोड़ रुपये के आरोपणीय कर की राजस्व क्षति हुई।

> ***6 मण्डलों में 11 इकाइयाँ जो पहले ही प्रयुक्त अथवा भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में प्रयोग हेतु अर्जित मशीनरी से स्थापित रहीं, को पात्रता प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप 7.59 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।***

(ii) पात्रता प्रमाण-पत्र के बिना छूट

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क के अन्तर्गत किसी नई औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित माल की बिक्री पर कतिपय शर्तों के पूर्ण होने पर विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कर से छूट/कर की दर में कमी की व्यवस्था की गयी है। जहाँ इकाई कर से छूट/कर में कमी की पात्र नहीं है, अन्तिम कर निर्धारण आदेश या अर्थदण्ड आरोपण हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त ने सभी कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया (4 मार्च 1985 एवं 20 नवम्बर 1991)। स्वीकृत कर न अदा करने की स्थिति में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

6 व्यापार कर मण्डलों** में यह देखा गया कि पात्रता प्रमाण-पत्र के न होते हुए भी कर अदायगी के बिना 19 नई औद्योगिक इकाइयाँ व्यापार चालू रखीं। इन इकाइयों के विरुद्ध वर्ष 1987-88 से 1994-95 की अवधि हेतु एक से तीन वर्ष के विलम्ब से, जबकि वे व्यापार बन्द कर गायब हो गयीं, कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड आरोपण हेतु कार्यवाही की गयी। समय से कर निर्धारण की कार्यवाही किये जाने में विफलता अथवा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के फलस्वरूप 6.46 करोड़ रुपये (कर 5.95 करोड़ रुपये + अर्थदण्ड 0.51 करोड़ रुपये) के राजस्व की क्षति हुयी।

> ***6 मण्डलों में 19 इकाइयों ने बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के ही 5.95 करोड़ रुपये की कर से छूट प्राप्त कीं।***

* गाजियाबाद, कानपुर (ए) एवं (बी), लखनऊ, मुरादाबाद एवं वाराणसी

** गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोयडा एवं वाराणसी

(iii) मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति/कच्चे माल का दुरुपयोग

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 31 दिसम्बर 1976 और 29 अगस्त 1987 के अन्तर्गत व्यापारियों को कतिपय शर्तों के पूर्ण होने पर विज्ञापित माल के निर्माण में अपेक्षित कच्चा माल, पैकिंग सामग्री इत्यादि के क्रय पर कर में विशेष राहत प्रदान की गयी है। यदि कच्चे माल पैकिंग सामग्री का प्रयोग विज्ञापित माल के निर्माण में नहीं किया जाता है तो व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की राशि से कम न होगी परन्तु उस राशि के तीन गुने से अधिक भी न होगी। आयुक्त के परिपत्र दिनांक 17 मई 1983 के अनुसार अर्थदण्ड आरोपण के समय ब्याज को भी ध्यान में रखना चाहिए।

6 मण्डलों में 7 इकाइयों पर जो कच्चे माल के दुरुपयोग हेतु 5.59 करोड़ रुपये अर्थदण्ड की दायी थी, अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

व्यापार कर के 6 मण्डलों* में यह देखा गया कि मान्यता प्रमाण-पत्र धारक 7 इकाइयाँ उसमें निर्दिष्ट माल के निर्माण हेतु वर्ष 1988-89 से 1995-96 के दौरान 77.55 करोड़ रुपये का कच्चा माल कर मुक्त क्रय किया और उसका निर्माण में प्रयोग न करके अन्यथा निस्तारण कर दिया। अतः इकाइयाँ 5.59 करोड़ रुपये अर्थदण्ड (2.94 करोड़ रुपये ब्याज सम्मिलित कर) की देनदार रहीं जिसे विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	मण्डल का नाम	नई इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रीत माल का मूल्य	कर में प्राप्त राहत की राशि	अर्थदण्ड की कुल राशि
1.	स0क0 (क0नि0), बुलन्दशहर	सर्वश्री विलेज स्टील ट्यूब प्रा0 लि0, बुलन्दशहर	1992-93 से 1995-96	6111.51	197.86	412.46

* आगरा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ एवं नोयडा

क्रम सं.	मण्डल का नाम	नई इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रीत माल का मूल्य	कर में प्राप्त राहत की राशि	अर्थदण्ड की कुल राशि
2.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–2, नोयडा	सर्वश्री नवनीत इन्जीनियरिंग प्रा0 लि0, नोयडा	1988-89 से 1994-95	634.16	25.37	54.33
3.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–5, नोयडा	सर्वश्री बन्सल फोर्जिंग्स प्रा0 लि0, मेरठ	1993-94 एवं 1994-95	602.43	24.10	48.28
4.	स0क0 (क0नि0) –8 आगरा	सर्वश्री भगवान आयल इन्डस्ट्रीज, आगरा	1990-91 से 1993-94	265.63	9.83	24.03
5.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–10, आगरा	सर्वश्री के0जे0 इलेक्ट्रोड्स, आगरा	1993-94	28.83	1.15	2.23
6.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–11, लखनऊ	सर्वश्री लखनऊ फोम इन्डस्ट्रीज, लखनऊ	1990-91 से 1993-94	61.18	6.03	13.92
7.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–9, गाजियाबाद	सर्वश्री कल्पतरु उद्योग, गाजियाबाद	1985-86 से 1987-88	50.98	2.04	3.85
	योग			**7754.72**	**266.38**	**559.10 यथा 5.59 करोड़ रुपए**

2.2.10 कर प्राप्तियों का समाधान न किया जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-क एवं 8 (2-क) के अधीन शासन ने कर से छूट/कर की दर में कमी की योजना के विकल्प में देय व्यापार कर राशि के भुगतान के आस्थगन हेतु एक योजना प्रारम्भ किया (अक्टूबर 1995)। यह धनराशि नकद न देकर ब्याज रहित ऋण के रूप में दी जानी थी। इस उद्देश्य के लिये शासन द्वारा दो अभिकरणों यथा (i) प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन उ0प्र0 (पिकप) एवं (ii) उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कार्पोरेशन (यू0पी0एफ0सी0) को देय व्यापार कर की धनराशि के समतुल्य निधि का अग्रिम भुगतान किया जाना था जो मुख्य लेखा शीर्ष "सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम" के नामे डाला जायेगा। अग्रिम प्राप्ति के उपरान्त, इस धनराशि को पुस्तक समायोजन द्वारा व्यापार कर के तदनुरूप प्राप्ति शीर्ष में दिखाया जाना था। उद्योग विभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्रविष्ट आंकड़ों का समाधान करने के लिये उत्तरदायी था।

यह देखा गया कि शासन द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में 123.55 करोड़ रुपये के ऋण उद्योग विभाग को इस निर्देश के साथ स्वीकृत किये गये कि इसे पिकप एवं यू0पी0एफ0सी0 के माध्यम से व्यापार कर विभाग के नामें डाला जाये, परन्तु व्यापार कर के निर्दिष्ट उपशीर्ष के अन्तर्गत यह जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग द्वारा न तो इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख रखा गया और न ही इन आंकड़ों का समाधान किया गया। इस प्राप्ति को व्यापार कर के उपशीर्ष के अन्तर्गत प्रविष्ट न करने के फलस्वरूप 123.55 करोड़ रुपये का राजस्व जमा नहीं हुआ।

ये मामले विभाग एवं शासन को (अगस्त 1998) संदर्भित किये गये थे, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

G-4

2.3 जीरोग्राफिक मशीन पर कम दर से करारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत डुप्लीकेटिंग मशीनों आदि पर 7 सितम्बर 1981 से 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त 1990 से कर पर 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय था। न्यायिक* मतानुसार जीराक्स मशीन, डुप्लीकेटिंग मशीन है।

* सर्वश्री भोजी प्रोडक्ट बनाम गुजरात सरकार (1992) 84-3 पी0 सी0 328 (गुजरात)

> ***जीरोग्राफिक मशीनों की बिक्री पर 15.68 करोड़ रुपये का व्यापार कर कम आरोपित किया गया।***

सहायक कमिश्नर (क0 नि0), व्यापार कर, रामपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1997 एवं अप्रैल 1998) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 की अवधि में स्वनिर्मित जीरोग्राफिक मशीन की बिक्री 40.26 करोड़ रुपये में की। इस बिक्री पर सही दर 15 प्रतिशत (अतिरिक्त कर के साथ) के स्थान पर 30 सितम्बर 1994 तक 3.75 प्रतिशत की दर से एवं उसके बाद 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप 15.68 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

मामले को विभाग एवं शासन को (जून 1997) प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2.4 माल के गलत वर्गीकरण से कर का अनारोपण/कम आरोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय-समय पर विज्ञापित दर से कर का आरोपण किया जाता है। ऐसे माल की बिक्री जिन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है, पर 7 सितम्बर 1981 से 8 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त 1 अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

> ***माल का सही वर्गीकरण न करने के फलस्वरूप 3.73 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।***

15 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा (जुलाई 1996 से जनवरी 1998 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर की सही दरें नहीं अपनायी गयीं जिसके फलस्वरूप 3.73 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित किया गया। विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

(लाख रुपये में)

	क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरो–पणीय कर की दर	आरो–पित कर की दर	कम आरोपित कर
G-23	1.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–8 व्यापार कर, गाजियाबाद	1991-92 एवं 1992-93	फिगर्ड ग्लास	316.83	15	10	15.84
G-13	2.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–3 व्यापार कर, वाराणसी	1992-93	स्किम्ड मिल्क	75.29	7.5	--	5.65
G-13	3.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–5 व्यापार कर, गाजियाबाद	1993-94	रिफाइन्ड मस्टर्ड आयल	1133.00	10	2.5	84.97
G-27	4.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–1 व्यापार कर, मेरठ	1993-94 एवं 1994-95	रिफाइन्ड सोयाबीन आयल	373.57	10	2.5	28.02
	टिप्पणी: विभाग ने कर निर्धारण आदेश संशोधित कर दिया और 28.02 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित की।							
G-34	5.	व्यापार कर अधिकारी, मोदीनगर	1991-92 से 1993-94	स्पान्ज आयरन	2056.77	10	4	123.40
	टिप्पणी: विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 1991–92 का आदेश संशोधित कर दिया और 38.79 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी।							
G-35	6.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–2 व्यापार कर, कानपुर	1991-92 से 1993-94	लिक्विड ग्लूकोज	92.80	10	7.5	2.32

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	आरो– पणीय कर की दर	आरो– पित कर की दर	कम आरोपित कर
7.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)– व्यापार कर, नोयडा	1993-94	आइसक्रीम	28.97	10	6.25	1.09
8.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–13 व्यापार कर, कानपुर	1993-94 एवं 1994-95	लिक्विड ग्लूकोज	60.78	10	7.5	1.52
9.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–1 व्यापार कर, हापुड़	1993-94 एवं 1994-95	–तदैव–	78.71	10	7.5	1.97
10.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–4 व्यापार कर, गाजियाबाद	1993-94	शीट मेटल कम्पोनेन्ट्स	131.78	10	5	6.59
11.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0) व्यापार कर, ऋषीकेष	1993-94	रिफाइन्ड आयल	146.14	10	2.5	10.96
12.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3, मथुरा	1991-92	कापर वायर बार	39.94	10	5	2.00
13.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–1, बरेली	1991-92 एवं 1992-93	फैब्रीकेटेड गुड्स	22.03	10	6.25	0.83
14.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–2 व्यापार कर, लखनऊ	1993-94	बेबी डिपर	36.29	10	5	1.81
15.	सहायक कमिश्नर (क0 नि0)–2 व्यापार कर, मेरठ	1992-93 से 1995-96	मोनो फिलामेण्ट यार्न	1151.32	10	2.5	86.35
	योग						**373.32**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने क्रम संख्या 4 एवं 5 पर अंकित मामलों में कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित कर 66.81 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दिया है।

मामले शासन को (जनवरी 1997 और अप्रैल 1998 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2.5 मान्यता प्रमाण-पत्र की अनियमित स्वीकृति

(क) शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त 1987 के साथ पठित उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन विज्ञापित मालों (कागज, कत्था, दियासलाई आदि को छोड़कर) के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद में निर्माताओं को कर में विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। तथापि अधिनियम के अन्तर्गत यदि निर्मित माल करारोपण से मुक्त है तो उसे कर में राहत का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जीवन रक्षक औषधियाँ अधिनियम के अन्तर्गत करारोपण से मुक्त हैं तथा न्यायिक रूप से यह निर्णीत है कि क्राफ्ट पेपर कागज की श्रेणी में आता है।

गलत मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के फलस्वरूप 40.72 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण) व्यापार कर, फैजाबाद एवं ऋषीकेश की लेखा परीक्षा (जुलाई 1997 से जनवरी 1998 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में दो व्यापारियों द्वारा निर्मित माल मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने हेतु विज्ञापित नहीं थे। तथापि विभाग ने व्यापारियों को रियायती दर/कर मुक्त दर पर कच्चा माल क्रय करने हेतु अधिकृत करते हुए मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया, जिसके फलस्वरूप 40.72 लाख रुपये के राजस्व की क्षति हुई।

मामला विभाग एवं शासन को (अक्टूबर 1997 एवं अप्रैल 1998) प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

(ख) शासकीय विज्ञप्ति* दिनांक 29 अगस्त 1987 के साथ पठित व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 4-ख, साल्वेन्ट निष्कर्षण विधि द्वारा निष्कर्षित तेल के निर्माण में वांछित कच्चे माल की खरीद पर विशेष राहत प्रदान करती है। मान्यता प्रमाण-पत्र धारक निर्माताओं द्वारा खरीद कर

* एस0 टी0-II-4519/X दिनांक 29-8-87

मुक्त की जा सकती है। शासकीय विज्ञप्ति* दिनांक 31 मार्च 1992 द्वारा यह सुविधा वापस ले ली गयी थी। तत्पश्चात दिनांक 31 जुलाई 1992 तक एवं 1 अगस्त 1992** से क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत की रियायती दर से कच्चे माल की खरीद की जा सकती थी।

सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण)-4 व्यापार कर, लखनऊ की लेखा परीक्षा (जुलाई 1997) के दौरान पाया गया कि एक व्यापारी वर्ष 1992-93 में साल्वेन्ट निष्कर्षण विधि द्वारा तेल के निर्माण हेतु 199.72 लाख रुपये मूल्य का राइस ब्रान प्रपत्र III - ख के विरुद्ध कर मुक्त क्रय किया। व्यापारी राइस ब्रान की खरीद पर 31 जुलाई 1992 तक 5 प्रतिशत (अतिरिक्त कर सहित) की दर से एवं उसके बाद 2.5 प्रतिशत की दर से कर का देनदार था। तथापि 31 मार्च 1992 एवं 31 जुलाई 1992 को जारी विज्ञप्तियों के अनुसार चूंकि मान्यता प्रमाण-पत्र संशोधित नहीं किया गया, व्यापारी राइस ब्रान की खरीद पर अनुचित कर मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। इसके फलस्वरूप 5.01 लाख रुपये राजस्व की क्षति हुई।

मामला विभाग एवं शासन को (अक्टूबर 1997) प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

(ग) शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त 1987 के साथ पठित उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ख के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन विज्ञापित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीद पर मान्यता प्रमाण-पत्र धारक निर्माताओं को कोई कर न देने का प्रावधान किया गया है। विज्ञप्ति में इंगित माल से भिन्न वस्तुओं के निर्माण की दशा में मान्यता प्रमाण-पत्र धारक निर्माता कच्चा माल रियायती दर से खरीद सकता है।

5 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा (अक्टूबर 1996 एवं दिसम्बर 1997 के मध्य) के दौरान यह देखा गया कि व्यापारियों द्वारा निर्मित माल हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये कच्चे माल (उपभोज्य सामग्री) की रियायती दर पर खरीद के लिये ही विज्ञापित किये गये थे। विभाग ने तथापि ऐसे कच्चे माल एवं उपभोज्य सामग्री की कर मुक्त खरीद हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। इसके फलस्वरूप 18.67 लाख रुपये के राजस्व की क्षति हुई। विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

* एस0 टी0-II- 122/XI दिनांक 31-3-92

** एस0 टी0-II- 3098/XI दिनांक 31-7-92

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्मित वस्तु हेतु मान्यता प्रमाणपत्र	कर मुक्त क्रय कच्चा माल	माल का मूल्य	क्षति
1.	व्यापार कर अधिकारी, बिजनौर	1991-92 से 1994-95	आयरन इन्गट्स	रिफ्रैक्ट–रीज एवं सी.आई. मोल्ड्स	16.36	0.80
2.	व्यापार कर अधिकारी, मुगलसराय	1992-93	सी.आई. स्लीपर्स	पिग आयरन	82.05	3.28
3.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–13 व्यापार कर, कानपुर	1992-93 एवं 1993-94	रबर सल्यूशन	रा रबर	61.28	3.06
4.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–10 व्यापार कर, आगरा	1989-90 से 1992-93	रबर सल्यूशन	रा रबर	82.20	4.11
5.	सहायक कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, इलाहाबाद	1992-93	आटा, मैदा एवं सूजी	गेहूं	371.42	7.42
	योग					**18.67**

मामले विभाग एवं शासन को (फरवरी 1997 एवं दिसम्बर 1997 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2.6 अर्थदण्ड का अनारोपण-अन्तर्गत

क. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम

1. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 सपठित शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 29 अगस्त 1987 में निहित कुछ शर्तों को पूरा करने पर, विज्ञापित मालों के निर्माण में प्रयोग करने हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर निर्माताओं को कर में विशेष राहत का प्रावधान है। कच्चे माल का प्रयोग मान्यता प्रमाण-पत्र में वर्णित वस्तुओं के निर्माण में न करके अन्यथा निस्तारण किये जाने की दशा में व्यापारी ऐसी धनराशि अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करने का दायी होगा, जो उसके द्वारा कर में प्राप्त राहत की राशि से कम न होगी, परन्तु उस राशि के तीन गुने से अधिक भी न होगी।

5 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 1994 और जून 1997 के मध्य) कि विज्ञापित माल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक व्यापारियों ने पूर्ण कर मुक्त/रियायती दर पर कच्चे माल का क्रय कर उसका उपयोग अन्यथा उद्देश्यों में किया। अतएव ऐसे व्यापारी 139.61 लाख रुपये अर्थदण्ड के दायी थे। विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्माणार्थ वस्तु हेतु मान्यता प्रमाण पत्र	क्रय किये गये कच्चे माल का नाम	पूर्ण कर मुक्त/ रियायती दर	माल का मूल्य	माल का अन्यथा प्रयोग/ बिक्री	आरो–पणीय अर्थदण्ड
1.	व्यापार कर अधिकारी, हरिद्वार	1992-93	पत्ती, प्लेट, चैनल एवं गार्डर	एम.एस. इन्गटस	करमुक्त	283.19	सरिया	11.33
2.	स0क0 (क0नि0) 4 व्यापार कर, नोएडा	1991-92	मेटलाइज्ड प्लास्टिक	पालिस्टर फाइबर	करमुक्त	620.22	मेटलाइज्ड पालिएस्टर	124.04

टिप्पणी:– विभाग ने 124.98 लाख रुपये अर्थदण्ड दिनांक 4–8–98 को आरोपित किया।

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	निर्माणार्थ वस्तु हेतु मान्यता प्रमाण पत्र	क्रय किये गये कच्चे माल का नाम	पूर्ण कर मुक्त/ रियायती दर	माल का मूल्य	माल का अन्यथा प्रयोग/ बिक्री	आरोपणीय अर्थदण्ड
3.	स0क0 (क0नि0) –3 व्यापार कर, सहारनपुर	1993-94	एम. एस. कास्टिंग एवं एम.एस. इन्गट्स	आयरन एण्ड स्टील	कर मुक्त	36.17	कृषि उपकरण	1.45
टिप्पणी:– विभाग ने 0.38 लाख रुपए अर्थदण्ड दिनांक 13–2–98 को आरोपित किया।								
4.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3, अलीगढ़	1989-90	आयरन बार्स	आयरन एण्ड स्टील	कर मुक्त	9.58	आयरन प्लेट्स	1.15
टिप्पणी:– विभाग ने 1.15 लाख रुपए अर्थदण्ड दिनांक 10–3–95 को आरोपित किया।								
5.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2, काशीपुर	1990-91 से 1993-94	रबर एवं रबर प्रोडक्ट्स	रबर एवं केमिकल	कर मुक्त	16.37	रबर सल्यूशन	1.64
	योग							**139.61**

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने क्रम सं. 2, 3 एवं 4 पर अंकित मामलों में 126.51 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

मामले विभाग एवं शासन को (मार्च 1995 एवं फरवरी 1998 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2. उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 8-घ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति संकर्म संविदा के अनुसरण में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिये देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, देय राशि के 4 प्रतिशत के

बराबर धनराशि की कटौती करेगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् काटी गयी धनराशि को आगामी माह के अंत तक राजकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटी गयी धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि का भुगतान करेगा।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड-18, कानपुर की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जुलाई 1996) कि उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) नार्दन रेलवे, कानपुर द्वारा मार्च 1991 से दिसम्बर 1991 तक संकर्म संविदा के अनुसरण में ठेकेदार को भुगतान की गयी राशि में से 5.10 लाख रुपये की कटौती की गयी तथा 1.75 लाख रुपये व 2.59 लाख रुपये फरवरी 1992 व मार्च 1992 में राजकीय कोषागार में जमा किया गया। शेष धनराशि 76000 रुपये के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया (फरवरी 1996), लेकिन 10.20 लाख रुपये तक (कटौती की गई धनराशि का दुगुना) अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जुलाई, 1996) विभाग ने सूचित किया (मार्च 1997) कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिसम्बर 1996 में 8.23 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अक्टूबर, 1997); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के फलस्वरूप 224.21 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

3. उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली 1948 के नियम 85 सपठित उ. प्र. व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 28-क के अन्तर्गत राज्य के बाहर से सामान आयात करने के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यापारी कर निर्धारण अधिकारी से घोषणा प्रपत्र XXXI प्राप्त करेगा। जब इस प्रकार का सामान व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से सड़क मार्ग द्वारा आयात किया जाता है, तो इस घोषणा पत्र की एक प्रति जांच चौकी पर प्रस्तुत करना होगा और अन्य प्रति कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। इन प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी भी माल का आयात करने पर, व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार आयातित माल के मूल्य के 40 प्रतिशत तक भुगतान का दायी होगा। न्यायिक* रूप से यह निर्णीत किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

* सी0 एस0 टी0 बनाम बुलाकीदास बिनोद कुमार (1987-यू0 पी0 टी0 सी0, इलाहाबाद उ0 न्या0-154)

नोयडा मण्डल में यह पाया गया कि एक नई इकाई, जिसकी पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु पुनरावलोकन याचिका लम्बित थी, ने वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में बिना घोषणा प्रपत्र XXXI के ही प्रान्त बाहर से 1.86 करोड़ रुपये के एच0 डी0 पी0 ई0 बैग्स का आयात किया, फलस्वरूप वह 74.40 लाख रुपये अर्थदण्ड का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने (अप्रैल 1998) कहा कि अर्थदण्ड आरोपित करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

ख. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत, एक पंजीकृत व्यापारी किसी अन्य प्रान्त के व्यापारी से रियायती दर पर माल प्रपत्र "सी" प्रस्तुत कर इस शर्त पर खरीद सकता है कि उक्त माल उसके पंजीयन प्रमाण-पत्र में निर्माणार्थ, पुनर्विक्रयार्थ, विक्रय हेतु माल की प्रोसेसिंग आदि हेतु उल्लिखित है। पंजीयन प्रमाण-पत्र से अनाच्छादित माल के क्रय हेतु प्रपत्र "सी" जारी करना एक अपराध है, जिसके लिये व्यापारी अभियोजन का पात्र है। पंजीयन प्रदान करने वाला अधिकारी, तथापि इस अभियोजन के बदले, उस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर के डेढ़ गुना तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत माल की अनियमित खरीद पर 38.55 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

15 व्यापार कर ईकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि व्यापारियों द्वारा प्रान्त बाहर से घोषणा-प्रपत्र "सी" के विरुद्ध 257.65 लाख रुपये मूल्य के ऐसे सामानों का आयात किया गया जो उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र से आच्छादित नहीं थे। अतएव वे 38.55 लाख रुपये अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे जो आरोपित नहीं किया गया। विवरण निम्नलिखित है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रीत माल	माल का मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
1.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–1, खण्ड–2, हापुड़	1989-90	साबुन	5.75	0.86
टिप्पणी : विभाग ने 0.86 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।					

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रीत माल	माल का मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
2.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–1, खण्ड–2, कानपुर	1991-92	बिजली के सामान, रस्टालिन, पेस्ट एवं रसायन	3.98	0.71
टिप्पणी: विभाग ने 0.71 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।					
3.	स0क0 (क0नि0)–3, व्यापार कर, वाराणसी	1991-92	पालीथीन बैग्स्	6.72	0.60
टिप्पणी: विभाग ने 0.60 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।					
4.	स0क0 (क0नि0)–3, व्यापार कर, अलीगढ़	1993-94	प्लास्टिक फिल्म्स	6.72	1.00
5.	स0क0 (क0नि0)–1, व्यापार कर, अलीगढ़	1993-94	गन्नी बैग्स्	13.00	1.95
6.	स0क0 (क0नि0)–3, व्यापार कर, फैजाबाद	1993-94	तार, एस.एस. शीट, स्पेयर पार्टस्, बियरिंग	23.74	3.56
7.	स0क0 (क0नि0)–3, व्यापार कर, फैजाबाद	1991-92	वायर क्लाथ, स्टोर स्पेयर, मशीनरी पार्ट्स, डाइज, पी.बी. वायर, बिजली के सामान	20.62	3.09

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	क्रीत माल	माल का मूल्य	आरोपणीय अर्थदण्ड की धनराशि
8.	स0क0 (क0नि0)–3, व्यापार कर, फैजाबाद	1993-94	कापर वायर, कापर शीट, कागज, रबर गैस्केट, इलीफेन्टिड शीट, केबिल वायर, काटन टेप, ब्रास राड, डायरी	10.93	1.64
9.	स0क0 (क0नि0)–3, व्यापार कर, फैजाबाद	1993-94	वार्निश, अल्युमीनियम तार के राड, कागज, एलीमेन्ट्स	7.42	1.11
10.	स0क0 (क0नि0)–4, व्यापार कर, मेरठ	1991-92	लैमीनेशन पालीस्टर फिल्म, क्राफ्ट पेपर, पीतल, मशीनरी आदि	8.38	1.26
टिप्पणी : विभाग ने 1.26 लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।					
11.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3, मथुरा	1991-92	कापर वायर बार	41.39	6.21
12.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–4, लखनऊ	1991-92 से 1995-96	ओलियम, डोलोमाइट पावडर	6.46	0.97
13.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–10, लखनऊ	1993-94 एवं 1994-95	कैन्स/क्रेट्स	20.27	3.04
14.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–10, लखनऊ	1991-92	जनरेटर	2.75	0.62
15.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3, लखनऊ	1990-91 से 1992-93	पेपर	79.52	11.93
	योग			**257.65**	**38.55**

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (मार्च 1995 से जुलाई 1997 के मध्य) पर विभाग ने बताया कि दिसम्बर 1995 से जनवरी 1997 के मध्य क्रम सं0 1 से 3 व 10 में 3,43 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है।

प्रकरण विभाग तथा सरकार को (4 अप्रैल 1996 से अक्टूबर 1997 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

G-32
G-41

2.7 गलत दर के कारण कर का कम आरोपण

10 व्यापार कर कार्यालयों की सम्प्रेक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1996 से सितम्बर 1997 के मध्य) कि कम दर से कर आरोपित किया गया। फलस्वरूप 13.84 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ। विवरण निम्नवत है:

माल पर गलत कर की दर लगाने के फलस्वरूप 13.84 लाख रुपये का कम करारोपण किया गया।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	अतिरिक्त कर सहित आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	स0क0 (क0नि0) व्यापार कर, बहराइच	1990-91	टिम्बर	17.94	15	4	1.97
2.	स0क0 (क0नि0)–2 व्यापार कर, वाराणसी	1990-91	मेटल स्क्रेप	25.49	5	2.5	0.64
टिप्पणी:– विभाग ने कर निर्धारण आदेश संशोधित कर 0.64 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित की।							

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	अतिरिक्त कर सहित आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
3.	स0क0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, सहारनपुर	1994-95 एवं 1995-96	रिफाइन्ड आयल	39.76	10	2.5	2.98
4.	स0क0 (क0नि0)–2 व्यापार कर, सहारनपुर	1994-95	डिफेक्टिव ग्राम	16.07	5	--	0.80
5.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–2, वाराणसी	1991-92	सेनेट्री गुड्स	10.60	15	10	0.53
टिप्पणी:– विभाग ने कर निर्धारण आदेश संशोधित कर 0.53 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित की।							
6.	स0क0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, कानपुर	1994-95	दवाइयाँ	45.07	10	7.5	1.23
7.	स0क0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, सहारनपुर	1993-94	इलेक्ट्रिकल गुड्स	19.11	10	4	1.15
8.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–3, अलीगढ़	1992-93 से 1994-95	नम्बर प्रिंटिंग मशीन	18.69	15	6.25 7.5 10	1.30

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्न ओवर	अतिरिक्त कर सहित आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
9.	स0 क0 (क0नि0)–1 व्यापार कर, नोयडा	1993-94	फास्ट फूड	137.44	7.5	6.25	1.72
10.	स0 क0 (क0नि0)–2 व्यापार कर, सहारनपुर	1994-95	एक्रेलिक यार्न	50.72	5	2	1.52
	योग						**13.84**

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 1996 एवं सितम्बर 1997 के मध्य) विभाग ने क्रम सं0 2 एवं 5 पर दर्शित मामलों में 1.17 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी।

मामले विभाग एवं शासन को (अगस्त 1996 से नवम्बर 1997 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2.8 पंजीयन की निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण राजस्व क्षति

पंजीयन के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के फलस्वरूप 89.28 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में दिये गये प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायी व्यापारी स्वयं को पंजीकृत करवायेगा। इस उद्देश्य हेतु वह सम्बन्धित खण्ड के व्यापार कर अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में पूरे विवरण सहित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। व्यापार कर अधिकारी व्यापारी के

व्यापार स्थल का सर्वेक्षण करके, उसकी विश्वसनीयता, सही एवं पूरे स्थानीय तथा स्थायी पते, पूर्व का इतिहास एवं वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध से संतुष्ट होकर, पंजीयन प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा। सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व व्यापारी से प्रतिभूति तथा अतिरिक्त प्रतिभूतियाँ भी ली जाती हैं। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भी व्यापारियों के पंजीयन हेतु इसी प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित है।

व्यापार कर अधिकारी, श्रेणी-1, खण्ड-3, गाजियाबाद की लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (अगस्त 97) कि एक व्यापारी के मामले में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप व्यापारी ने अपना पंजीयन कराने के पश्चात् (1 दिसम्बर 1989) बड़ी संख्या में विधिक प्रपत्र प्राप्त किया (वर्ष 1990-91 से 1994-95 के बीच 668 फार्म ''XXXI'' और 557 फार्म ''सी'') तथा 20.82 करोड़ रुपये का व्यापार किया और अपना व्यापार बंद करके लापता हो गया (31 मार्च 1994)। सरकारी राजस्व की अभिरक्षा हेतु विभाग द्वारा ली गयी 20,000 रुपये की प्रतिभूति भी दिनांक 26 मार्च 1993 को कालातीत हो गयी। इसके अतिरिक्त राजस्व की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा नवीन प्रतिभूतियाँ नहीं ली गई और विधिक प्रपत्रों को जारी करने के पूर्व, पहले निर्गत किये प्रपत्रों का हिसाब भी नहीं लिया गया। व्यापारी द्वारा व्यापार बंद करने के बाद, विभाग ने उसके व्यापार स्थल का सर्वेक्षण किया (2 अगस्त 1994) तथा पाया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत पता जाली था। परिणामस्वरूप व्यापारी से वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक के कर निर्धारण वर्षों में 89.28 लाख रुपये निर्धारित कर व अर्थदण्ड (व्यापार बन्द किये जाने के बाद कर निर्धारित किया गया) की वसूली नहीं हो सकी। विभाग को ज्ञात पते पर वसूली प्रमाणपत्र जारी किये गये किन्तु इससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि दिया गया पता जाली था।

मामला सरकार तथा विभाग को (अक्टूबर 1997) प्रतिवेदित किया गया था; इनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (सितम्बर 1998)।

G-15

2.9 अनियमित छूट

(क) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत माल को देश के बाहर निर्यात पर पूर्ण कर मुक्ति की सुविधा उपलब्ध है बशर्ते निर्यातक वही माल निर्यात करे जिसे उसने निर्यात अनुबन्ध के अन्तर्गत क्रीत किया हो। निर्यातक यदि क्रीत माल में प्रसंस्करण अथवा इनग्रेविंग द्वारा कोई परिवर्तन करता है (जैसा न्यायिक* रूप से निर्णीत है) तो व्यापारी को निर्यात पर पूर्ण कर मुक्ति की सुविधा प्राप्त नहीं हैं।

* सर्व श्री विजय लक्ष्मी केशू कम्पनी एण्ड अदर्स बनाम् उप वाणिज्यिक कर अधिकारी एण्ड अदर्स (एस0 सी0-32 एस0 टी0 आई0 1996)

निर्यातक को गलत छूट देने के फलस्वरूप 32.91 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

व्यापार कर अधिकारी खण्ड-1, बरेली की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1997) कि एक व्यापारी ने वर्ष 1991-92 से 1993-94 के मध्य अर्ध निर्मित आर्ट ब्रास वेयर कारखानेदारों से भिन्न बिना कर दिए फार्म "एच" के आधार पर क्रय किया जिसे उसने अलंकृत (पोलिसिंग एवं इन्ग्रेविंग) करने के पश्चात् 329.11 लाख रुपये में निर्यात कर दिया। इस प्रकार विदेशी क्रेता के साथ हुए निर्यात अनुबन्ध के तहत आपूर्ति किये जाने वाला माल उस माल से भिन्न था जिसे वास्तव में निर्यात हेतु क्रय किया गया था। अतः व्यापारी पूर्ण कर मुक्ति का हकदार नहीं था और व्यापारी 32.91 लाख रुपये कर का दायी था जो आरोपित नहीं किया गया।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने सूचित किया (अगस्त 1998) कि मामला अधिनियम की धारा 10-ख के अन्तर्गत जांच हेतु पुनः खोल दिया गया है।

प्रकरण शासन को (जुलाई 1997) प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

(ख) उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जहां कोई माल उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर योग्य है, तो क्रेता व्यापारी से प्राप्त प्रपत्र III- क यदि कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यापारी द्वारा की गयी प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता को की गयी बिक्री मानी जायेगी। निष्प्रयोज्य सामग्री दिनांक 1 अप्रैल 1992 से 4 प्रतिशत की दर से उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर योग्य है। कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है। कमिश्नर व्यापार कर उ0प्र0 के परिपत्र के अनुसार, ब्रोकेन ग्लास निष्प्रयोज्य सामग्री है और उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर कर योग्य है।

सहायक कमिश्नर (क0 नि0), व्यापार कर, मोदीनगर (गाजियाबाद) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1997) कि एक व्यापारी ने अपंजीकृत व्यापारी से खरीद कर 130.28 लाख रुपये के ब्रोकेन ग्लास की बिक्री वर्ष 1994-95 में की। जिसे निर्माता अथवा आयातकर्ता के बिन्दु पर कर योग्य मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त कर दिया। फलस्वरूप 6.51 लाख रुपये की अनियमित छूट प्रदान की गयी।

मामले को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 1997); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

G-36

2.10 कन्साइनमेन्ट सेल का प्रति-सत्यापन

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 6-क के अन्तर्गत जहाँ कोई व्यापारी इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के दायी न होने का दावा इस आधार पर करता है कि उसके द्वारा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को वस्तुओं का प्रेषण अपने अन्य व्यापार स्थल अथवा एजेन्ट अथवा प्रिंसिपल को, जैसा भी प्रकरण हो, किया गया न कि बिक्री के कारण, उन वस्तुओं का अन्तरण इसी प्रकार हुआ इसे सिद्ध करने का दायित्व व्यापारी का होगा। इस प्रयोजन हेतु कर से छूट प्राप्त करने के लिये वह पूर्णरूप से भरे हुये तथा परेषिती द्वारा हस्ताक्षरित फार्म "एफ" में घोषणा पत्र कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। पुनः उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी जानबूझ कर अपनी बिक्री का गलत विवरण देता है तो वह न्यूनतम देय कर का 50 प्रतिशत जो 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा।

महालेखाकार (आडिट)-II बिहार द्वारा बिहार के व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के व्यापारियों द्वारा किये गये परेषण से सम्बन्धित कुछ फार्म "एफ" के प्रति-सत्यापन से निम्नानुसार स्पष्ट हुआः

(क) सर्वश्री भवानी पेपर मिल्स, रायबरेली ने 1989-90 में 40.60 लाख रुपये व 100.53 लाख रुपये के कागज का परेषण फार्म "एफ" में घोषणा के विरुद्ध बिहार के व्यापारियों को किया। परन्तु परेषिती ने अपने लेखों में क्रमशः 33.52 लाख रुपये व 16.73 लाख रुपये ही प्रदर्शित किया। इस प्रकार 7.08 लाख रुपये व 84.77 लाख रुपये की बिक्री सर्वश्री भवानी पेपर मिल की प्रान्तीय बिक्री हुयी। इसके फलस्वरूप 1.59 लाख रुपये व 19.07 लाख रुपये (अर्थदण्ड सहित) कम कर आरोपित हुआ।

(ख) यही व्यापारी वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार के व्यापारियों को 86.68 लाख रुपये के कागज का फार्म "एफ" में (14 फार्म) घोषणा के विरूद्ध परेषण किया। प्रति-सत्यापन में यह पाया गया कि सभी 14 फार्म "एफ" आयुक्त कामर्शियल टैक्स, बिहार द्वारा अमान्य घोषित थे क्योंकि इन फार्मों के चोरी हो जाने की रिपोर्ट हुयी थी। इस प्रकार व्यापारी ने 86.68 लाख रुपये की बिक्री का अपवंचन किया, जिस पर 19.50 लाख रुपये (अर्थदण्ड सहित) कर देय था।

(ग) सर्वश्री अमृत वनस्पति कं0 लिमिटेड, गाजियाबाद ने वर्ष 1993-94 में बिहार में अपने डिपो को 195.94 लाख रुपये का मस्टर्ड आयल तथा वनस्पति का स्टाक परेषण फार्म "एफ" में घोषणा के विरुद्ध किया जिसे डिपो के लेखों में केवल 179.39 लाख रुपये प्रदर्शित किया गया । इस प्रकार 16.55 लाख रुपये की बिक्री का अपवंचन हुआ। इस अपवंचित बिक्री पर 3.06 लाख

रुपये का कर (अर्थदण्ड सहित) आरोपणीय था।

आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र के बावजूद, उपायुक्त (वि0 अनु0 शा0), वाराणसी द्वारा जिन्हें बिहार के व्यापारियों द्वारा जारी फार्म "एफ" का सत्यापन करना था, बिहार को किये गये परेषणों का सत्यापन नहीं किया गया।

उपायुक्त (वि0 अनु0 शा0) वाराणसी ने सूचित किया (जनवरी 1997) कि सर्वश्री भवानी पेपर मिल, रायबरेली/इलाहाबाद के स्टाक परेषण सम्बन्धी कोई प्रकरण प्रति-सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं हुआ।

प्रकरण विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया गया (मई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1998)।

2.11 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ख में प्रावधान है कि मिथ्या अथवा गलत घोषणा प्रपत्रों को जारी करने की स्थिति में जिसके कारण वस्तु की खरीद अथवा बिक्री पर लगाये जाने वाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता है तो व्यापारी उस राशि के बराबर राशि का देनदार होगा जो उसने कच्चे माल आदि की खरीद पर कर के राहत के रूप में बचाया है।

> ***घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग हेतु 9.75 लाख रुपये के अर्थदण्ड का अनारोपण।***

8 व्यापार कर मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1996 से मार्च 1997) कि व्यापारियों ने घोषणा पत्र जारी कर कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री एवं मशीनरी कर मुक्त क्रय किया, जिसके लिये वे अधिकृत नहीं थे। फलस्वरूप व्यापारी प्राप्त राहत के बराबर 9.75 लाख रुपये की धनराशि के देनदार थे, जो आरोपित नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	निर्मित विज्ञापित वस्तु का नाम	कच्चे माल का मूल्य	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	बचाया गया कर
1.	स0क0(क0नि0)–9 व्यापार कर, आगरा	1991-92 एवं 1992-93	फाउन्ड्री केमिकल	26.20	5	--	1.31

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण वर्ष	निर्मित विज्ञापित वस्तु का नाम	कच्चे माल का मूल्य	आरोपणीय कर (प्रतिशत)	आरोपित कर (प्रतिशत)	बचाया गया कर
2.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–1, बाराबंकी	1993-94	आयरन एण्ड स्टील	16.80	5	--	0.84
3.	व्यापार कर अधिकारी, शिकोहाबाद	1990-91 से 1992-93	कांच के बर्तन एवं ट्यूब	12.88	5 7.5	--	1.02
4.	स0क0 (क0नि0) व्यापार कर, चंदौसी	1990-91 से 1992-93	पैकिंग सामग्री	7.15	10	--	0.71
5.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–4, नोयडा	1991-92	स्टील बाल	65.75	5	--	3.29
6.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–12, आगरा	1994-95	कोरुगेटेड बाक्सेज	9.37	7.5	--	0.70
7.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–9, वाराणसी	1988-89	प्लास्टिक बैग्स	9.43	8.8	--	0.83
8.	व्यापार कर अधिकारी, खण्ड–9, लखनऊ	1992-93 से 1993-94	आयरन कास्टिंग	26.20	4	--	1.05
	योग			**173.78**			**9.75**

मामले विभाग एवं शासन को (नवम्बर 1996 से जून 1997) प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2.12 केन्द्रीय बिक्रीकर का अवनिर्धारण

G 52,7

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत घोषणापत्र "सी" अथवा "डी" से अनाच्छादित वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत की दर अथवा ऐसी वस्तुओं के क्रय अथवा विक्रय पर राज्य के अन्दर लागू दर जो भी अधिक हो, की दर से कर आरोपणीय है।

केन्द्रीय बिक्री पर गलत दर से कर लगाने के फलस्वरूप 59.37 लाख रुपये का कम कर आरोपित हुआ।

8 व्यापार कर कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1996 से नवम्बर 1997 के मध्य) कि बिना फार्म "सी" व "डी" से समर्थित अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर गलत दर से करारोपण किया गया। इसके परिणामस्वरूप 59.37 लाख रुपये कम कर आरोपित हुआ। विवरण निम्न प्रकार है:-

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1.	स0क0 (क0नि0), व्यापार कर, फतेहगढ़	1992-93	अल्कोहल	108.43	32.5	--	35.24
2.	व्यापार कर अधिकारी खण्ड–5, मेरठ	1994-95	आयरन एण्ड स्टील	300.00	8	4	12.00
3.	स0क0 (क0नि0) –4, व्यापार कर, नोयडा	1992-93	एच0डी0पी0 ई0 फैब्रिक्स	36.16 127.00	4 एवं 8	2.5	7.53

क्रम सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वस्तु का नाम	कर योग्य टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
4.	स0क0 (क0नि0) –9, व्यापार कर, आगरा	1993-94	ट्रैक्टर्स	10.54	10	2	0.84
5.	स0क0 (क0नि0) –10, व्यापार कर, लखनऊ	1992-93 एवं 1993-94	ट्रैक्टर पार्ट्स	10.67 13.31	10	2.5 2	0.80 1.07
6.	स0क0 (क0नि0) –1, व्यापार कर, इलाहाबाद	1992-93	स्टैपिल फाईबर यार्न, पी.वी. यार्न	137.98	2.5	2	0.69
7.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–1, खण्ड–3, मथुरा	1990-91 से 1993-94	डोरी	29.79	4	2	0.60
8.	व्यापार कर अधिकारी श्रेणी–1, खण्ड–9, आगरा	1992-93 से 1993-94	ट्रैक्टर पार्ट्स	7.51	10	2	0.60
	योग						**59.37**

मामले शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किये गये थे (जून 1997 एवं फरवरी 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

2.13 आवर्त्त का कर निर्धारण से छूट जाना

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 7 सितम्बर 1981 से शीरे की बिक्री पर 12 प्रतिशत की दर से कर देयता है। दिनांक 1 अगस्त 1990 से देय कर पर 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है।

सहायक आयुक्त (क0 नि0) व्यापार कर, बहराइच की लेखा परीक्षा के दौरान देखा गया (मई 1997), कि एक व्यापारी के वर्ष 1993-94 में 6.58 लाख रुपये के शीरे की बिक्री पर कर आरोपित किया गया और तदनुसार कर वसूला गया। विवरण के साथ प्रस्तुत बिक्री खातों से तथापि यह तथ्य प्रकाश में आया कि इस अवधि में शीरे की विक्रय धनराशि वास्तव में 70.94 लाख रुपये थी। इस प्रकार 64.36 लाख रुपये की विक्रय धनराशि पर कर आरोपित होने से छूट गया। इसके फलस्वरूप 9.65 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को (अगस्त 1997) प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (सितम्बर 1998)।

2.14 क्रय कर का अनारोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, ऐसी वस्तु जिस पर उपभोक्ता को की गयी बिक्री के बिन्दु पर करदेयता है, जब किसी व्यापारी को बेची जाती है, परन्तु अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा कर देय नहीं होता और क्रेता व्यापारी उस वस्तु को उसी रूप एवं अवस्था में, जिसमें उसने उसे क्रय किया था, राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री नहीं करता है तो क्रेता व्यापारी उक्त क्रय पर उसी दर से क्रय कर का देनदार होगा जिस दर पर वह वस्तु उपभोक्ता को बिक्री के बिन्दु पर प्रान्त में कर योग्य है।

सहायक कमिश्नर (कर निर्धारण)-7, व्यापार कर, आगरा की सम्प्रेक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1997) कि वर्ष 1993-94 में एक व्यापारी ने 125.84 लाख रुपये की कच्ची खाल का पंजीकृत व्यापारियों से प्रपत्र III-क में घोषणा के विरुद्ध तथा अपंजीकृत व्यापारियों से बिना कर दिये क्रय किया तथा शू-अपर व अपर कम्पोनेन्ट्स का निर्माण किया जिसे भारत के बाहर निर्यात कर दिया गया। व्यापारी ने बिना कर अदा किये खरीदी गयी कच्ची खाल को उसी रूप एवं दशा में पुनः विक्रय नहीं किया, जिसमें वे खरीदी गयी थीं, अतः व्यापारी उक्त क्रय पर 5.03 लाख रुपये क्रय कर का दायी था, जो आरोपित नहीं किया गया।

प्रकरण शासन तथा विभाग को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1997); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं। (सितम्बर 1998)।

G.33

2.15 अनियमित विज्ञप्ति के कारण कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अन्तर्गत घोषणा प्रपत्र ''सी'' अथवा प्रमाण-पत्र ''डी'' से अनाच्छादित अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर 10 प्रतिशत अथवा सम्बन्धित राज्य के अन्दर ऐसी वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लागू दर से, जो भी अधिक हो, कर आरोपणीय होता है। न्यायिक रूप से यह माना गया है* कि प्रादेशिक सरकारें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(5) के अन्तर्गत फार्म ''सी'' अथवा ''डी'' की बाध्यता से छूट देने हेतु सक्षम नहीं हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 1 अक्टूबर 1994 व 31 जनवरी 1995 को दो विज्ञप्तियाँ** जारी करके प्रान्त में 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुओं की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर फार्म ''सी'' अथवा ''डी'' की आवश्यकता में छूट दे दी।

सहायक आयुक्त (क.नि.)-1, व्यापार कर, अलीगढ़ की सम्प्रेक्षा के दौरान यह देखा गया (मई 1997) कि 1994-95 व 1995-96 में (1 अक्टूबर 1994 के बाद) तीन व्यापारियों ने 122.87 लाख रुपये के तालों की बिना फार्म ''सी'' अथवा ''डी'' के अन्तर्प्रान्तीय बिक्री किया तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अनियमित विज्ञप्तियों के आधार पर 10 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। इसके फलस्वरूप 7.37 लाख रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

प्रकरण शासन को अलग से प्रतिवेदित किया गया था, जिन्होंने उत्तर (अक्टूबर 1997) में कहा कि कथित विज्ञप्ति की वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है, अतः यह नियमित है। शासन का उत्तर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में मान्य नहीं है।

2.16 स्वीकृत कर पर ब्याज का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन कर देने वाले प्रत्येक व्यापारी के लिये आवश्यक है कि वह अपने विक्रय धन का विवरण एवं देय कर निर्धारित अन्तराल पर जमा करे। व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से देय कर, यदि निर्धारित तिथि तक अदा नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार अदेय कर पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होता है। स्वीकृत रूप से देय कर से अन्यथा कर के मामले में, तथापि ब्याज की दर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह होगी, यदि ऐसी राशि मांग पत्र में उल्लिखित

* इंडिया सीमेन्ट लि0 बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार (1988 एस.टी.जे.-367)

** यू0पी0 गवर्नमेन्ट नोटीफिकेशन सं. 3407 दिनांक 1.10.1994 एवं संख्या 147 दिनांक 31.1.95

अवधि की समाप्ति के उपरान्त तीन महीनों तक अदा नहीं की जाती है। निर्धारित अवधि के दौरान व्यापारी द्वारा कर अदा न किये जाने की स्थिति में, उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति होगी। कमिश्नर के परिपत्र दिनांक 4 नवम्बर 1991 के अनुसार वसूली प्रमाण-पत्र में स्वीकृत रूप से देय कर पर ब्याज की दर का उल्लेख करना अनिवार्य है।

स्वीकृत कर पर कम ब्याज आरोपित किये जाने के फलस्वरूप 5.58 करोड़ रुपये का कम आरोपण।

8 व्यापार कर मण्डलों में यह पाया गया कि 15 नई इकाइयों (जिनके पात्रता प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिये गये अथवा जारी नहीं हुए) को वसूली प्रमाण-पत्र कर निर्धारण वर्ष 1988-89 से 1995-96 के लिये जारी किये गये, जिसमें 5.52 करोड़ रुपये स्वीकृत कर पर ब्याज की दर का उल्लेख 2 प्रतिशत प्रतिमाह के स्थान पर डेढ़ प्रतिशत ही किया गया। फलस्वरूप वर्ष 1988-89 और 1994-95 के मध्य 5.58 करोड़ रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

अध्याय 3

राज्य आबकारी

अध्याय 3 : राज्य आबकारी

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	81
3.2	आसवनियों के कार्य कलाप	82
3.2.1	प्रस्तावना	82
3.2.2	संगठनात्मक ढांचा	82
3.2.3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	83
3.2.4	राजस्व का रुझान	83
3.2.5	मुख्य अंश	84
3.2.6	उत्पादन की प्रवृत्ति	85
3.2.7	स्पिरिट का मानक उत्पादन प्राप्त करने में असफलता	86
3.2.8	बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना	87
3.2.9	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण शुल्क का कम आरोपण	88
3.2.10	अर्थदण्ड का अनारोपण	89
3.2.11	परिपक्वन छीजन पर आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना	90
3.2.12	पुनर्आसवन से शुल्क की हानि	90
3.2.13	लाइसेंसों के निर्गमन में असफलता	91
3.3	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	92

G-56
G-46

अध्याय **3**

राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा के परिणाम

(लाख रुपये में)

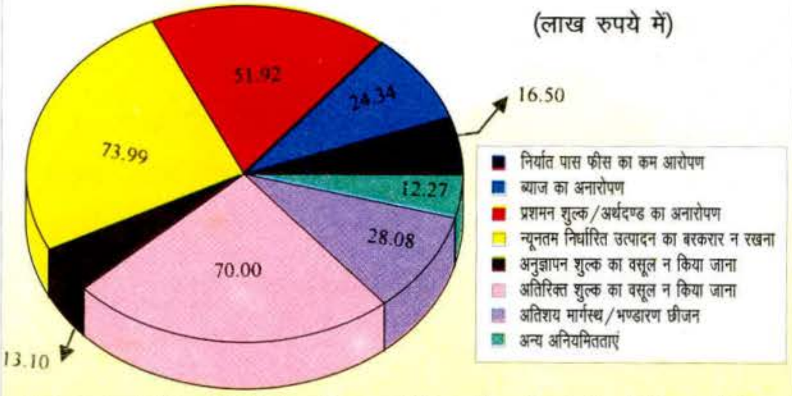

नोट : इस चार्ट में आसवनियों के कार्यकलाप संबंधित समीक्षा के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।
(सन्दर्भित प्रस्तर 3.1)

वर्ष 1997-98 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जांच में 6730.56 लाख रुपए की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 192 मामले पाए गए जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

Discussed in PAC on 19.9.2000

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	आसवनियों के कार्य कलाप	50	6440.36
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	2	16.50
3.	ब्याज का अनारोपण	19	24.34
4.	प्रशमन शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण	16	51.92
5.	न्यूनतम निर्धारित उत्पादन का बरकरार न रखना	15	73.99
6.	अनुज्ञापन शुल्क का वसूल न किया जाना	12	13.10
7.	अतिरिक्त शुल्क का वसूल न किया जाना	1	70.00
8.	अतिशय मार्गस्थ/भण्डारण छीजन	14	28.08
9.	अन्य अनियमितताएँ	63	12.27
	योग	**192**	**6730.56**

वर्ष 1997-98 में सम्बन्धित विभाग ने 131.34 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि के 25 मामले स्वीकार किए जिनमें 86 लाख रुपए के 9 मामले 1997-98 की लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किए गए थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में। इसमें से 10.86 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। उदाहरणार्थ 6449.47 लाख रुपए का एक मामला तथा "आसवनियों के कार्यकलाप" पर एक समीक्षा अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं:

G-56

3.2 आसवनियों के कार्यकलाप

3.2.1 प्रस्तावना

संविधान की अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि सं. 51, जो राज्य सरकार को मानव उपभोग मदिरा पर आबकारी शुल्क आरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है, के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य आबकारी शुल्क आरोपित किया जाता है। मदिरा के उत्पादन तथा वितरण पर नियंत्रण, उत्तर प्रदेश राज्य आबकारी विभाग द्वारा उ0 प्र0 राज्य आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। आसवनियों में अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः शीरे से किया जाता है जो कि चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त रवा विहीन चाशनी (सिरप) है। विभिन्न प्रकार की मदिरा, जो देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिन) के नाम से जानी जाती है का भी निर्माण अल्कोहल से किया जाता है। आसवनियों के उत्पाद आबकारी कराधान-ढांचे के बड़े भाग हैं।

आबकारी उत्पाद आसवनियों से या तो बन्ध पत्र के अधीन अथवा निर्धारित दर पर आबकारी शुल्क के अग्रिम भुगतान पर निर्गत किये जाते हैं। स्पिरिट के उत्पादन तथा स्पिरिट के आपूर्ति से सम्बन्धित मानक राज्य सरकार द्वारा निश्चित किए जाते हैं। राज्य में 42 आसवनियाँ हैं जिनमें दो सहकारी समितियों के स्वामित्व में हैं;

आसवनियों में स्पिरिट के उत्पादन को प्रदर्शित करने वाली एक सारिणी अनुलग्नक -1 मे दी गयी है।

3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग का प्रमुख है तथा उसे उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अन्तर्गत आसवनियों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण तथा अर्द्ध-न्यायिक अपीलीय

एवं पुनरीक्षण के कार्यों के साथ-साथ विभिन्न राजस्व संयमन के प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। आबकारी आयुक्त के कार्यों के निर्वहन में सहायता हेतु मुख्यालय इलाहाबाद में एक अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन), एक अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रौद्योगिकी तथा लाइसेन्सिग), 3 संयुक्त आबकारी आयुक्त, 6 उप आबकारी आयुक्त तथा 4 सहायक आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। प्रभावी प्रशासन के उद्देश्य से राज्य को 5 परिक्षेत्रों तथा 14 प्रभारों (सर्किल्स), जिनमें प्रत्येक का प्रभार क्रमशः एक संयुक्त आबकारी आयुक्त तथा एक उप आबकारी आयुक्त के अन्तर्गत है, में विभक्त किया गया है। इन अधिकारियों की सहायता राज्य के प्रत्येक जिले में तथा राज्य के प्रत्येक आसवनी में एक सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा की जाती है। विभाग में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन भी है।

3.2.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

यह सुनिश्चित करने हेतु कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बने नियमों, उत्तर प्रदेश के आबकारी मैनुअल तथा आबकारी शुल्क आरोपित करने हेतु समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का परिपालन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है, अक्टूबर 1997 से मई 1998 के मध्य एक समीक्षा की गई। इस उद्देश्य हेतु 42 में से 23 आसवनियों के प्रभारी अधिकारी (आबकारी), 76 में से 10 बन्धित गोदामों तथा आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालयों के 1994-95 से 1997-98 (चार वर्ष) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई।

3.2.4 राजस्व का रुझान

आबकारी शुल्क राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है जैसा कि अगले पृष्ठ की सारिणी में प्रदर्शित है:

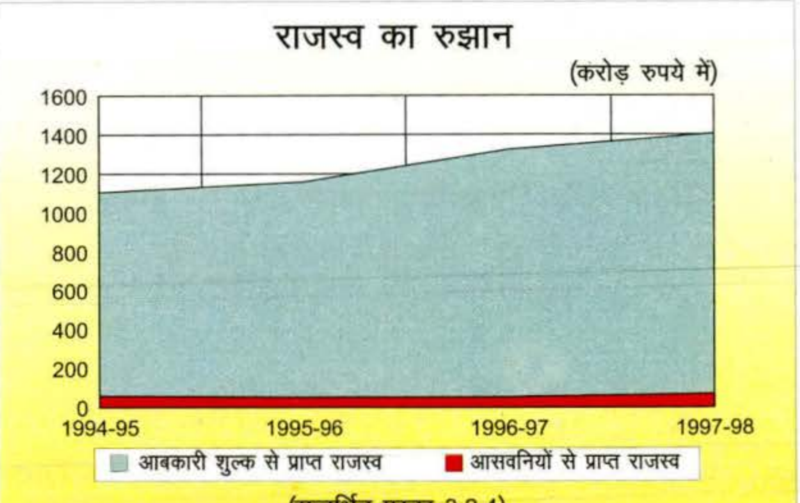

(सन्दर्भित प्रस्तर 3.2.4)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आबकारी शुल्क से प्राप्त राजस्व	आसवनियों से प्राप्त राजस्व	आसवनियों से प्राप्त राजस्व का कुल आबकारी राजस्व से प्रतिशतता
1994-95	1104.64	58.96	5.33
1995-96	1158.61	52.79	4.55
1996-97	1322.91	54.61	4.12
1997-98	1404.90	69.24	4.92

वर्ष 1994-95 की तुलना में अनुवर्ती वर्षों 1995-96 तथा 1996-97 में राजस्व आय कम रही।

3.2.5 मुख्य अंश

(i) शीरे से उत्पादन, मानक से कम होने के कारण सरकार 31.73 करोड़ रुपए के आबकारी राजस्व से वंचित रह गयी ।

(प्रस्तर 3.2.7)

(ii) बन्ध पत्र के अधीन 21.87 लाख रुपये आबकारी शुल्क से सन्निहित निर्यात की गयी परिशोधित/माल्ट/ देशी मदिरा परेषितियों द्वारा स्वीकार नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.2.8)

(iii) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (आई0 एम0 एफ0 एल0) की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में 22.26 लाख रुपए के शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 3.2.9)

(iv) देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं पर 6.12 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.2.10)

(v) परिपक्वन छीजन पर 47.19 लाख रुपए का शुल्क एवं 25 लाख रुपए की जमानत की धनराशि की वसूली आसवकों से नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.2.11)

(vi) परिशोधित स्पिरिट के पुनर्आसवन के फलस्वरूप 24.95 करोड़ रुपये का शुल्क कम वसूला गया।

(प्रस्तर 3.2.12)

(vii) सी. एल.-1 लाइसेन्स के बिना नये जनपदों में देशी मदिरा की आपूर्ति किए जाने के फलस्वरूप 45 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.2.13)

3.2.6 उत्पादन की प्रवृत्ति

राज्य में कुल 42 आसवनियाँ हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 7,68,121.5 किलो लीटर अल्कोहल प्रति वर्ष है। अल्कोहलिक वर्ष (दिसम्बर से नवम्बर) 1994-95 से 1996-97 के दौरान 23 आसवनियों का उत्पादन निम्नवत रहा:

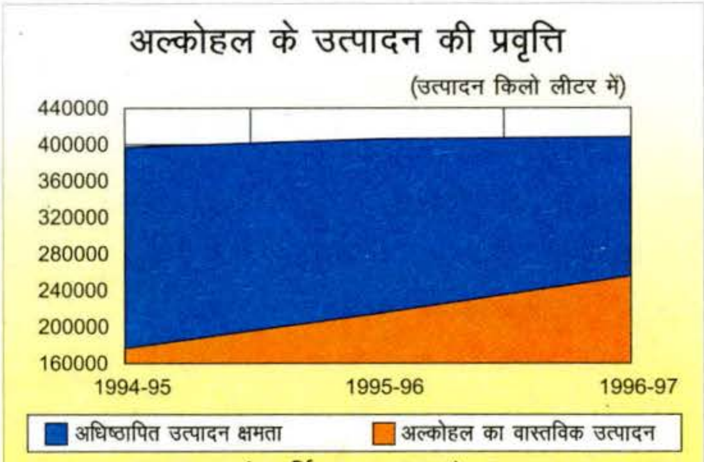

(सन्दर्भित प्रस्तर 3.2.6)

वर्ष	अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता (कि.ली. में)	अल्कोहल का उत्पादन	अप्रयुक्त अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत
1994-95	397146.3	176221.4	55.63
1995-96	406200.3	214323.2	47.24
1996-97	408109.3	255642.0	37.36

इस प्रकार वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान अप्रयुक्त अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत 37.36 से 55.63 के बीच रहा।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर उत्तर में अधिकांश आसवनियों के प्रभारी अधिकारियों ने यह बताया कि पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारणों में से कुछ कारण कुल खरीद (आफटेक) की समस्या, ईंधन की कमी, यांत्रिक खराबियाँ तथा संयंत्र की मरम्मत जैसे रहे।

3.2.7 स्पिरिट का मानक उत्पादन प्राप्त करने में असफलता

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्यकलाप (संशोधित) नियमावली, 1978 में यह प्रावधान है कि शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से कम से कम 52.5 लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टेक्नोलाजिस्ट को, किण्वीय शर्करा के निर्धारण हेतु, जांच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है। उपयुक्त शीरे से अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन में असफल रहने पर, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन आरोपणीय किसी अन्य अर्थदण्ड के अतिरिक्त सम्बन्धित आसवक का लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है और जमानत के रूप में जमा धनराशि जब्त की जा सकती है।

शीरे से उत्पादन का निर्धारित मानक प्राप्त न किए जाने के कारण सरकार 31.73 करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व से वंचित रह गयी।

23* आसवनियों के वर्ष 1994-95 से 1997-98 की लेखा परीक्षा में देखा गया कि अल्कोहल टेक्नालोजिस्ट की आख्या के अनुसार 558 मिश्रित नमूनों से अल्कोहल का उत्पादन 143428564.6 अल्कोहलिक लीटर के बजाए 150797825.5 अल्कोहलिक लीटर होना चाहिए था। ये आसवनियाँ उत्पादन के निर्धारित मानक को प्राप्त करने में असफल रहीं तथा इस प्रकार ये लाइसेन्स के निरस्तीकरण एवं जमा जमानत के जब्त किए जाने के योग्य थीं जिसे विभाग द्वारा नहीं किया गया। फिर भी विभाग ने केवल 341 मामलों में 5000 रुपए तक का अर्थदण्ड आरोपित किया। 7369260.90 अल्कोहलिक

---

* लखनऊ, नवाबगंज (गोंडा), हरगांव (सीतापुर), गजरौला (मुरादाबाद), शामली (मुजफ्फरनगर), उन्नाव, गोरखपुर, दौराला (मेरठ), मेरठ, देवरिया, मोदीनगर (गाजियाबाद), मोहननगर (गाजियाबाद), सिम्भौली (गाजियाबाद), टपरी (सहारनपुर), पिलखिनी (सहारनपुर), बाजपुर (ऊधमसिंह नगर), बरेली, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर), धामपुर (बिजनौर), मुरादाबाद, रामपुर, रोजा (शाहजहाँपुर) एवं बहेड़ी (बरेली)

लीटर* की कमी के फलस्वरूप 31.73 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुयी। जिसका विवरण निम्नवत है:

(हजार अल्कोहलिक लीटर में)

वर्ष	किण्वीय शर्करा की मात्रा (हजार कुन्तल में)	मानक के अनुसार उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	उत्पादन में कमी	राजस्व की हानि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1994-95	980.77	51490.61	48934.26	2556.35	1150.35
1995-96	785.36	41231.21	39289.45	1941.76	873.79
1996-97	589.96	30972.96	29457.88	1515.08	606.03
1997-98	516.25	27103.02	25746.95	1356.07	542.42
योग	**2872.34**	**150797.80**	**143428.54**	**7369.26**	**3172.59**

इसके इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि उपमानक उत्पादन के 558 प्रकरणों में से केवल 341 प्रकरणों को 3.77 लाख रुपये तक प्रशमित किया गया तथा 217 प्रकरण अब भी आबकारी आयुक्त के यहाँ लम्बित थे।

3.2.8 बन्धाधीन निर्यात की अप्राप्त पावती पर आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बाटलिंग नियमावली, 1969 के अनुसार अनुज्ञापी द्वारा एक बन्ध-पत्र निष्पादित किया जाना अपेक्षित है जिसमें वह मदिरा को गन्तव्य स्थान पर पहुंचाने एवं आयात करने वाले राज्य के आबकारी अधिकारियों से 90 दिन के अन्दर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेता है। यदि अनुज्ञापी उपरोक्त अवधि के भीतर वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता तो उससे उसमें निहित शुल्क के समतुल्य अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी।

* "अल्कोहलिक लीटर (ए. एल.) का तात्पर्य स्पिरिट के अल्कोहलिक कंटेन्ट्स से है।"

बन्धपत्र के अधीन परिशोधित/ माल्ट/ देशी स्पिरिट का निर्यात जिसमें 21.87 लाख रुपये का आबकारी शुल्क सन्निहित था, परेषितियों द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

उन्नाव, बरेली और शाहजहांपुर स्थित तीन आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 584915.4 अल्कोहलिक लीटर परिशोधित/ माल्ट/ देशी मदिरा का निर्यात 31 जनवरी 1995 से 24 जनवरी 1998 के मध्य प्रान्त के बाहर तथा प्रान्त के अन्दर किया गया जिसमें अनुज्ञापी 6 से 32 माह से अधिक समय व्यतीत होने पर भी मदिरा को गन्तव्य स्थान पर सुपुर्दगी का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे। उत्पादकों द्वारा निष्पादित बन्ध पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार 10 मामलों में 21.87 लाख रुपए (शुल्क के समतुल्य) अर्थदण्ड की वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

3.2.9 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाए जाने के कारण शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बोतल भराई नियमावली, 1969 के साथ पठित अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत व्हिस्की, ब्राण्डी, रम तथा जिन की बिक्री हेतु निर्धारित तीव्रता स्पिरिट की वह दृष्टिगत तीव्रता होती है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित होती है। इस प्रकार इंगित तीव्रता का उल्लेख ढक्कनदार एवं मोहरबन्द बोतलों पर चिपकाए जाने वाले लेबिलों पर होना चाहिए। व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम के निर्गमन हेतु न्यूनतम तीव्रता 25 अंश अण्डरप्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) तथा जिन के लिए यह 35 अंश अण्डरप्रूफ (37.1 प्रतिशत आयतन दर आयतन) है। भारत में निर्मित विदेशी मदिरा पर शुल्क ढक्कनदार और मोहरबन्द बोतलों में भरी गयी अल्कोहल की प्रति लीटर मात्रा पर प्रभार्य है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने से शुल्क के कम आरोपण के फलस्वरूप 22.26 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

6 आसवनियों* के नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 1994-95 से 1997-98 के मध्य बोतलों में भराई हेतु 18382079.1 अल्कोहलिक लीटर भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन और निर्गमन किया गया। बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर व्हिस्की, ब्राण्डी

---

* सिम्भौली (गाजियाबाद), लखनऊ, उन्नाव, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर), बहेड़ी (बरेली) एवं रामपुर

तथा रम की तीव्रता 25 अंश अण्डरप्रूफ (42.8 प्रतिशत आयतन दर आयतन) इंगित थी और आबकारी शुल्क इसी पर आरोपित किया गया। यद्यपि मदिरा में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद स्पिरिट की वास्तविक तीव्रता जैसा कि हाइड्रोमीटर द्वारा प्रत्यक्ष इंगित की गयी थी व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम के सम्बन्ध में 42.9/43.0 प्रतिशत आयतन दर आयतन थी; जो निर्धारित तीव्रता से (जैसा कि लेबिलों पर इंगित थी) 0.1 से 0.2 प्रतिशत आयतन दर आयतन अधिक थी। हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रता के स्थान पर निर्धारित न्यूनतम तीव्रता (जैसा कि लेबिलों पर इंगित थी) के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण के फलस्वरूप 22.26 लाख रुपये के शुल्क का कम आरोपण हुआ।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर आसवनियों के प्रभारी अधिकारियों ने बताया कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई उ0 प्र0 आबकारी हस्तपुस्तिका खण्ड-1 के नियम 805 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है, जिसमें मदिरा की तीव्रता निर्धारण हेतु 0.5 अंश (0.3 प्रतिशत आयतन दर आयतन) तक छूट अनुमन्य है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियम 790 के प्रावधानों के अनुसार आबकारी शुल्क रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के बाद हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित प्रत्यक्ष तीव्रता पर आरोपणीय होता है।

3.2.10 अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम तथा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत एक लाइसेन्सधारी फुटकर बिक्रेता, थोक विक्रेता (ठेकेदार) से शुल्क तथा अनुबन्धित मूल्य के भुगतान के पश्चात उपयुक्त समय के भीतर, स्पिरिट प्राप्त करने का हकदार होता है। जिलाधिकारी द्वारा निश्चित किए गए उपयुक्त समय के भीतर, ठेकेदार द्वारा स्पिरिट की आपूर्ति न किए जाने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा स्पिरिट कहीं और से उपलब्ध करायी जाएगी तथा इसमें सरकार को हुयी किसी प्रकार की हानि और खर्च ठेकेदार से वसूल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही स्पिरिट की उस मात्रा पर, जिसकी मांग की गयी किन्तु आपूर्ति नहीं की जा सकी, आबकारी आयुक्त की मर्जी के अनुसार ठेकेदार 17.50 रुपए प्रति अल्कोहलिक लीटर तक अर्थदण्ड का दायी होगा।

बंधित गोदाम (देशी स्पिरिट) मेरठ तथा सहारनपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए इन बंधित गोदामों को स्पिरिट आपूर्ति किए जाने हेतु दौराला (मेरठ) तथा सहारनपुर आसवनियों (थोक विक्रेता) को ठेका दिया गया था, किन्तु ये आसवनियाँ लाइसेन्सधारी फुटकर विक्रेताओं द्वारा मांगी गयी 3494916 अल्कोहलिक लीटर स्पिरिट की जिलाधिकारी द्वारा निश्चित किए गए उपयुक्त समय के अन्दर आपूर्ति करने में असफल रहीं।

जिलाधिकारी मेरठ तथा सहारनपुर द्वारा स्पिरिट की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति का प्रबन्ध सिम्भौली आसवनी, गाजियाबाद से किया गया। स्पिरिट की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति न किए जाने पर 611.61 लाख रुपए का अधिकतम अर्थदण्ड थोक विक्रेताओं पर आरोपणीय था जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

देशी मदिरा के थोक विक्रेताओं पर 611.61 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

3.2.11 परिपक्वन छीजन पर आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए स्पिरिट के परिपक्वन नियमावली के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0 एम0 एफ0 एल0) के लिए लकड़ी के पीपों में स्पिरिट के परिपक्वन में परिवहन तथा संचय पर कोई छीजन अनुमन्य नहीं है। आसवनियाँ परिपक्वन के दौरान हुए ऐसे छीजन पर जिसका आगणन प्रत्येक वर्ष की तिमाही अर्थात् 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर तथा 31 मार्च को होगा, पूर्ण दर से आबकारी शुल्क के भुगतान की दायी होंगी। उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार आसवकों द्वारा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा सावधि जमा प्राप्ति के रूप में 5 लाख रुपये की प्रतिभूति सरकार को गिरवी रखते हुए, जमा करना अपेक्षित है।

पांच आसविनयों* के अभिलेखों की नमूना जांच में यह देखा गया कि 1 नवम्बर 1994 से 31 मार्च 1998 तक की अवधि में 114515.4 अल्कोहलिक लीटर परिशोधित/ माल्ट स्पिरिट परिपक्वन के दौरान लकड़ी के पीपों में नष्ट हो गयी।

नियमों में छीजन की कोई छूट अनुमन्य नहीं है और छीजन पर 47.19 लाख रुपए का शुल्क आरोपणीय था, परन्तु यह न तो आरोपित किया गया और न ही वसूल किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि प्रत्येक आसवक से वांछित 5 लाख रुपए की प्रतिभूति की कुल 25 लाख रुपए की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/ सावधि जमा प्राप्ति के रूप में नहीं प्राप्त की गई।

परिपक्वन छीजन पर 47.19 लाख रुपये के शुल्क तथा 25 लाख रुपये की जमानत धनराशि आसवकों से वसूली नहीं गयी।

3.2.12 पुनर्आसवन से शुल्क की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत परिशोधित स्पिरिट विदेशी मदिरा की श्रेणी में आती है। बेहतर गुणवत्ता वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के

* मोहन नगर (गाजियाबाद), सिम्भौली (गाजियाबाद), पिलखनी (सहारनपुर), अजुधिया (मुरादाबाद) एवं रामपुर

उत्पादन के लिए अपेक्षित एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई0 एन0 ए0) के विनिर्माण के उद्देश्य से परिशोधित स्पिरिट का आगे पुनः आसवन किया जा सकता है। अधिनियम में परिशोधित स्पिरिट से उत्पादित तथा उस ई0 एन0 ए0 से उत्पादित भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई0 एम0 एफ0 एल0) के लिए अलग-अलग शुल्क की दरें निर्धारित नहीं हैं। परिशोधित स्पिरिट से ई0एन0ए0 के उत्पादन हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है।

परिशोधित स्पिरिट के पुनः आसवन के कारण 24.95 करोड़ रुपये का शुल्क कम वसूल किया गया।

10 आसवनियों* की नमूना जाँच में यह देखा गया कि 123061801.8 अल्कोहलिक लीटर परिशोधित स्पिरिट का उपयोग वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में ई0 एन0 ए0 बनाने के लिए किया गया जिसकी आवश्यकता बेहतर गुणवत्ता वाली विदेशी मदिरा बनाने के लिए थी। ई0 एन0 ए0 से उत्पादित भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 85088782.3 अल्कोहलिक लीटर पर 490.39 करोड़ रुपये का शुल्क प्रभारित किया गया था और उसमें से 2296794.3 अल्कोहलिक लीटर छीजन के उपरान्त 35676225.2 अल्कोहलिक लीटर अशुद्ध स्पिरिट प्राप्त हुई थी। यदि परिशोधित स्पिरिट का प्रयोग बिना पुनः आसवन किए हुए ही सीधे भारत निर्मित विदेशी मदिरा बनाने के लिए कर लिया गया होता तो शासन को 515.34 करोड़ रुपये आबकारी शुल्क की प्राप्ति होती। ई0 एन0 ए0 से निर्मित भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लिए उच्चतर दर न निर्धारित होने तथा पुनर्आसवन के बाद बची स्पिरिट (अशुद्ध स्पिरिट) पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय शुल्क से निम्नतर दर अपनाए जाने के फलस्वरूप 24.95 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

3.2.13 लाइसेंसों के निर्गमन में असफलता

अधिनियम एवं उसके अधीन बने निमयों के अन्तर्गत संविदा आपूर्ति पद्धति द्वारा देशी मदिरा की आपूर्ति के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा ठेकेदारों को, सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद के लिए समय-समय पर बल्क लीटर में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा को, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए अनुज्ञापन शुल्क के भुगतान किए जाने पर सी0एल0-1 अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा, ठेकेदारों को सी0 एल0 -1 अनुज्ञापन स्वीकृत करने के पूर्व फार्म सी0 एल0 -22 नोटिस

* 1. करम चन्द्र थापर, उन्नाव 2. दौराला आसवनी दौराला, मेरठ 3. सरैया आसवनी, गोरखपुर 4. सिम्भौली आसवनी, गाजियाबाद 5. पिलखनी आसवनी सहारनपुर 6. नारंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड आसवनी नवाबगंज, गोण्डा 7. शामली आसवनी, मुजफ्फरनगर 8. बहेडी आसवनी, बरेली 9. रामपुर आसवनी, रामपुर एवं 10. बाजपुर सहकारी आसवनी, ऊधमसिंह नगर

के माध्यम से फार्म सी0 एल0 - 23 में निविदा आमंत्रित की जाती है।

वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्यमान 64 जिलों के भू-भाग काटकर 15 अतिरिक्त नए जनपदों का सृजन किया गया। आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 3 अक्टूबर 1997 के अनुसार आसवनियों को नवसृजित जनपदों को देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अनिश्चितता व्याप्त होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि जो आसवनियाँ देशी मदिरा की आपूर्ति पहले कर रही थीं, वही नवसृजित जनपदों के लिए भी आपूर्ति जारी रखेंगी। नियमानुसार सरकार के अनुमोदन के पश्चात नए अनुबन्ध क्षेत्रों (जनपदों) में देशी शराब की आपूर्ति हेतु आपूर्ति कर्ताओं द्वारा सी0 एल0 -1 लाइसेन्स प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। नए जनपदों को बिना अलग सी0एल0- 1 लाइसेन्स के देशी मदिरा की आपूर्ति की गयी जब कि निविदा आमंत्रित किए जाने एवं सी0 एल0-1 लाइसेन्स प्रकरण निस्तारित किए जाने हेतु पर्याप्त समय (अगस्त 1997 से मार्च 1998 तक) था। इसके फलस्वरूप 45 लाख रुपए की राजस्व क्षति हुयी।

नवसृजित जनपदों को बिना सी0 एल0- 1 लाइसेन्स के देशी मदिरा की आपूर्ति किये जाने के फलस्वरूप 45 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

ये मामले विभाग/शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (अगस्त 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1998)।

3.3 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण

29 मार्च, 1985 से यथासंशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ कोई आबकारी राजस्व देय तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया जाता है वहाँ जिस तिथि से आबकारी राजस्व देय होता है, उस तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज वसूली योग्य हो जाता है। उस आबकारी राजस्व के सम्बन्ध में जो अधिनियम में संशोधन की तिथि के पूर्व देय था किन्तु संशोधन की तिथि से तीन माह के अन्दर अदा नहीं किया गया, 29 मार्च 1985 से उसी दर से ब्याज प्रभारित किया जाना अपेक्षित था।

4 जिला आबकारी कार्यालयों* की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1997 से

* मुजफ्फरनगर, मेरठ, जौनपुर एवं प्रतापगढ़

जुलाई 1997 के मध्य) कि वर्ष 1974-75 से 1992-93 तक की समयावधि से सम्बन्धित 6.39 लाख रुपये का आबकारी राजस्व 41 से 144 माहों के विलम्ब से (जनवरी 1995 से मार्च 1997 के मध्य) जमा किया गया। फिर भी विलम्बित भुगतान पर 9.11 लाख रुपए का ब्याज आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किए गए थे (जुलाई 1997 तथा जुलाई 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

अनुलग्नक–1

आसवनियों में आसव उत्पादन की प्रवाह तालिका

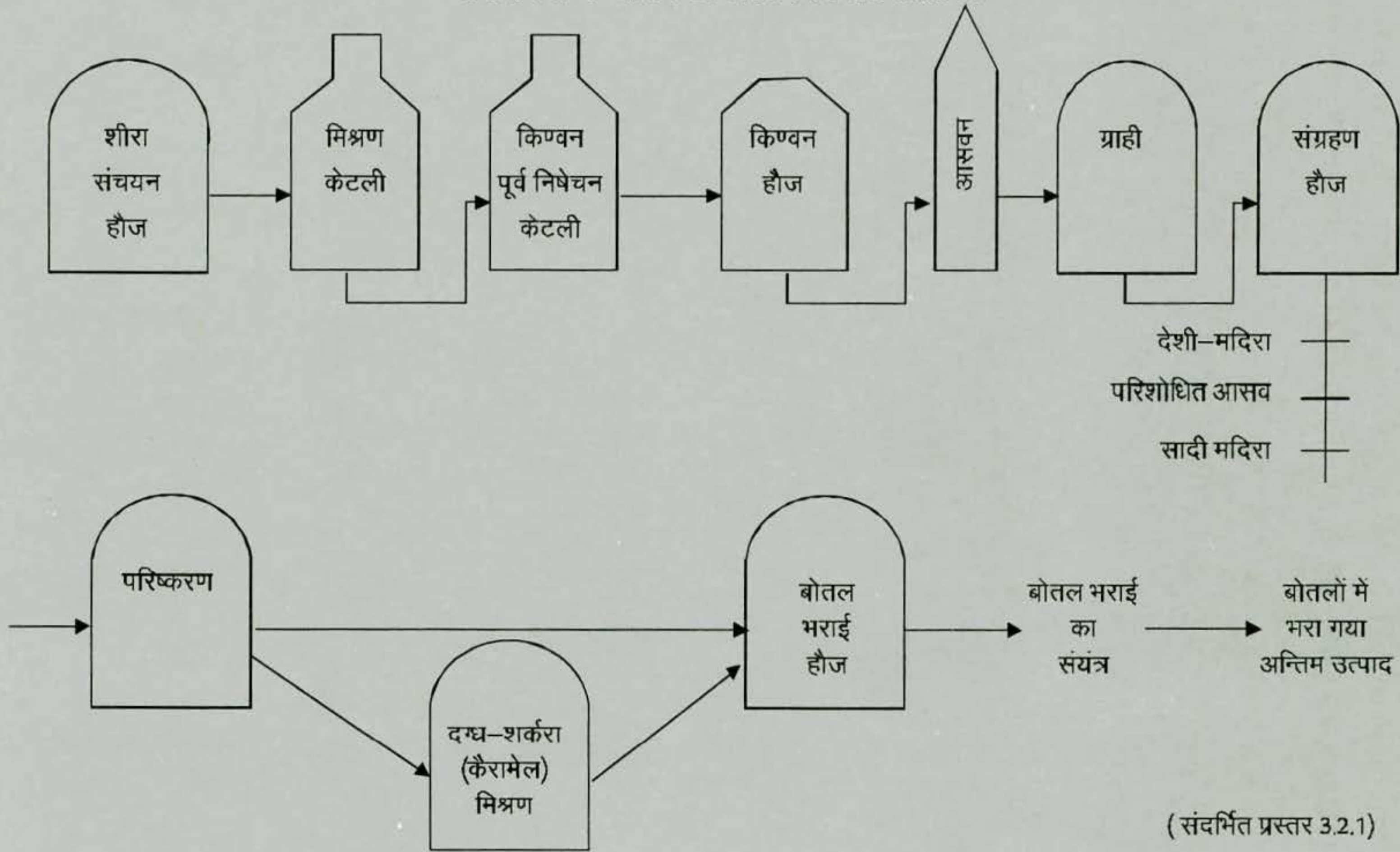

(संदर्भित प्रस्तर 3.2.1)

अध्याय 4

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय 4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	99
4.2	(क) यात्रीकर का न वसूल/कम वसूल किया जाना	100
	(ख) एकमुश्त यात्रीकर का गलत आगणन	100
4.3	अनुबन्धित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना	101
4.4	यात्रीकर की अनियमित छूट	102

अध्याय **4**

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 1997-98 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 106 मामलों में 212.78 लाख रुपए की धनराशि के करों/शुल्कों का कम लगाया जाना उद्घाटित हुआ, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

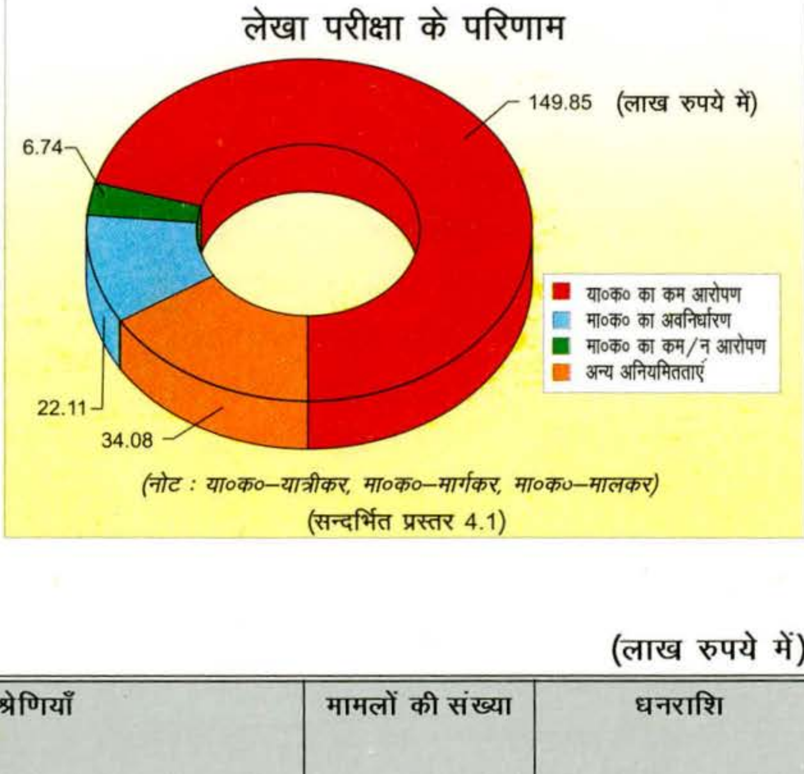

(नोट : या०क०–यात्रीकर, मा०क०–मार्गकर, मा०क०–मालकर)

(सन्दर्भित प्रस्तर 4.1)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्रीकर/अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना	56	149.85
2.	मार्गकर का अवनिर्धारण	7	6.74
3.	मालकर का न लगाया/कम लगाया जाना	7	22.11
4.	अन्य अनियमितताएँ	36	34.08
	योग	**106**	**212.78**

वर्ष 1997-98 के दौरान विभाग ने 9 मामलों में निहित 43.24 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया जो वर्ष 1997-98 में लेखा परीक्षा में इंगित किए गए थे। जिसमें से 0.99 लाख रुपए वसूल कर लिये गये हैं। 43.24 लाख रुपए से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मामलों को उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

4.2 (क) यात्रीकर का न वसूल/कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत राज्य में प्रक्रम वाहनों द्वारा यात्रा करने पर वाहन स्वामियों को देय किराए पर 16 प्रतिशत की दर से यात्रीकर देय है। वाहन-स्वामी द्वारा कर का संग्रह तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार, वाहन-स्वामी द्वारा देय कर की धनराशि को या इसके बदले में एकमुश्त धनराशि को स्वीकार करने की सहमति दे सकती है।

> ***जून 1994 से जुलाई 1997 की अवधि के दौरान 17.25 लाख रुपये का यात्रीकर नहीं वसूल/ कम वसूल किया गया।***

उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, इटावा की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1997) कि यद्यपि जून 1994 से जनवरी 1996 के मध्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत वैध परमिटों के अधीन भर्तना-जुहिखा मार्ग पर 12 प्रक्रम वाहन संचालित हो रहे थे, फिर भी उक्त मार्ग पर 4 वाहनों से देय 5.84 लाख रुपए के यात्रीकर की वसूली में विभाग असफल रहा तथा शेष 8 वाहनों से 11.41 लाख रुपए कम वसूला गया। इसके फलस्वरूप जून 1994 से जुलाई 1997 की अवधि के दौरान 17.25 लाख रुपए के राजस्व की वसूली नहीं/ कम की गयी।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1997, मार्च 1998 एवं पुनः जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

4.2 (ख) एकमुश्त यात्रीकर का गलत आगणन

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी प्रक्रम वाहन का किसी मार्ग पर एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत देय यात्रीकर, सम्पूर्ण मार्ग पर देय कुल किराया, प्रक्रम वाहन द्वारा लगाए जाने वाले स्वीकृत या प्रत्याशित एकल फेरों की संख्या तथा भारकारक के आधार पर आगणित किया जाता है। मार्ग, फेरों की संख्या, बैठने या खड़े होने की क्षमता

या किराया में कोई परिवर्तन होने पर एकमुश्त अनुबन्ध, ऐसे परिवर्तन की तिथि से, निष्प्रभावी हो जाता है तथा तत्पश्चात् अनुबन्ध की असमाप्त अवधि के लिए नया अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

यात्रीकर की गलत संगणना के फलस्वरूप 10.64 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुरादाबाद तथा उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय गाजीपुर की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 1996 एवं जुलाई 1997) कि मुरादाबाद कार्यालय के अन्तर्गत हसनपुर-गजरौला मार्ग पर 22 प्रक्रम वाहनों के परिचालकों द्वारा 1 जुलाई 1992 से 13 अगस्त 1993 की अवधि के दौरान उस किराए से अधिक किराया वसूल किया जा रहा था जो यात्रीकर के एकमुश्त अनुबन्ध के लिए अपनाया गया था। इसी प्रकार गाजीपुर कार्यालय के अन्तर्गत जमनिया-बारा वाया दिलदार नगर मार्ग के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि मार्ग का किराया, एकल फेरे तथा भारकारक उनसे बहुत अधिक थे जिनके आधार पर 8 जून 1994 से 30 जून 1997 की अवधि के लिए 9 वाहनों के सम्बन्ध में यात्रीकर का एकमुश्त अनुबन्ध किया गया था किन्तु दोनों मामलों में यात्रीकर के एकमुश्त अनुबन्ध पुनरीक्षित नहीं किए गए तथा निम्नतर दरों पर यात्रीकर की वसूली की जाती रही। इसके फलस्वरूप 10.64 लाख रुपए के कर की कम वसूली हुयी।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1997 तथा दिसम्बर 1997) एवं अनुस्मारक दिये गये थे (फरवरी 1998, मार्च 1998 तथा जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

4.3 अनुबन्धित वाहनों पर यात्रीकर का निर्धारण न किया जाना

उ. प्र. मोटर गाड़ी (यात्रीकर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, राज्य में प्रक्रम वाहनों (अनुबन्धित वाहनों सहित) द्वारा यात्रा करने पर यात्री द्वारा वाहन स्वामियों को देय किराए पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर से यात्रीकर देय है। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत, अनुबन्धित वाहनों (मोटर कैब को छोड़कर) के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्रीकर का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ देय किराया तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है। आगे यह भी प्रावधान हैं कि यात्रीकर के आरोपण में संज्ञान में लिया गया किराया, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम दर के 85 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा एक माह में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4000 किलोमीटर से कम नहीं होगी।

दिसम्बर 1992 से जुलाई 1997 के मध्य अनुबन्धित वाहनों पर 8.27 लाख रुपये के यात्रीकर का निर्धारण नहीं किया गया।

3 उपसम्भागीय कार्यालयों* की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (मार्च 1997 एवं अगस्त 1997) कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा 6 ठेका गाड़ियों तथा 2 मैक्सी कैबों को 5 वर्षों हेतु परमिट स्वीकृत किया गया था। इनके चालक अपने उप सम्भाग कार्यालयों में मार्ग कर जमा कर रहे थे लेकिन यात्रीकर न तो निर्धारित किया गया और न ही वसूला गया। इसके फलस्वरूप दिसम्बर 1992 से जुलाई 1997 की अवधि हेतु एकमुश्त अनुबन्ध के आधार पर आगणित 8.27 लाख रुपये का राजस्व वसूला नहीं गया।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1997, मार्च 1998 तथा पुनः जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

4.4 यात्रीकर की अनियमित छूट

शासन की विज्ञप्ति दिनांक 30 सितम्बर 1962 द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व वाले प्रक्रम वाहनों को यात्रीकर से छूट दी गयी है।

3 फरवरी 1995 से 30 अप्रैल 1997 की अवधि के दौरान 7.08 लाख रुपये के यात्रीकर की अनियमित छूट दी गई।

2 उपसम्भागों (बिजनौर तथा जौनपुर) में 3 वाहन (सहकारी चीनी मिल्स, नजीबाबाद, राज्य चीनी निगम, चाँदपुर तथा श्री बल्देव सिंह से सम्बन्धित) अगस्त 1989 से सितम्बर 1996 के मध्य स्कूल बस के रूप में पंजीकृत किए गए थे तथा बच्चों को उनके घर से स्कूल ले जाने एवं वापस लाने में प्रयोग किये जाते थे। चूंकि वाहन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे, इसलिए ये वाहन यात्रीकर की छूट के हकदार नहीं थे। इसके फलस्वरूप 7.08 लाख रुपये के यात्रीकर का आरोपण नहीं हुआ। विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है:

---

* इटावा, मिर्जापुर एवं लखीमपुर खीरी

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	उपसम्भाग का नाम	वाहन स्वामी	पंजीयन का माह	सम्मिलित वाहन	अनारोपण की अवधि	अनारोपित कर
1.	स0सं0प0अ0, बिजनौर	(i) सहकारी चीनी मिल्स, नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश (ii) राज्य चीनी निगम, चांदपुर, उत्तर प्रदेश	फरवरी 1995 सितम्बर 1996	1 1	3 फरवरी 1995 से 30 अप्रैल 1997 3 सितम्बर 1996 से 30 अप्रैल 1997	2.79
2.	स0सं0प0अ0, जौनपुर	श्री बल्देव सिंह	अगस्त 1989	1	1 अगस्त 1989 से 31 जनवरी 1996	4.29
		योग		**3**		**7.08**

मामले विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किए गए थे (मई तथा जनवरी 1998 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

अध्याय 5 : स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	109
5.2	कृषि/कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	110
5.3	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	110

अध्याय 5

स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 की लेखापरीक्षा के दौरान जिला निबंधकों, उपनिबंधकों तथा जिला स्टाम्प अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 258 मामलों में 246.59 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस कम आरोपित किए जाने का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

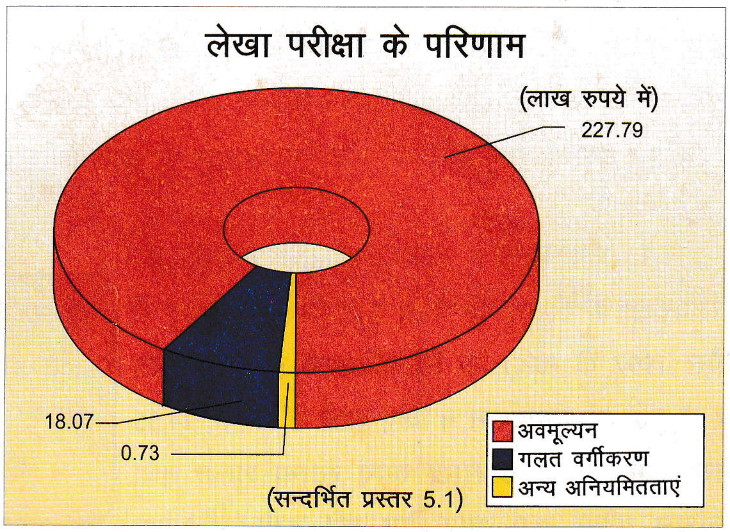

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	233	227.79
2.	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	12	18.07
3.	अन्य अनियमितताएं	13	0.73
	योग	**258**	**246.59**

Discussed on 8.9.2000 and P.A.C. directed to the deptt. to submit a detailed report with action taken against erring officers within a month. 8/9/2000

वर्ष 1997-98 में इंगित किए गए 51 मामलों में विभाग ने 1997-98 के दौरान 33.35 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया। महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को दर्शाने वाले 37.57 लाख रुपए के कुछ मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित हैं।

5.2 कृषि/कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने हेतु यथा संशोधित) के अन्तर्गत, कृषि भूमि के अन्तरण विलेख में उल्लिखित मूल्य या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। अग्रेतर, कृषि-इतर भूखण्ड, जो किसी नगर क्षेत्र, नगर पालिका या नगर महापालिका की नगर सीमा के अन्तर्गत आते हैं, के हस्तान्तरण से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों पर, स्टाम्प शुल्क, जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में निर्धारित विलेख के निष्पादन की तिथि को उस क्षेत्र में प्रचलित औसत मूल्य प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आरोपणीय होता है।

> ***कृषि/कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यन के कारण 24.71 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपित किया जाना।***

10 उपनिबन्धक कार्यालयों (14 मामले) की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1995 से अप्रैल 1997 के मध्य) कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से भूमि का मूल्यांकन न किए जाने से क्रमशः 24.55 लाख रुपए एवं 0.16 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस कम आरोपित की गयी। विवरण अनुलग्नक–2 में दिया गया है।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (अगस्त 1996, अप्रैल 1998 तथा जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

5.3 विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क, उस विलेख में अभिलिखित सौदे की वास्तविक प्रकृति या विषय वस्तु पर निर्भर करता है न कि विलेख को निष्पादित करने वाले पक्षों द्वारा दिए गए टाइटिल, विवरण या नामकरण पर।

विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण 12.86 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपित किया जाना।

उपनिबन्धक, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर) के कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (जनवरी 1997) कि 19 विलेख लीज-अनुबन्ध के बदले विक्रय-अनुबन्ध के रूप में पंजीकृत किए गए एवं तद्नुसार स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया। इस प्रकार विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण 12.86 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ जो नीचे दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	निबन्धन कार्यालयों के नाम	लीज स्वामित्व का विवरण	अनुसूची 1–ब के अनुच्छेद 35 (ब) के प्रावधानानुसार सम्पत्ति का मूल्य	लीज अनुबन्ध पर स्टाम्प शुल्क की देयता 125 रुपए प्रति हजार की दर से	विक्रय अनुबन्ध पर अदा किया गया स्टाम्प शुल्क 62.50 रुपए प्रति हजार की दर से	कम आरोपित किया गया स्टाम्प शुल्क
1.	उपनिबन्धक–II, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	भूखण्ड सं.– सी–79, ए–48, ए–70, सी–12 एवं सी–66	43.70	5.46	2.74	2.72
2.	–तदैव–	सी–75, 104, डी–97, एफ–13, ए–17, पी–100, ए–60, एफ–28, सी–167, ए–12 एवं एम–5	133.71	16.71	7.20	9.51
3.	उपनिबन्धक–III, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	बी–202	10.00	1.25	0.62	0.63
	योग		**187.41**	**23.42**	**10.56**	**12.86**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी, अप्रैल तथा जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

अनुलग्नक–2
(सन्दर्भित प्रस्तर 5.2)

क्रम सं.	निबंधन कार्यालय का नाम	सम्पत्ति की प्रकृति	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से सम्पत्ति का मूल्य	विलेखों में लिया गया मूल्य	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क	वसूली योग्य निबंधन फीस	वसूली गयी निबन्धन फीस	कम आरोपित निबन्धन फीस
1.	उपनिबंधक–II, कानपुर नगर	कृषि–इतर भूमि	49.91	12.30	5.45	--	--	--
2.	उपनिबंधक–II, कानपुर नगर	कृषि–इतर भूमि	31.20	2.80	4.12	--	--	--
3.	उपनिबंधक–III, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	कृषि–इतर भूमि	21.52	1.54	2.50	0.05	0.03	0.02
4.	उपनिबंधक–III, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	कृषि–इतर भूमि	22.77	4.00	2.35	--	--	--
5.	जिला निबंधक, बिजनौर	कृषि–इतर भूमि	23.00	6.21	2.10	--	--	--
6.	उपनिबंधक–III, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	कृषि–इतर भूमि	13.66	2.40	1.41	--	--	--
7.	उपनिबंधक–II, वाराणसी	कृषि–इतर भूमि	9.79	1.13	1.26	0.05	0.02	0.03
8.	उपनिबंधक–II, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	कृषि–इतर भूमि	11.39	1.65	1.22	--	--	--

क्रम सं.	निबंधन कार्यालय का नाम	सम्पत्ति की प्रकृति	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर से सम्पत्ति का मूल्य	विलेखों में लिया गया मूल्य	कम आरोपित स्टाम्प शुल्क	वसूली योग्य निबंधन फीस	वसूली गयी निबन्धन फीस	कम आरोपित निबन्धन फीस
9.	उपनिबंधक–IV, गाजियाबाद	कृषि–इतर भूमि	9.36	2.64	0.84	--	--	--
10.	उपनिबंधक–II, बुलन्दशहर	कृषि–इतर भूमि	8.33	2.78	0.80	--	--	--
11.	उपनिबंधक, डेरापुर, कानपुर (देहात)	कृषि–इतर भूमि	6.70	0.58	0.77	0.05	0.01	0.04
12.	उपनिबंधक, बिजनौर	कृषि भूमि	6.28	1.17	0.74	--	--	--
13.	उपनिबंधक–II, नोयडा (गौतम बुद्ध नगर)	कृषि–इतर भूमि	4.94	0.49	0.56	0.05	0.01	0.04
14.	उपनिबंधक, लखीमपुर खीरी	कृषि–इतर भूमि	5.35	0.90	0.43	0.05	0.02	0.03
	योग		**224.20**	**40.59**	**24.55**	**0.25**	**0.09**	**0.16**

अध्याय 6

भू-राजस्व

अध्याय 6 : भू-राजस्व

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	119
6.2	संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	120

अध्याय 6

भू-राजस्व

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

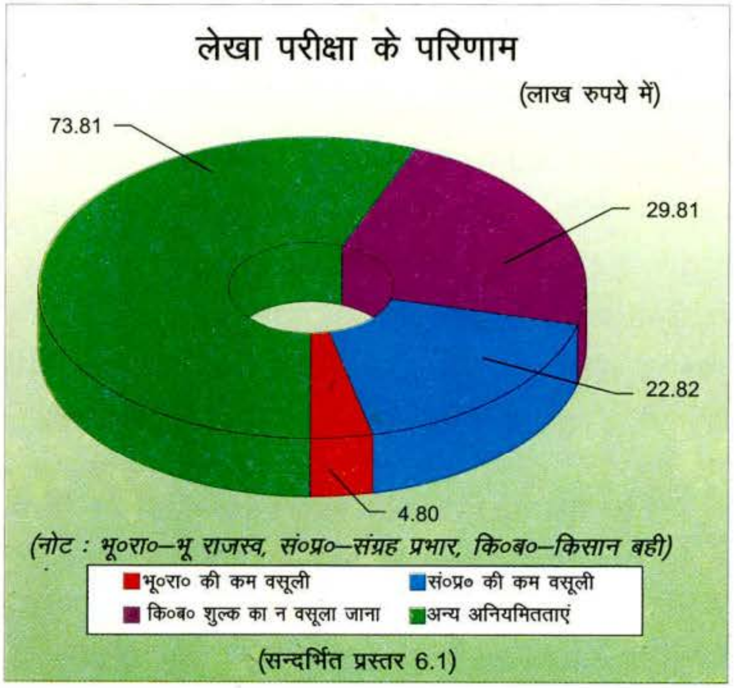

वर्ष 1997-98 की अवधि में लेखा परीक्षा में किए गए राजस्व विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 113 मामलों में 131.24 लाख रुपए के संग्रह प्रभार का कम वसूल किया जाना, भू-राजस्व का न/कम वसूल किया जाना, किसान बही की आपूर्ति पर फीस की वसूली न किए जाने तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

Discussed on 8-9-2003 3.00 PM. and P.A.C. desired to submit detailed report/information by the deptt.

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	भू–राजस्व का न/कम वसूल किया जाना	11	4.80
2.	संग्रह प्रभार की कम वसूली	22	22.82
3.	किसान बही की आपूर्ति के लिए फीस का न वसूला जाना	17	73.81
4.	अन्य अनियमितताएँ	63	29.81
	योग	113	131.24

वर्ष 1997-98 के दौरान अवनिर्धारण आदि के 52.34 लाख रुपए के 15 मामले विभाग द्वारा स्वीकार किए गए जिनमें से 12 मामलों में निहित 49.21 लाख रुपए वर्ष 1997-98 की लेखा परीक्षा में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

52.45 लाख रुपए के वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामलों को अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है:

6.2 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 तथा समय-समय पर जारी किए गए राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम या परिषद या बैंकिंग कम्पनी अथवा स्थानीय निकाय से वसूली प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि एवं कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) भू-राजस्व के बकाए की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे। संग्रहीत किए गए देयों की धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार राजस्व अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है। जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्र को सम्बन्धित निकायों द्वारा उनके अपने अनुरोध पर वापस लौटा दिये जाने के मामले में अथवा चूक कर्ताओं द्वारा देयों को सीधे सम्बन्धित निकायों को भुगतान कर दिया जाता है, तो भी संग्रह प्रभार उसी दर से वसूल किया जाएगा।

अन्य सरकारी/स्थानीय निकायों से सम्बन्धित वसूली प्रमाण-पत्रों के सापेक्ष 52.45 लाख रुपये के संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना।

12 तहसील कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 1996 और अक्टूबर 1997 के मध्य) कि 52.45 लाख रुपए के संग्रह प्रभारों की वसूली नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नहीं की गयी :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	तहसील का नाम	वसूली योग्य देय	वसूला गया देय	देय जिसके लिए वसूली प्रमाण पत्र लौटाया गया/सीधे जमा किया गया	देय संग्रह प्रभार	वसूला गया संग्रह प्रभार	संग्रह प्रभार जो वसूल नहीं किये गये
1.	कन्नौज (फर्रुखाबाद)	7.00	--	7.00	0.70	--	0.70
2.	महमूदाबाद (सीतापुर)	5.38	4.49	0.89	0.54	--	0.54

क्रम सं.	तहसील का नाम	वसूली योग्य देय	वसूला गया देय	देय जिसके लिए वसूली प्रमाण पत्र लौटाया गया/सीधे जमा किया गया	देय संग्रह प्रभार	वसूला गया संग्रह प्रभार	संग्रह प्रभार जो वसूल नहीं किये गये
3.	सिकन्दरा राव (अलीगढ़)	9.07	--	9.07	0.91	--	0.91
4.	पीलीभीत	18.05	--	18.05	1.81	--	1.81
5..	मेरठ	14.99	--	14.99	1.50	--	1.50
6.	सीतापुर	9.63	1.59	8.04	0.96	--	0.96
7.	अलीगढ़	223.01	--	223.01	22.30	--	22.30
8.	मिश्रिख (सीतापुर)	7.43	--	7.43	0.74	---	0.74
9.	लालगंज (आजमगढ़)	15.59	4.60	10.99	1.56	0.46	1.10
10.	जमनियां (गाजीपुर)	172.16	0.11	172.05	17.22	--	17.22
11.	नगीना (बिजनौर)	37.93	--	37.93	3.79	--	3.79
12.	बिजनौर	8.76	--	8.76	0.88	--	0.88
	योग	**529.00**	**10.79**	**518.21**	**52.91**	**0.46**	**52.45**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी 1997, फरवरी 1998 तथा जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय 7 : अन्य कर प्राप्तियाँ

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
क.	**विद्युत शुल्क**	127
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	127
7.2	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना	128
ख.	**गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार**	129
7.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	129
7.4	क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी	129

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियाँ

क. विद्युत शुल्क

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

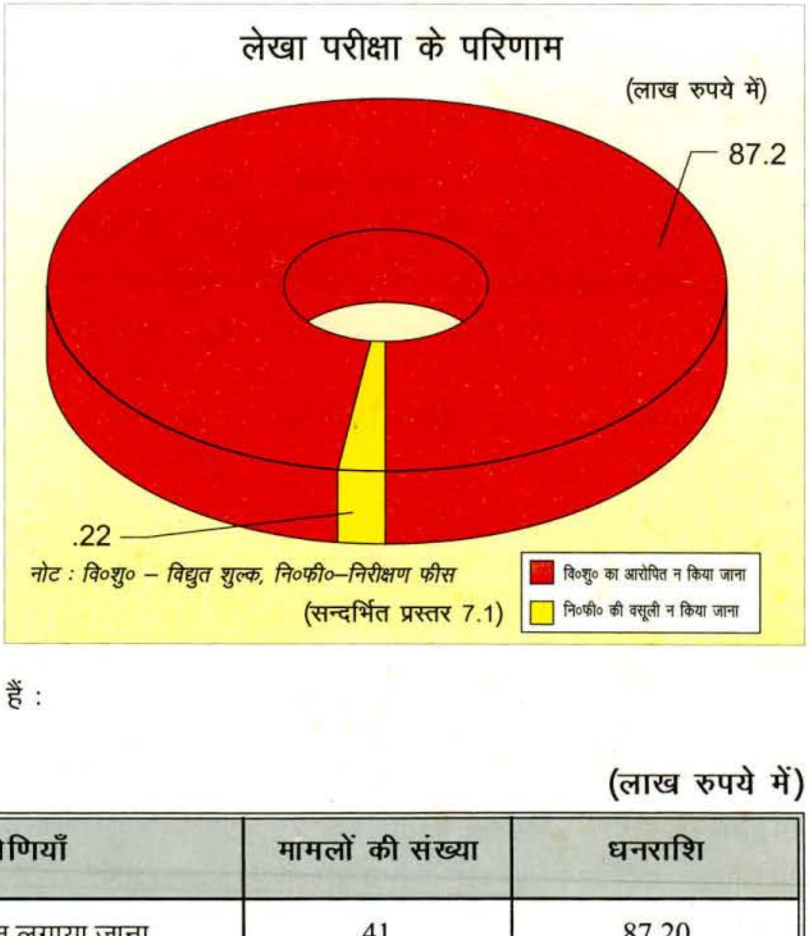

वर्ष 1997-98 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों की नमूना जांच से 50 मामलों में 87.42 लाख रुपए के विद्युत शुल्क एवं निरीक्षण फीस के न लगाए जाने/कम लगाए जाने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विद्युत शुल्क का न लगाया जाना	41	87.20
2.	निरीक्षण फीस की वसूली न किया जाना	9	0.22
	योग	**50**	**87.42**

17.91 लाख रुपए वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं:

G-17

7.2 निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना

(क) उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विद्युत शुल्क या ब्याज/अर्थदण्ड की कोई देय धनराशि यदि निर्धारित अवधि के अन्दर राज्य सरकार को भुगतान नहीं की जाती तो वह भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूली योग्य हो जायेगी।

यह देखा गया (जुलाई 1997) कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम ने जुलाई 1971 में 3 तथा अक्टूबर 1984 में 6 चीनी मिलों को अधिग्रहीत किया। अधिग्रहण के समय ये मिलें सितम्बर 1970 से अक्टूबर 1984 की अवधि के लिए 5.21 लाख रुपए विद्युत शुल्क तथा 7.35 लाख रुपए ब्याज/अर्थदण्ड के भुगतान में असफल रहीं जो नियमों के अन्तर्गत भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूल किया जाना अपेक्षित था। निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत, वसूली योग्य धनराशि को, इन मिलों को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति से समायोजित करने की अनुमति प्रदान की गयी। फिर भी मार्च 1998 तक क्षतिपूर्ति की धनराशि से इसे समायोजित नहीं किया गया। निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के फलस्वरूप 12.56 लाख रुपए का विद्युत शुल्क एवं ब्याज/अर्थदण्ड वसूल किये जाने से रह गया।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई तथा जुलाई 1998); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1998)।

Discussed in PAC on 16.8.2000

(ख) उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 के साथ पठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी अनुज्ञापी से यह अपेक्षित है कि जिस माह में मीटर रीडिंग अभिलिखित की जाती है उसकी समाप्ति के दो माह के अन्दर, देय शुल्क की धनराशि सरकारी कोषागार में जमा कर दे तथा निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को इस प्रकार दो माह की समाप्ति के दस दिनों के अन्दर प्रेषित होने वाली सूचना के साथ सम्बन्धित सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) को कोषागार चालान की रसीदी प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दे। भुगतान न की गयी विद्युत शुल्क की धनराशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्रभार्य होगा। विद्युत शुल्क की देय धनराशि अथवा ब्याज, यदि निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को भुगतान न किया जाय, तो विद्युत आपूर्ति लाइन विच्छेदित कर दी जाएगी तथा वह भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूली योग्य हो जाएगा।

खण्डीय विद्युत अभियन्ता (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद के कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1997) कि दो रेलवे स्टेशनों (हापुड़ तथा मुरादाबाद) की आवासीय कालोनियों

में जनवरी 1995 से दिसम्बर 1996 की अवधि के दौरान उपभुक्त ऊर्जा पर देय 5.35 लाख रुपए का विद्युत शुल्क अदा नहीं किया गया। विभाग ने आपूर्ति लाइन को न तो विच्छेदित किया और न ही विद्युत शुल्क तथा उस पर देय ब्याज की धनराशि को भू-राजस्व के बकाए की तरह वसूल करने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई तथा जुलाई 1998)। विभाग ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 1998) कि 32.91 लाख रुपए की धनराशि (मार्च 1996 तक देय विद्युत शुल्क) 8 अगस्त 1997 को कोषागार चालान संख्या-एस-5 (उक्त कोषागार चालान द्वारा जमा की गयी कुल धनराशि 112.52 लाख रुपए थी जिसमें उपरोक्त धनराशि शामिल है) द्वारा जमा की गयी है। 30 जुलाई 1998 को पुनः अनुस्मारक जारी किया गया फिर भी शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1998)।

ख. गन्ने के क्रय पर कर एवं शीरे की बिक्री पर प्रशासनिक प्रभार

7.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान चीनी मिलों तथा खाण्डसारी इकाइयों के लेखा तथा संगत अभिलेखों की लेखा परीक्षा में किए गए नमूना जाँच में गन्ने के क्रय पर कर तथा शीरे की बिक्री और आपूर्ति पर प्रशासनिक प्रभार के 14 मामलों में 0.87 लाख रुपए के कर के अनारोपण/कम आरोपण का पता चला।

वर्ष 1997-98 के दौरान विभाग ने 8 मामलों में 5.83 लाख रुपए के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किए जो पूर्ववर्ती वर्षो की लेखा परीक्षा में इंगित किए गए थे। 103.44 लाख रुपए के वित्तीय प्रभाव का एक मामला अनुवर्ती प्रस्तर में दिया गया है।

7.4 क्रय कर का भुगतान किए बिना चीनी की निकासी

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 की धारा-3क के अन्तर्गत किसी भी चीनी मिल का मालिक मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा या करायेगा जब तक वह इस प्रकार चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने के क्रय पर आरोपणीय कर का भुगतान न कर दे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने की दशा में, मिल मालिक कर की धनराशि के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में, कुल देय धनराशि के सौ प्रतिशत से अनधिक धनराशि के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में शासन को कर के भुगतान को विलम्बित करने के अधिकार का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी राज्य

सरकार ने इस शर्त के साथ कि प्रतिवर्ष एक निधि सृजित की जाएगी तथा विलम्बित अवधि की समाप्ति के बाद 5 समान किश्तों में विलम्बित कर का भुगतान कर दिया जाएगा, सहकारी/सार्वजनिक उपक्रम की नई चीनी मिलों को उनके उत्पादन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान कर के भुगतान को विलम्बित करने के आदेश निर्गत किए (दिसम्बर 1988) ।

मऊ स्थित सहकारी चीनी मिल द्वारा 1.03 करोड़ रुपये के क्रय कर के भुगतान किये बिना चीनी की निकासी दी गई।

मऊ जिले की सहकारी चीनी मिल के गन्ना क्रय-कर से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1990 तथा जून 1997 के मध्य) कि मिल ने 1984-85 से 1988-89 एवं 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान क्रमशः 50.33 लाख रुपए तथा 147.95 लाख रुपए के कर के भुगतान के बिना जो सरकार द्वारा विलम्बित किया गया (क्रमशः दिसम्बर 1988 एवं मार्च 1993, 1984-85 से 1988-89 तक तथा 1992-93 से 2005-06 तक), विलम्बन की शर्तों को पूरा किए बिना चीनी की निकासी दिया था। विलम्बन की अवधि के उपरान्त 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि हेतु 53.11 लाख रुपए के नियमित कर के भुगतान के बिना मिल चीनी की निकासी करती रही जो अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था। 1992-93 से 2005-06 तक की अवधि के लिए अनियमित विलम्बन तथा विलम्बन की शर्तों को पूरा न किए जाने के अतिरिक्त 1984-85 से 1991-92 तक की अवधि हेतु 103.44 लाख रुपए के बकाए कर का भुगतान अब तक नहीं किया गया (जून 1998)।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मार्च 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

अध्याय 8

वन प्राप्तियाँ

अध्याय 8 : वन प्राप्तियाँ

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	135
8.2	बाँस के ढेरों पर कार्य न करने से हानि	136
8.3	प्रकाष्ठ के आयतन के गलत आगणन के कारण राजस्व की हानि	136
8.4	वृक्षों का अवैध पातन	137
8.5	लीसा का कम विदोहन	138
8.6	रायल्टी का न लगाया जाना	138

अध्याय **8**

वन प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 में सम्पन्न लेखा परीक्षा के दौरान वन विभाग के प्रभागीय अभिलेखों की नमूना जाँच में पायी गयी अनियमिततायें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	लीसा विदोहन में अनियमिततायें	18	1016.15
2.	रायल्टी का गलत निर्धारण	40	733.28
3.	आरा मिलों के पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	09	19.25
4.	अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण	10	336.56
5.	तेंदू पत्तों के संग्रहण एवं निस्तारण में अनियमिततायें	02	1.91
6.	पट्टा किराया का वसूल न किया जाना	11	619.11
7.	विविध अनियमिततायें	86	1458.50
	योग	**176**	**4184.76**

वर्ष 1997-98 की अवधि में सम्बन्धित विभाग ने अवनिर्धारण आदि के 85 मामलों में 3154.73 लाख रुपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें से 66 मामलों में निहित 2428.92 लाख रुपये वर्ष 1997-98 की लेखा परीक्षा के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। उदाहरणस्वरूप 609.20 लाख रुपए के कुछ मामले निम्नलिखित प्रस्तरों में दिए गए हैं:

8.2 बाँस के ढेरों पर कार्य न करने से हानि

वन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत विन्ध्य वृत्त के लिए विक्रय नियमों की सामान्य शर्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) को इसे आवंटित सभी ढेरों के लिए वन विभाग को पूर्ण रायल्टी का भुगतान करना है चाहे यह ढ़ेरों में से सभी पर, कुछ पर या एक पर भी नहीं, कार्य करता है।

बाँस के ढेरों पर कार्य न करने के कारण 40.14 लाख रुपये के रायल्टी की हानि।

सोनभद्र, वन प्रभाग, मिर्जापुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 1997) से पता चला कि वर्ष 1996-97 के दौरान आवंटित 20 बाँस के ढेरों में से उ0प्र0व0नि0 ने 16 ढेरों पर कार्य नहीं किया। इस प्रकार 122894.25 कौड़ी बाँसों के अनुमानित मूल्य 43.71 लाख रुपए (35.57 रुपए प्रति कौड़ी की दर से) की निकासी के विरूद्ध विभाग द्वारा केवल 10027.25 कौड़ी बाँसों की कटाई की गई और 3.57 लाख रुपए माल का भुगतान रायल्टी के लिए हुआ। उ0प्र0व0नि0 द्वारा अधिकृत रायल्टी के रूप में 40.14 लाख रुपए की शेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर (मार्च 1998), विभाग ने जुलाई 1998 में 38.82 लाख रुपए की माँग सृजित की।

प्रकरण शासन को मार्च 1998 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अप्राप्त रहा (सितम्ब्र 1998)।

8.3 प्रकाष्ठ के आयतन के गलत आगणन के कारण राजस्व की हानि

वाणिज्यिक संदोहन के निमित्त, प्रकाष्ठ के ढेर उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) को आवंटित किये जाते हैं और निगम द्वारा वन विभाग को निर्धारित दरों पर रायल्टी का भुगतान किया जाता है। प्रभाग की कार्य योजना में अनुमोदित प्रजातियों की गुणवत्ता के आधार पर प्रकाष्ठ के ढेरों की गणना की जाती है। फिर भी आंशिक गुणवत्ता श्रेणी के मामले में, प्रकाष्ठ की गुणवत्ता श्रेणियों का औसत, निकासी की गणना के लिये लिया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण गोण्डा के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (फरवरी 1997) कि वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान साल वृक्षों के सत्ताइस ढेर उ0प्र0व0नि0 को आवंटित किए गए थे। कार्य योजना के अनुसार ये II/III गुणवत्ता श्रेणी में वर्गीकृत किए गए तथा तदनुसार ढेरों की गणना वर्ग II एवं III के औसत के रूप में की जानी चाहिए थी। किन्तु इन ढेरों को तृतीय गुणवत्ता श्रेणी के ढेर मानकर आगणन किया गया। परिणामस्वरूप प्रकाष्ठ के ढेरों का आयतन 1781 घन मीटर जिसकी कीमत 68 लाख रुपए थी, कम आगणित किया गया।

प्रकाष्ठ के आयतन के गलत आगणन के फलस्वरूप 68 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

निस्तारित

शासन ने कहा (जुलाई 1998) कि जहाँ कहीं भी कार्य योजना में आंशिक श्रेणी का कथन है, निम्नतर गुणवत्ता श्रेणी प्रयोग की जायेगी। शासन द्वारा पूर्व अनुमोदित कार्य योजना की दृष्टि से शासन का मन्तव्य समर्थन योग्य नहीं है। यह तथ्य आगे भी वन संरक्षक, कार्य योजना वृत्त II, उ0प्र0, नैनीताल द्वारा पुष्ट किया गया है।

8.4 वृक्षों का अवैध पातन

वन उपज की बिक्री की शर्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0), अन्य ठेकेदारों की भांति, प्रकाष्ठ का मूल्य तथा अवैध रूप से पातन किए गए वृक्षों के लिए अर्थदण्ड भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अर्थदण्ड की दर, पातन जानबूझकर अथवा अनजाने में था, पर निर्भर करते हुए, वृक्षों के मूल्य का तीन से पांच गुना, अधिकतम 1000 रुपए प्रति वृक्ष तक है।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर तथा प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी-गढ़वाल के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 1997 एवं मई 1997) से पता लगा कि उ0प्र0व0नि0 ने वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान 1274 वृक्षों का अवैध रूप से पातन किया। विभाग ने 26.88 लाख रुपए (प्रकाष्ठ का मूल्य 18.24 लाख रुपए तथा अर्थदण्ड 8.65 लाख रुपए) के विरूद्ध 16 लाख रुपए (प्रकाष्ठ का मूल्य 14.05 लाख रुपए तथा अर्थदण्ड 1.95 लाख रुपए) की माँग सृजित की। विभाग द्वारा सृजित माँग की भी वसूली नहीं हुई थी (मार्च 1998)।

उ. प्र. व. नि. द्वारा वृक्षों के अवैध पातन के फलस्वरूप 26.88 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

निस्तारित

प्रकरण शासन को अगस्त 1997 तथा मई 1998 में सन्दर्भित किया गया; उत्तर अप्राप्त रहा (सितम्बर 1998)।

8.5 लीसा का कम विदोहन

वन प्रभाग अपनी कार्य योजना के अनुसार लीसा के विदोहन के लिए वृक्षों का चयन करते हैं। लीसा चयनित वृक्षों में नालियों की निश्चित संख्या बनाकर निकाली जाती है।

नौ प्रभागों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 1997 से जून 1997) में ज्ञात हुआ कि विभागीय मानदण्ड के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान कुल परिमाण 44443 कुन्तल लीसा का विदोहन होना था। फिर भी, प्रभाग 19345 कुन्तल मात्र लीसा का विदोहन कर सका। इसके परिणामस्वरूप विभाग द्वारा नियत 1780 रुपए प्रति कुन्तल की दर से 25098 कुन्तल लीसा के विदोहन पर 4.47 करोड़ रुपए की कमी रही।

शासन ने कहा (अगस्त 1998) कि लीसा के उत्पादन में कमी मुख्यतया लीसा के विदोहन की नयी विधि (नाली विधि) को अपनाने के कारण थी। शासन ने उत्पादन में 11029 कुन्तल की कमी स्वीकार किया। बाद में कहा गया कि टोटी न लगाई गई लीसा नष्ट नहीं होती बल्कि वृक्षों में सुरक्षित रहती है।

लीसा के कम विदोहन के फलस्वरूप 4.47 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

चूँकि राज्य में नाली विधि प्रारम्भिक रूप से 1992 से आरम्भ की गई थी तथा लक्ष्य मानदण्ड के अनुसार निर्धारित किए गए थे, अतः शासन का मन्तव्य सही नहीं है। टोटी न लगाये गये वृक्षों में लीसा के संरक्षण के विषय में भी शासन का मन्तव्य सही नहीं था क्योंकि वन शोध संस्थान (व0शो0सं0) देहरादून ने स्पष्ट किया था कि "एक ऋतु में टोटी न लगी रह गई नालियाँ टोटी लगाने पर अगली ऋतु में दुगुना लाभ नहीं देती। शायद ही लीसा के उत्पादन में कोई अन्तर होगा"।

8.6 रायल्टी का न लगाया जाना

विभाग का राजस्व बढ़ाने तथ वनों के प्रबन्धन में सुधार की दृष्टि से, मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्धन) उत्तर प्रदेश, नैनीताल ने उत्तर प्रदेश वन निगम (उ0प्र0व0नि0) को आवंटित प्रकाष्ठ के ढेरों के उत्पादन मात्रा की गणना के लिए मार्ग दर्शिकायें, उनमें दिए गए ढ़ेरों के आयतन तथा तदनुसार रायल्टी निर्धारित करने के लिये, निर्गत किया है (जून 1978)।

उ0प्र0व0नि0 के विरुद्ध रायल्टी/लागत के अनारोपण के फलस्वरूप 27.18 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण गोण्डा के अभिलेखों की नमूना जाँच (जनवरी 1998) से पता चला कि वन विभाग को कोई मूल्य /रायल्टी भुगतान किये बिना विभिन्न प्रजातियों के 44577 वृक्ष (36257 वृक्ष 0-10 तथा 8320 वृक्ष 10-20 से.मी. व्यास) 1995-96 में उ0प्र0व0नि0 को आवंटित तथा उसके द्वारा पातन कराये गये। वन संरक्षक (व0सं0) सरयू वृत्त, फैजाबाद द्वारा ग्रामीणों तथा वाणिज्यिक संस्थानों के लिए निर्धारित रियायती दरों पर इन वृक्षों का मूल्य 27.18 लाख रुपए हुआ।

शासन ने कहा (अगस्त 1998) कि प्रकाष्ठ 0-10 तथा 10-20 से.मी. व्यास के वृक्षों में नहीं पाया जाता है। ये उ0प्र0व0नि0 को वन के वृक्ष पालन कला* के निमित्त आवंटित किए जाते हैं। शासन ने तर्क भी दिया कि वन संरक्षक द्वारा दिसम्बर 1993 में अनुमोदित दरों की तालिका ग्रामीणों द्वारा वन को पहुंचायी गयी क्षति के मूल्य को वसूल करने की दृष्टि से थी तथा ये दरें उ0प्र0व0नि0 पर लागू नहीं किए जा सके।

उत्तर समर्थन योग्य नहीं है क्योंकि स्थायी आदेशों में 0-20 से.मी. व्यास के वृक्षों में प्रकाष्ठ की मात्रा का प्रावधान है।

* वन वर्धन कार्य

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

अध्याय 9 : अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
क.	**सहकारिता विभाग**	145
9.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	145
9.2	संग्रह प्रभारों का न/कम जमा किया जाना	145
ख.	**लोक निर्माण विभाग**	147
9.3	लेखा परीक्षा के परिणाम	147
9.4	अंशदान कार्यों पर सेण्टेज प्रभारों का कम लगाया जाना	148
ग.	**खान एवं खनिज विभाग**	149
9.5	लेखा परीक्षा के परिणाम	149
9.6	रायल्टी एवं जुर्माने की वसूली न किया जाना	150
9.7	पट्टे की धनराशि का गलत निर्धारण	150
9.8	खनन पट्टे पर स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	151
9.9	रायल्टी तथ अन्य सरकारी देयों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	152
9.10	ईंट मिट्टी पर रायल्टी तथा आवेदन फीस का अनारोपण	153
घ.	**पुलिस विभाग**	153
9.11	लेखा परीक्षा के परिणाम	153
9.12	पुलिस विभाग के अधीन प्राप्तियों का संग्रह	155
9.12.1	प्रस्तावना	155
9.12.2	संगठनात्मक ढांचा	155
9.12.3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	156
9.12.4	प्रमुख अंश	156
9.12.5	राजस्व का रुझान	157

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
9.12.6	बकाया	158
9.12.7	मध्यस्थता कार्यों एवं अन्य राज्यों में लगायी गयी पुलिस की लागत का वापस न किया जाना	159
9.12.8	पुलिस लागत का निर्धारण	160
9.12.9	रेलवे में लगायी गयी राजकीय रेलवे पुलिस के लागत की वापसी कम/न किया जाना	161
9.12.10	समन्वय के अभाव में पुलिस लागत का निर्धारण छूट जाना	162
9.12.11	भत्ते को कम/न सम्मिलित करने से पुलिस लागत का अवनिर्धारण	163
9.12.12	पुलिस लागत एवं अनुरक्षक प्रभारों की वसूली न किया जाना	163
9.12.13	आन्तरिक लेखा परीक्षा में इंगित धनराशि की वसूली न किया जाना	164
9.12.14	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि का प्राप्त न किया जाना	165
9.12.15	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से रात्रि सशस्त्र अनुरक्षकों की लागत का प्राप्त न किया जाना	165

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियाँ

क. सहकारिता विभाग

9.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान लेखा परीक्षा में सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 225.83 लाख रुपए की अनियमितताओं के 35 मामले पाए गए, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	संग्रह प्रभारों का न जमा किया जाना	24	170.04
2.	अन्य अनियमितताएँ	11	55.79
	योग	**35**	**225.83**

उदाहरणस्वरूप 131.74 लाख रुपए के सन्निहित वित्तीय प्रभाव वाले कुछ मामले नीचे दिए गए हैं :

9.2 संग्रह प्रभारों का न/कम जमा किया जाना

उ0प्र0 सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1965 तथा उसके अधीन बनाए गए समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत, ऋणों के लाभार्थियों से सहकारी समितियों द्वारा वसूल किए गए संग्रह

प्रभारों का 10 प्रतिशत उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार में जमा किया जाना अपेक्षित है।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियों के 11 कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1996 से जुलाई 1997 के मध्य) कि 143.12 लाख रुपए (पूरे संग्रह प्रभार का 10 प्रतिशत) के स्थान पर केवल 11.38 लाख रुपए राजकीय लेखों मे जमा किए गए। शेष 131.74 लाख रुपए को सरकारी लेखे से बाहर रखा गया जो संगत अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार गलत था। विवरण नीचे दिया गया है :

131.74 लाख रुपये को सरकारी लेखे के बाहर रखा गया जो संगत अधिनियम के अनुसार गलत था।

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	अवधि	राजकीय लेखे में जमा की जाने वाली धनराशि	राजकीय लेखे में जमा की गयी धनराशि	कम जमा की गयी धनराशि
1.	सहायक निबन्धक, मुजफ्फरनगर	1994-95 से 1996-97	11.94	1.19	10.75
2.	सहायक निबन्धक, सीतापुर	1982-83 से 1996-97	11.06	0.56	10.50
3.	सहायक निबन्धक, फर्रुखाबाद	1982-83 से 1996-97	16.82	0.97	15.85
4.	सहायक निबन्धक, मुरादाबाद	1993-94 से 1996-97	10.61	0.79	9.82
5.	सहायक निबन्धक, गाजीपुर	1982-83 से 1996-97	11.68	0.87	10.81
6.	सहायक निबन्धक, चमोली	1992-93 से 1996-97	1.20	शून्य	1.20

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	अवधि	राजकीय लेखे में जमा की जाने वाली धनराशि	राजकीय लेखे में जमा की गयी धनराशि	कम जमा की गयी धनराशि
7.	सहायक निबन्धक, देहरादून	1994-95 से 1996-97	0.93	0.02	0.91
8.	सहायक निबन्धक, नैनीताल	1981-82 से 1996-97	30.69	2.40	28.29
9.	सहायक निबन्धक, सहारनपुर	1982-83 से 1996-97	31.26	3.12	28.14
10.	सहायक निबन्धक, हरदोई	1982-83 से 1996-97	7.45	0.64	6.81
11.	सहायक निबन्धक, हमीरपुर	1979-80 से 1995-96	9.48	0.82	8.66
	योग		**143.12**	**11.38**	**131.74**

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (दिसम्बर 1996, मई 1997 तथा जुलाई 1998 के दौरान); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

ख. लोक निर्माण विभाग

9.3 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान लेखा परीक्षा में किए गए लोक निर्माण विभाग के लेखा तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 304.44 लाख रुपए की अनियमितताओं के 45 मामलों का पता चला जो मोटे तौर पर अग्रलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	4	3.52
2.	स्टाम्प शुल्क का न/कम आरोपण	4	1.25
3.	सेण्टेज प्रभारों का न लगाया जाना	3	243.27
4.	खाली मैक्सफाल्ट ड्रम/बोरियों की नीलामी न करने से राजस्व हानि	6	4.63
5.	अन्य अनियमितताएँ	28	51.77
	योग	**45**	**304.44**

1.79 करोड़ रुपए के सन्निहित वित्तीय प्रभाव का एक मामला निम्नलिखित प्रस्तर में दिया गया है :

G-19

9.4 अंशदान कार्यों पर सेण्टेज प्रभारों का कम लगाया जाना

वित्तीय मामलों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -V तथा VI के प्रावधानों के अन्तर्गत, राज्य के वाणिज्यिक विभागों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र निकायों की ओर से लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा संभाले गए सभी वर्गों के अंशदान कार्यों के सम्बन्ध में, निर्माण पर आने वाले वास्तविक परिव्यय के 15 प्रतिशत की समान दर पर सेण्टेज प्रभार आरोपित करके उन्हें राजकीय खाते में जमा किया जाना होता है। तथापि स्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश के अभिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के जो कार्य कार्यान्वित होते हैं उस पर 21 प्रतिशत की दर से सेण्टेज प्रभार आरोपित करने के आदेश केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रखण्ड, फैजाबाद की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (जून 1997) कि प्रखण्ड द्वारा केन्द्र/ राज्य सरकार के लिए वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान, 14.92 करोड़ रुपए लागत पर किए गए अंशदान कार्यों (सड़कों का निर्माण) पर 1.79 करोड़ रुपए का सेण्टेज प्रभार आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान केन्द्र/राज्य सरकार की ओर से संभाले गये 14.92 करोड़ रुपये के लागत के अंशदान कार्य पर 1.79 करोड़ रुपये का सेण्टेज प्रभार आरोपित एवं वसूल नहीं किया गया।

मामला विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जनवरी, फरवरी एवं जुलाई 1998)। विभाग ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 1998) कि शासन का निर्देश मांगा जा रहा है तथा प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। शासन का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1998)।

ग. खान एवं खनिज विभाग

9.5 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 के दौरान लेखा परीक्षा में जिला खान कार्यालयों के लेखों तथा संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 10524 मामलों में खानो एवं खनिजों पर 908.54 लाख रुपए की रायल्टी को कम आरोपित करने का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं (1992-93 से 1996-97):

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	रायल्टी एवं जुर्माने की वसूली न किया जाना	1	119.21
2.	पट्टे की धनराशि का गलत निर्धारण	1	79.07
3.	पट्टे पर स्टाम्प शुल्क का न/कम आरोपण	1	25.17
4.	रायल्टी के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	1	7.85
5.	15 जिलों में ईंट मिट्टी पर रायल्टी एवं आवेदन फीस का अनारोपण	10520	677.24
	योग	**10524**	**908.54**

Discussed on 17.8.2000

908.54 लाख रुपऐ के सन्निहित वित्तीय प्रभाव के कुछ मामलों को नीचे दिया गया है :

G-43

9.6 रायल्टी एवं जुर्माने की वसूली न किया जाना

खान एवं खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत, जब कोई व्यक्ति किसी विधि संगत प्राधिकार के बिना किसी भूमि से खनिज का दोहन करता है, तो राज्य सरकार उस व्यक्ति से इस प्रकार निकाले गए खनिज को वापस ले सकती है, या जहां इस प्रकार का खनिज पहले ही विक्रय किया जा चुका है, तो उसका मूल्य और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर किराया, रायल्टी अथवा कर, जैसा मामला हो उस अवधि के लिए, जब किसी विधि संगत प्राधिकार के बिना भूमि ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जा की गयी थी, की वसूली की जा सकती है। अग्रेतर उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत वह या तो छः माह तक की अवधि के कारावास अथवा 1000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित होगा।

Discussed on 17.8.2000

सोनभद्र एवं उरई जनपदों के खान कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (नवम्बर 1997) कि 319 मामलों में उप खनिज की श्रेणी में आने वाली विभिन्न सामग्रियाँ फरवरी 1992 से सितम्बर 1997 की अवधि के मध्य बिना वैध परमिट प्राप्त किए अनधिकृत रूप से निकाल ली गयी थी। रायल्टी तथा प्रशमन फीस का न तो निर्धारण किया गया और न ही वसूला गया। इसके फलस्वरूप 119.21 लाख रुपए (3.19 लाख रुपए का जुर्माना शामिल करते हुए) की रायल्टी एवं प्रशमन फीस की वसूली नहीं हुई।

दो जनपदों (सोनभद्र एवं उरई) में 119.21 लाख रुपये की रायल्टी एवं प्रशमन फीस का निर्धारण तथा वसूली नहीं हुई।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई तथा जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

G-48

9.7 पट्टे की धनराशि का गलत निर्धारण

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963, यथासंशोधित 2 फरवरी 1995 के प्रावधानों तथा 25 मई 1995 के परिपत्र के अन्तर्गत बालू/मोरम के सम्बन्ध में पट्टे की धनराशि, उस क्षेत्र से विगत

तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि के औसत के आधार पर या उस क्षेत्र से पिछले वर्ष में प्राप्त धनराशि, जो भी उच्चतर हो, निर्धारित की जाएगी। बालू, बजरी तथा बोल्डर एवं इनमें से जो भी मिलीजुली अवस्था में हो, के सम्बन्ध में इसका निर्धारण विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उच्चतम धनराशि के आधार पर किया जाना है। कोई क्षेत्र जिसका खनन पहली बार किया गया है अथवा उस क्षेत्र से किसी कारणवश विगत तीन वर्षों से कोई राजस्व प्राप्त न हुआ हो तो पट्टे की धनराशि की गणना द्वितीय अनुसूची की दरों के अनुसार न्यूनतम किराए के आधार पर की जाएगी।

पट्टे की धनराशि के गलत निर्धारण के फलस्वरूप 79.07 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

4 जिला खान कार्यालयों (गोरखपुर, उन्नाव, झाँसी तथा महराजगंज) की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया (नवम्बर 1997 तथा जनवरी 1998 के मध्य) कि बालू खनन के लिए विभिन्न अवधियों (अप्रैल 1994 तथा नवम्बर 2000 के मध्य) हेतु दिए गए पट्टे के सम्बन्ध में पट्टा धनराशि की गणना उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अनुदेशों तथा प्रावधानों के अनुसार न करने के फलस्वरूप शासन को 79.07 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुयी।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई तथा जुलाई 1998) ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

9.8 खनन पट्टे पर स्टाम्प शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत पट्टा विलेख पर शुल्क एवं फीस प्रभार्य होता है। कथित अधिनियम की अनुसूची -1-ख के अनुच्छेद-35 के अनुसार जब पट्टा किसी जुर्माने, प्रीमियम या अग्रिम रूप से दिए गए धन के लिए दिया जाए और कोई किराया आरक्षित न किया गया हो तो पट्टे में व्यक्त उस जुर्माने, प्रीमियम या अग्रिम धन की सम्पूर्ण राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिए हस्तान्तरण विलेख की दर के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

खनन पट्टे पर स्टाम्प शुल्क के अनारोपण/कम आरोपण के फलस्वरूप 25.17 लाख रुपये की हानि हुई।

6 जिला खान कार्यालयों* के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया (सितम्बर 1997 तथा जनवरी 1998 के मध्य) कि अप्रैल 1993 तथा नवम्बर 1997 के मध्य 12 खनन पट्टा विलेख

* महाराजगंज, कानपुर नगर, उन्नाव, गोरखपुर, मिर्जापुर तथा झांसी

निष्पादित किए गए थे। इनमें से 8 विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण 19.95 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया तथा चार मामलों में 5.22 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क बिल्कुल आरोपित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 25.17 लाख रुपए के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

मामला विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था (मई तथा जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। (सितम्बर 1998)।

9.9 रायल्टी तथा अन्य सरकारी देयों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 यह प्रतिष्ठापित करता है कि राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार को इस आशय की नोटिस देने के बाद कि नोटिस प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को रायल्टी सहित पट्टे पर देय न्यूनतम किराए का भुगतान कर दे, खनिज पट्टे को निश्चित कर सकता है और यदि इस प्रकार भुगतान हेतु निश्चित की गयी तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर इसका भुगतान न किया जाए तो 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज आरोपणीय है।

6 जिला खान कार्यालयों* की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1997 तथा दिसम्बर 1997 के मध्य) कि 45 मामलों में रायल्टी का भुगतान 34 से 2251 दिनों के विलम्ब से किया गया था, लेकिन ब्याज आरोपित नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप शासन को 7.85 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुयी।

रायल्टी तथा अन्य सरकारी देयों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण के फलस्वरूप 7.85 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि 36 मामलों में 4.99 लाख रुपए ब्याज की वसूली की जायेगी। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 1998)।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

---

* ललितपुर, झांसी, सोनभद्र, कानपुर नगर, हमीरपुर तथा मिर्जापुर

9.10 ईंट मिट्टी पर रायल्टी तथा आवेदन फीस का अनारोपण

भारत सरकार ने जून 1958 में जारी की गयी अधिसूचना द्वारा ईंट मिट्टी को उपखनिज के रूप में घोषित किया था एवं तदनुसार उद्योग विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से उस पर देय रायल्टी का निर्धारण किया गया। वर्तमान समय में, ईंट उत्पादन के लिए मिट्टी खनन अनुज्ञा पत्र हेतु 400 रुपए आवेदन फीस के अतिरिक्त ईंट भट्ठे की स्थिति (शहरी अथवा ग्रामीण) तथा क्षेत्र जिसमें भट्ठा स्थित* है, के अनुसार अग्रिम रूप में देय एकमुश्त रायल्टी की दर निर्धारित की गयी है।

ईंट मिट्टी पर रायल्टी तथा आवेदन फीस के अनारोपण के कारण सरकार 6.77 करोड़ रुपये से वंचित रह गई।

निदेशक, भूगर्भ एवं उत्खनन के परिपत्र दिनांकित 24 सितम्बर 1997 के अनुसार उत्खनन अधिकारी को व्यापार कर विभाग से ईंट भट्ठा स्वामियों की सूची प्राप्त करना एवं दोषी** को नोटिसें जारी करना है। 15 जिलों*** के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह प्रकाश में आया कि लेखा परीक्षा द्वारा व्यापार कर विभाग से प्राप्त की गयी ईंट भट्ठों की सूची तथा खनन विभाग के अभिलेखों का मिलान करने पर 1992-93 से 1996-97 की अवधि के दौरान 10520 ईंट भट्ठे विभाग से उचित अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए बिना चलाए जा रहे थे। इस प्रकार राज्य सरकार 677.24 लाख रुपए (635.16 लाख रुपए रायल्टी तथा 42.08 लाख रुपए आवेदन फीस) के राजस्व से वंचित रही तथा विभाग भी इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा। लेखा परीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (मई 1998) कि व्यापार कर विभाग से ईंट भट्ठा स्वामियों का विवरण प्राप्त करने के बाद रायल्टी की वसूली की जाएगी।

घ पुलिस विभाग

9.11 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 1997-98 की लेखा परीक्षा/समीक्षा के दौरान पुलिस विभाग के लेखों एवं संगत अभिलेखों की नमूना जाँच में 43 मामलों में 170.70 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रभाव वाली अनियमितता प्रकाश में

---

* शासनादेश संख्या -1773/18-12-85/76 दिनांकित 27-3-82 द्वारा निर्धारित तीन क्षेत्र अर्थात पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी क्षेत्र

** उत्खनन विभाग से अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना जो ईंट भट्ठा चला रहे हैं।

*** महराजगंज, सोनभद्र, गोरखपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, मेरठ, बलिया, हमीरपुर, मिर्जापुर, बरेली, नैनीताल तथा वाराणसी

आयी जो निम्नलिखित श्रेणियों में आती है :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	मध्यस्थता कार्यों एवं अन्य राज्यों में लगायी गयी पुलिस के लागत की वापसी न किया जाना	2 1	466.70 12656.09
2.	पुलिस लागत एवं अनुरक्षक प्रभार की वसूली न किया जाना	14	430.45
3.	पुलिस लागत का निर्धारण न किया जाना	11	108.17
4.	रेलवे में लगायी गयी राजकीय रेलवे पुलिस के लागत की वापसी न किया जाना	2	2499.62
5.	उ0प्र0रा0स0प0नि0 से निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी धनराशि का प्राप्त न किया जाना	1	145.47
6.	आन्तरिक लेखा परीक्षा में इंगित धनराशि की वसूली न किया जाना	1	1349.00
7.	अन्य अनियमितताएँ	11	114.31
	योग	**43**	**17769.81**

उपरोक्त वर्णित मामलों के विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में दिए गए हैं :

9.12 पुलिस विभाग के अधीन प्राप्तियों का संग्रह

9.12.1 प्रस्तावना

पुलिस विभाग की प्राप्तियों में केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों या अन्य निकायों के उत्तर प्रदेश राज्य के अन्दर कोष/ तिजोरी/धन प्रेषण की रखवाली या स्थाई अथवा अस्थायी प्रकार के "पहरे और निगरानी" कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस कर्मचारियों की लागत पर आए व्यय की वसूली सम्मिलित है। विभाग द्वारा अन्य सरकारों से वसूली का आपात मध्यस्थता कार्यों जैसे विदेशियों के निबन्धन तथा निगरानी, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चेक पोस्टों के कार्यों, असामान्य परिस्थितियों में अन्य राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्वाचन के समय कार्य करने से भी उत्पन्न होता है।

कुछ अन्य पुलिस प्राप्तियाँ यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन कम्पोजिट फीस के अतिरिक्त भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के अधीन वसूलियों तथा अनुपयुक्त सामानों/ वाहनों एवं जब्त किए गये दावा-रहित सामानों के विक्रय से सम्बन्धित हैं।

प्राप्तियों के निर्धारण, संग्रह एवं लेखाकरण प्रणाली 5 प्रमुख अधिनियमों*, उनके अधीन बनी नियमावलियों, समय-समय पर जारी किए गये शासकीय आदेशों तथा उत्तर प्रदेश कोषागार नियमावली के प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित की जाती है। पुलिस कर्मचारियों की लागत में वेतन एवं भत्ते तथा उन पर किये गये अन्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं। लगाए गए स्थायी पुलिस अनुरक्षक के लागत की मांग त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप में की जाती है जबकि अस्थायी तौर पर प्रदान किए गए पुलिस कर्मचारी के अनुरक्षक प्रभारों की वसूली अग्रिम रूप में की जाती है।

9.12.2 संगठनात्मक ढांचा

उत्तर प्रदेश सरकार के गृह (पुलिस) विभाग के सम्पूर्ण नियंत्रण एवं अधीक्षण के अधीन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रधान है। पुलिस महानिदेशक को अपर महानिदेशक एवं महानिरीक्षकों द्वारा परिक्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्र के प्रभारी उप महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों द्वारा जनपद स्तर पर सहयोग प्राप्त होता है। राज्य के बाहर एवं रेलवे के लिए लगाए गए पुलिस कर्मचारियों की सेवा की लागत के निर्धारण एवं संग्रह का उत्तरदायित्व पुलिस महानिदेशक तथा राज्य के अन्दर प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षकों पर है।

---

* पुलिस अधिनियम, 1861, पुलिस मैनुअल, पुलिस नियमावली, भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988

9.12.3 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक पी0ए0सी0 एवं राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यालयों के अतिरिक्त, राज्य के 83 जनपदों, जैसे कि मई 1997 में थे, में से 18 जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक के अभिलेखों की पुलिस विभाग के अधीन प्राप्तियों एवं संग्रह प्रणाली की क्षमता तथा प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अप्रैल 1997 एवं नवम्बर 1997 के मध्य नमूना जाँच की गयी।

9.12.4 प्रमुख अंश

(i) मध्यस्थता कार्यों पर 4.67 करोड़ रुपए पुलिस लागत की वापसी का दावा नहीं किया गया तथा दूसरे राज्यों में लगायी गयी पुलिस के लिए 126.56 करोड़ रुपए की अदायगी सम्बन्धित सरकारों द्वारा नहीं की गयी।

(प्रस्तर 9.12.7)

(ii) पुलिस लागत की दरें अक्टूबर 1992 में संशोधित की गयी थीं किन्तु 6 जनपदों में पूर्व निर्धारित दरों पर इसका निर्धारण किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप 38.21 लाख रुपए कम का बीजक बनाया गया।

(प्रस्तर 9.12.8(क))

(iii) 5 जनपदों में पुलिस लागत का निर्धारण नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 8 मामलों में 108.17 लाख रुपए का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

(प्रस्तर 9.12.8 (ख))

(iv) राजकीय रेलवे पुलिस की लागत 50 : 50 के आधार पर राज्य सरकार एवं रेलवे में बांटी जानी थी। अक्टूबर 1991 से मार्च 1998 की अवधि हेतु 24.53 करोड़ रुपए की धनराशि रेलवे से बिना वसूले पड़ी रही।

(प्रस्तर 9.12.9(i))

(v) संगणना त्रुटि से राजकीय रेलवे पुलिस के लागत का 46.62 लाख रुपए कम का रेलवे का बीजक बनाया गया।

(प्रस्तर 9.12.9(ii))

(vi) तीन जनपदों में पुलिस विभाग की दो शाखाओं के मध्य समन्वय के अभाव में तीन मामलों में 23.36 लाख रुपए की पुलिस लागत का कम निर्धारण हुआ।

(प्रस्तर 9.12.10)

(vii) आन्तरिक लेखा परीक्षा में इंगित 1992-93 से 1996-97 की अवधि हेतु 13.49 करोड़ रुपए की धनराशि की वसूली आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी।

(प्रस्तर 9.12.13)

(viii) अनुसरणात्मक कार्यवाही के अभाव में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की 1.45 करोड़ रुपए की धनराशि की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 9.12.14)

9.12.5 राजस्व का रुझान

मार्च 1997 तक विगत 5 वर्षों के दौरान पुलिस प्राप्तियों के बजट प्राक्कलनों एवं वास्तविक संग्रहीत राजस्व का विवरण निम्नवत रहा :

(लाख रुपये में)

प्राप्तियाँ उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन (प्रा) वास्तविक (वा)	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
अन्य सरकारों को आपूर्तित पुलिस	प्रा	743.12	837.52	945.54	2511.36	2613.01
	वा	974.36	690.59	शून्य	937.55	2113.91

प्राप्तियाँ उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन (प्रा) वास्तविक (वा)	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
फीस, जुर्माना एवं समपहरण	प्रा वा	31.00 31.84	31.00 31.90	34.00 233.50	40.00 40.00	40.00 6.08
शस्त्र अधिनियमों के अधीन प्राप्तियाँ	प्रा वा	25.00 25.00	18.00 18.01	25.00 134.88	30.00 30.00	30.00 30.00
राज्य पुलिस मुख्यालय की प्राप्तियाँ	प्रा वा	--- 0.01	0.03 0.63	0.03 101.31	0.03 0.03	30.00 ----
अन्य प्राप्तियाँ	प्रा वा	646.45 1772.93	700.00 2029.03	1251.00 1367.82	1431.00 2101.18	1421.17 3852.82
योग	**प्रा** **वा**	**1445.57** **2804.14**	**1586.55** **2770.16**	**2255.57** **1837.51**	**4012.39** **3108.76**	**4134.18** **6002.81**
वापसी	प्रा वा	शून्य 26.65	शून्य 28.94	शून्य 45.19	शून्य 46.77	--- 45.40
शुद्ध प्राप्तियाँ	प्रा वा	1445.57 2777.49	1586.55 2741.22	2255.57 1792.32	4012.39 3061.99	4134.18 5957.41
भिन्नता का प्रतिशत		(+) 92.14	(+)72.78	(-)20.54	(-)23.69	(+) 44.10

वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान बजट प्राक्कलनों एवं वास्तविक संग्रहीत राजस्व के मध्य दस प्रतिशत से अधिक की भिन्नता थी जो यह इंगित करती है कि प्राक्कलनों को उचित तरीके से नहीं बनाया गया।

9.12.6 बकाया

सरकारी आदेशों में अपेक्षित है कि बैंकों/इकाइयों या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रदान किए

गए पुलिस अनुरक्षकों के लागत की वसूली अग्रिम रूप में की जाएगी । अनुरक्षकों के मूल्य से भिन्न वसूलियों हेतु पुलिस अधिनियम तथा नियमावली में मांग के भुगतान हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। पुलिस प्राप्तियों को विनियमित करने वाले अधिनियमों तथा नियमों में उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 के प्रावधान तथा बकाया देयों के अभुगतान/भुगतान में विलम्ब हेतु ब्याज आरोपित करने वाले प्रावधान विद्यमान नहीं हैं। इसके फलस्वरूप 164.58 करोड़ रुपये की धनराशि अन्य सरकारों, निकायों तथा व्यक्तियों से उपरोक्त अधिनियमों/नियमों में कमी के कारण बिना वसूले पड़ी रही जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

श्रेणी	अवधि	धनराशि
अन्य सरकारों से	1966-67 से 1996-97	126.56
रेलवे से	1991-92 से 1996-97	24.53
आन्तरिक लेखा परीक्षा में इंगित व्यक्तियों से	1992-93 से 1996-97	13.49
योग		**164.58**

9.12.7 मध्यस्थता कार्यों एवं अन्य राज्यों में लगायी गयी पुलिस की लागत का वापस न किया जाना

(क) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत-नेपाल एवं भारत-तिब्बत सीमा की जाँच चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार मध्यस्थता कार्यों को करती है। राज्य सरकार द्वारा मध्यस्थता कार्यों को करने में पुलिस कर्मियों पर हुआ व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वापसी योग्य है।

मध्यस्थता कार्यों पर 4.67 करोड़ रुपये की पुलिस लागत तथा अन्य राज्यों में लगायी गयी पुलिस के लिए 126.56 करोड़ रुपये का न तो दावा किया गया और न ही वापसी प्राप्त की गयी।

अभिलेखों की समीक्षा से प्रकाश में आया कि केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार द्वारा

मध्यस्थता कार्यों* को करने मे पुलिस कर्मियों पर हुए व्यय की वापसी का दावा पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 1991-92 से 1997-98 की अवधि के लिए 4.67 करोड़ रुपए की वापसी नहीं हुयी।

(ख) जब राज्य शस्त्र पुलिस को अन्य राज्यों में असामान्य परिस्थितियों में तथा निर्वाचन के समय कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए लगाया जाता है तो पुलिस कर्मियों की लागत वापसी योग्य होती है। अन्य राज्यों में लगायी गयी शस्त्र पुलिस के लिए अन्य राज्यों तथा भारत सरकार** से 1966-67 से 1997-98 की अवधि से सम्बन्धित 126.56 करोड़ रुपए की वसूली लम्बित थी। इसमें से 125.61 करोड़ रुपये के बीजक सम्बन्धित सरकारों के विरुद्ध नहीं बनाये गये।

9.12.8 पुलिस लागत का निर्धारण

पूर्व निर्धारित दरों पर पुलिस लागत की वसूली किये जाने के फलस्वरूप 38.21 लाख रुपये कम का बीजक बनाया गया।

(क) पुलिस नियमों के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न संगठनों हेतु स्थायी रूप से लगाए गए पुलिस बल की लागत में सम्बन्धित संगठनों द्वारा वहन किये जाने वाले समय-समय पर लागू, निर्धारित दरों में वेतन, विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, धुलाई भत्ता, अवकाश वेतन तथा पेंशन योगदान, पहाड़ क्षतिपूर्ति भत्ता, वर्दी प्रभार, अस्थायी बोनस, अवकाश क्षतिपूर्ति आदि सम्मिलित होगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा पुलिस गार्डों की लागत की वसूली हेतु दरें सितम्बर 1984 में निर्धारित की गई थीं। 1-1-1986 से पुलिस कर्मियों के वेतनमानों में हुए संशोधन के साथ विभाग को जनवरी 1986 से ही पुलिस लागत की दरें संशोधित कर देना चाहिए था किन्तु दरें केवल अक्टूबर 1992 से संशोधित की गयीं।

* भारत-तिब्बत सीमा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस का लगाया जाना

** बिहार (93.72 लाख रुपए), असम (483.41 लाख रुपए), पंजाब (141.52 लाख रुपए), पश्चिम बंगाल (8.45 लाख रुपए), मेघालय (19.30 लाख रुपए), नागालैण्ड (40.44 लाख रुपए), त्रिपुरा(173.71 लाख रुपए), राजस्थान (20.64 लाख रुपए), हरियाणा (78.07 लाख रुपए), जम्मू तथा कश्मीर (40.44 लाख रुपए), हिमाचल प्रदेश (37.06 लाख रुपए) तथा भारत सरकार (11519.44 लाख रुपए)

6 जनपदों* के पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों की नमूना जांच के समय यह प्रकाश में आया कि पुलिस लागत का निर्धारण अभी तक पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर किया जा रहा था। इसके फलस्वरूप अक्टूबर 1992 से जून 1997 तक 38.21 लाख रुपए कम के बीजक बनाये गये।

इंगित किये जाने पर सभी जनपद पुलिस प्रमुखों ने बताया कि सम्बन्धित इकाइयों को संशोधित दावे के बीजक जारी किये जायेंगे।

पाँच जनपदों में पुलिस लागत का निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप 108.17 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(ख) पुलिस नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों जैसे–बैंकों, केन्द्र सरकार के विभागों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों आदि में स्थायी रूप से लगाए गए पुलिस अनुरक्षकों के लागत की वसूली निर्धारित तरीके से सुनिश्चित की जाती है। सम्बन्धित जनपदों का पुलिस अधीक्षक लागत को निर्धारित करता है एवं तदनुसार मांग करता है।

पांच जनपदों** के पुलिस अधीक्षकों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि अप्रैल 1987 से सितम्बर 1997 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए 8 मामलों में पुलिस लागत के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप 108.17 लाख रुपए का राजस्व वसूल नहीं हुआ।

उत्तर में विभाग द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारण एवं वसूली की जाएगी।

9.12.9 रेलवे में लगायी गयी राजकीय रेलवे पुलिस की लागत की वापसी कम/न किया जाना

अक्टूबर 1991 से मार्च 1998 तक की अवधि हेतु रेलवे से 24.53 करोड़ रुपये की धनराशि बिना वसूले पड़ी रही।

(i) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), भारत सरकार के पत्र दिनांकित 22 फरवरी 1993 के साथ पठित सरकारी लेखाकरण नियमावली, 1990 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1979

* लखनऊ, गोरखपुर, देवरिया, फैजाबाद, बरेली एवं मेरठ

** लखनऊ, फैजाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी एवं अलीगढ़

से राज्य सरकार एवं रेलवे के मध्य रा0रे0पु0 की लागत को इस शर्त के साथ 50:50 के आधार पर बंटना था कि रेलवे की स्वीकृति पर रा0रे0पु0 की संख्या निर्धारित हो। उपरोक्त आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने विभिन्न रेलवे मण्डलों से 50 प्रतिशत लागत का दावा किया किन्तु अक्टूबर 1991 से मार्च 1998 की अवधि हेतु 24.53 करोड़ रुपए के दावे की वापसी अभी तक नहीं हुयी (सितम्बर 1998)।

रा0रे0पु0 के लागत की गणना की त्रुटि के कारण रेलवे का 46.62 लाख रुपये कम का बीजक बनाया गया।

(ii) रा0रे0पु0 के सम्बन्ध में पुलिस विभाग एवं रेलवे के मध्य हिस्सा बांटने हेतु वेतन एवं भत्ते की गणना करते समय पेंशन प्रभारों की लागत भी सम्मिलित किया जाना था। पुलिस महानिरीक्षक (रा0रे0पु0) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया कि प्रत्येक सवंर्ग के कर्मचारियों के समय वेतनमानों के अधिकतम के 10 प्रतिशत दर पर पेंशन प्रभारों को प्रभारित किया जा रहा था। फिर भी पेंशन प्रभारों की गणना करते समय 255.90 लाख रुपए के बदले 209.28 लाख रुपए की मांग की गयी। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1992 से 31 दिसम्बर 1996 की अवधि के लिए 46.62 लाख रुपए के कम का बीजक बनाया गया।

उत्तर में विभाग ने बताया (जून 1997) कि उक्त अवधि में स्वीकृत क्षमता बार-बार परिवर्तित होती रही जिसे पेंशन प्रभारों की संगणना में नहीं लिया गया। सम्बन्धित रेलवे को नवम्बर 1997 में बीजक भेजे गये लेकिन भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 1998)।

9.12.10 समन्वय के अभाव में पुलिस लागत का निर्धारण छूट जाना

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए स्वीकृति आदेश के अनुसार पुलिस बलों को स्थायी सेवा में जनपदों की पुलिस लाइनों के आरक्षी निरीक्षकों द्वारा लगाया जाता है जब कि लागत का निर्धारण एवं वसूली जिले के पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जाती है।

3 जिलों* के पुलिस अधीक्षकों एवं आरक्षी निरीक्षकों के अभिलेखों के प्रति-सत्यापन के दौरान यह प्रकाश में आया कि अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के मध्य 3 मामलों में पुलिस बल को स्थायी रूप से लगाया गया था। फिर भी निर्धारण प्राधिकारियों ने आरक्षी निरीक्षकों द्वारा लगाए गए पुलिस बल से

* गोरखपुर, आगरा एवं गाजियाबाद

सम्बन्धित लागत के निर्धारण एवं वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया। इस प्रकार दो शाखाओं के मध्य समन्वय के अभाव के कारण 23.36 लाख रुपए की पुलिस लागत बिना निर्धारण एवं वसूली के पड़ी रही।

9.12.11 भत्ते को कम/ न सम्मिलित करने से पुलिस लागत का अवनिर्धारण

विभिन्न संस्थाओं में लगाए गए पुलिस बल के लागत में शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, पौष्टिक आहार भत्ता एवं अन्तरिम सहायता भी सम्मिलित होगी। जब कभी इन भत्तों की दरें परिवर्तित की जाती हैं तो तदनुसार मांग का निर्धारण भी किया जाना चाहिए।

सात जिलों* के पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह प्रकाश में आया कि अक्टूबर 1992 से जून 1997 की अवधि के दौरान मंहगाई भत्ते की दरों में हुयी बढ़ोत्तरी को गणना में लिए बिना मंहगाई भत्ते की पूर्व-संशोधित दरों पर पुलिस लागत का दावा किया गया। इसके फलस्वरूप 13.07 लाख रुपए के पुलिस लागत की कम वसूली हुयी।

पुलिस अधीक्षक, सीतापुर एवं अलीगढ़ के कार्यालयों में अक्टूबर 1992 से मार्च 1997 की अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से पुलिस लागत का दावा करते समय मकान किराया भत्ते को गणना में नहीं लिया गया। इसी प्रकार पुलिस अधीक्षक, देहरादून के कार्यालय में जनवरी 1993 से दिसम्बर 1996 के दौरान पौष्टिक आहार भत्ता एवं अन्तरिम सहायता को बीजकों में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप 9.30 लाख रुपए की सीमा तक कम धनराशि का बीजक बनाया गया।

9.12.12 पुलिस लागत एवं अनुरक्षक प्रभारों की वसूली न किया जाना

(क) शासनादेशों में अपेक्षित है कि बैंकों/इकाइयों या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्रदान किए गए पुलिस अनुरक्षकों के लागत की वसूली अग्रिम में की जानी चाहिए। यदि सशस्त्र अनुरक्षकों को तीन माह से अधिक अवधि के लिए तैनात किया जाता है तो लागत की वसूली त्रैमासिक आधार पर अग्रिम में की जानी चाहिए। फिर भी अगले पृष्ठ पर दिए गए मामलों में शासनादेशों का क्रियान्वयन नहीं किया गया :

---

* लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, देवरिया, सीतापुर, देहरादून एवं अलीगढ़

(लाख रुपये में)

सुरक्षा की प्रकृति	लाभार्थी	बकाए की अवधि	धनराशि
सशस्त्र अनुरक्षक	बैंक/सरकारी संस्थाएँ	अप्रैल 84 से सितम्बर 97	400.86
रक्षक दल/गनर/शैडो	व्यक्तिगत	मई 97 से दिसम्बर 97	7.05
सशस्त्र अनुरक्षक	प्रेस	मई 85 से मार्च 87	2.20
सशस्त्र अनुरक्षक/शैडो	मिल मालिक	जनवरी 86 से मार्च 88	1.66
योग			**411.77**

(ख) मार्च 1997 में संगीतज्ञ "यान्नी" द्वारा ताजमहल, आगरा में प्रस्तुत संगीत मनोरंजन कार्यक्रम में जीवन, सम्पत्ति की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने एवं यातायात नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा द्वारा पुलिस बल का एक दल जिसमें 4 अपर अधीक्षक, 26 उप अधीक्षक, 19 निरीक्षक, 296 उपनिरीक्षक, 958 प्रधान सिपाही, 223 सिपाही एवं पी0ए0सी0 की 29 पलटनें शामिल थीं, लगाया गया था।

पुलिस मैनुअल/ नियमावली के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए भुगतान के विरुद्ध पुलिस बल लगाया जा सकता है किन्तु "यान्नी" के संगीत कार्यक्रम के लिए लगाए गए पुलिस बल हेतु कोई भुगतान प्रभारित नहीं किया गया । तीन दिन (21, 22 एवं 23 मार्च 1997) के लिए वसूली योग्य लागत 18.68 लाख रुपए आती है।

9.12.13 आन्तरिक लेखा परीक्षा में इंगित धनराशि की वसूली न किया जाना

1992-93 से 1996-97 की अवधि हेतु आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा इंगित 13.49 करोड़ रुपये की वसूली विभाग द्वारा नहीं की गई।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा 1992-93 से 1996-97 की अवधि के मध्य 13.49 करोड़ रुपए के अति भुगतान एवं कम वसूली इंगित की गयी थी। लेखा परीक्षा में यह प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा अति भुगतानों/कम वसूलियों की वसूली/उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

9.12.14 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की धनराशि का प्राप्त न किया जाना

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश दिनांकित 17 दिसम्बर, 1990 में सरकारी विभागों के निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण हेतु एक प्रक्रिया का नियमन किया था। इसके अनुसार सरकारी विभागों के निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी उ0प्र0रा0स0प0नि0 के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ/मेरठ द्वारा की जानी थी। नीलामी से प्राप्त धनराशि में से 10 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा प्राप्त किया जाना था तथा शेष 90 प्रतिशत अविलम्ब सम्बन्धित विभाग को उनके सम्बन्धित प्राप्ति शीर्ष में जमा करने हेतु संप्रेषित किया जाना था।

अनुसरणात्मक कार्यवाही के अभाव में उ0प्र0 रा0स0प0 निगम से निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित 1.45 करोड़ रुपये के धनराशि की वसूली नहीं हुई।

जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं पी0ए0सी0 बटालियनों के सेनानायकों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नीलामी एवं उनके निस्तारण हेतु उ0प्र0रा0स0प0नि0 को हस्तान्तरित वाहनों का कोई भी अभिलेख नहीं रखा गया था। नीलाम की गयी वाहनों की संकलित सूची भी उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं थी। उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों, लखनऊ तथा मेरठ में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नीलामी किए गए वाहनों की सूची सम्प्रेक्षा में संकलित की गयी जिससे यह प्रकाश में आया कि सितम्बर 1991 से मई 1997 के मध्य पुलिस विभाग के 401 वाहनों की नीलामी की गयी थी तथा 161.64 लाख रुपए वसूले गए थे परन्तु नीलामी की धनराशि का 90 प्रतिशत अर्थात 145.47 लाख रुपए पुलिस विभाग को संप्रेषित नहीं किया गया। पुलिस विभाग द्वारा कोई अनुश्रवण की कार्यवाही नही की गयी जिसके फलस्वरूप इस धनराशि की वसूली नहीं हुई।

9.12.15 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से रात्रि सशस्त्र अनुरक्षकों की लागत का प्राप्त न किया जाना

उ0प्र0रा0स0प0नि0 के प्रबन्ध निदेशक के पत्र दिनांकित 12 जनवरी 1988 मे किए गए निवेदन पर शासन ने दिनांकित 3 जून 1988 के आदेश द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्दिष्ट संवेदनशील मार्गों पर उ0प्र0रा0स0प0नि0 की रात्रि बस सेवा में सशस्त्र अनुरक्षकों को लगाए जाने का निर्णय किया। इन अनुरक्षकों का व्यय उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा अपने सम्बन्धित परिक्षेत्रों/डिपो के माध्यम से वहन किया जाना था।

उ0प्र0रा0स0प0नि0 के देहरादून, पौड़ी गढ़वाल एवं इटावा के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अप्रैल 1988 से सितम्बर 1996 की अवधि हेतु देय 30.37 लाख रुपए का भुगतान अभी भी लम्बित है (सितम्बर 1998)।

मामले विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (अगस्त 1998); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 1998)।

पी. मुखर्जी

(पी0 मुखर्जी)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 3.2.99

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 9.2.99